सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

संघ शासित क्षेत्र के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

संघ शासित क्षेत्र के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		ix
कार्यकारी सार		xi-xvi
अध्याय-I विहंगावलोकन		
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की रूपरेखा	1.1	1
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	2
प्रतिवेदन संरचना	1.3	3
सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	4-6
सरकारी लेखाओं की संरचना	1.4.1	6
बजटीय प्रक्रिया	1.4.2	6-7
वित्त का संक्षिप्त अवलोकन	1.5	7-8
सरकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का संक्षिप्त अवलोकन	1.5.1	9
राजकोषीय शेषः घाटा एवं कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.6	10
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के राजकोषीय मापदण्ड	1.6.1	10
लेखापरीक्षा में जाँच के पश्चात् घाटा	1.7	10
पश्च लेखापरीक्षा - घाटे	1.7.1	10-11
पश्च लेखापरीक्षा - कुल लोक ऋण	1.7.2	11-12
अध्याय-II संघ शासित क्षेत्र के वित्त		
वर्ष 2019-20 की तुलना में प्रमुख राजकोषीय राशियों में मुख्य परिवर्तन	2.1	13
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	2.2	13-14
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के संसाधन	2.3	14-15
संघ शासित क्षेत्र की प्राप्तियाँ	2.3.1	15
संघ शासित क्षेत्र की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	15-16
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के स्वयं के संसाधन	2.3.2.1	16-19
केन्द्र से हस्तांतरण	2.3.2.2	19-20
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3	20
संसाधनों के जुटाव में संघ शासित क्षेत्र का प्रदर्शन	2.3.4	20-21
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	21

विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
व्यय का संघटन	2.4.1	21-23
राजस्व व्यय	2.4.2	23-24
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.1	24-25
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली में गैर-उन्मोचित देयताएं	2.4.2.2	25
सहायिकी	2.4.2.3	25-26
संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	2.4.2.4	26
पूँजीगत व्यय	2.4.3	26-27
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.3.1	27
कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता	2.4.3.2	27-28
वर्ष 2020-21 के दौरान संवितरित और वसूल किये गये ऋणों की प्रमात्रा	2.4.3.3	28-29
अपूर्ण निर्माण कार्यों में अवरुद्ध पूँजी	2.4.3.4	29
उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना का कार्यान्वयन (यूडीएवाई)	2.4.3.5	29-30
व्यय प्राथमिकताएं	2.4.4	30-31
वस्तु शीर्षवार व्यय	2.4.5	31
लोक लेखा	2.5	31
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	31-33
आरक्षित निधियाँ	2.5.2	33-34
समेकित ऋण शोधन निधि	2.5.2.1	34
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	2.5.2.2	34-35
प्रत्याभूति मोचन निधि	2.5.2.3	36
केन्द्रीय सड़क कोष (सीआरएफ)	2.5.2.4	36
ऋण प्रबंधन	2.6	37
ऋण की रूपरेखाः घटक	2.6.1	37-39
ऋण विश्लेषण	2.7	40
उधार ली गयी निधियों की उपयोगिता	2.7.1	40-41
प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक देयताएं	2.7.2	41
नकद शेषों का प्रबंधन	2.7.3	41-43
निष्कर्ष	2.8	43-44
अनुशंसाएं	2.9	44

विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय-III बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	45-46
वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों और बचतों का सार	3.1.1	46
प्रभारित और दत्तमत संवितरण	3.1.2	46
विनियोग लेखे	3.2	47
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की एकरूपता पर टिप्पणियाँ	3.3	47
विधि के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	3.3.1	47
पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व प्रकृति वाले व्यय का वर्गीकरण या विलोमतः	3.3.2	47-48
अनावश्यक या अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान	3.3.3	48
महत्त्वपूर्ण बचतें	3.4	48-49
प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत प्रावधान की उपयोगिता की प्रतिशतता	3.4.1	49
बचतों की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/ विनियोग की संख्या का वितरण	3.4.2	49-50
शून्य व्यय के साथ अनुदान	3.5	50
नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर आधिक्य	3.5.1	50
तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर से सबंधित विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का नियमितीकरण	3.5.2	51
पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान	3.6	51-52
बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	3.7	52
एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.7.1	52
बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.8	52
बजट प्रक्षेपण और अनुमान तथा वास्तविक के मध्य अंतर	3.8.1	52-53
व्यय की बहुलता	3.8.2	53-54
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.9	54
अनुदान संख्या 06: विद्युत विकास विभाग	3.9.1	54-55
अनुदान संख्या 08: वित्त विभाग	3.9.2	55-56
निष्कर्ष	3.10	56-58
अनुशंसाएं	3.11	58
अध्याय-IV लेखाओं एवं वित्तीय रिपोर्टिंग रीतियों की गुणवत्ता		
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लोक लेखा या समेकित निधि से बाहर की निधियाँ	4.1	59

विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर	4.1.1	60
जल उपयोग प्रभार	4.1.2	60
आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) के बैंक खातों में पड़ी हुयी अव्ययित राशि	4.1.3	61
कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियाँ	4.2	61
स्थानीय निधियों की जमाएं	4.3	62
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	4.4	63-64
संक्षिप्त आकस्मिक बिल	4.5	64-65
लघु शीर्ष-800 का अव्यवस्थित प्रयोग	4.6	65-67
मुख्य उचंत एवं डीडीआर शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.7	67-68
विभागीय आँकड़ों का गैर-मिलान	4.8	68-69
नकद शेषों का मिलान	4.9	69
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.10	69-70
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	4.11	70-72
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/ निगम/ कंपनियाँ	4.12	72-73
निकायों और प्राधिकरणों को दिये गये अनुदानों/ ऋणों के विवरण का गैर-प्रस्तुतीकरण	4.13	73
लेखाओं की सामयिकता और गुणवत्ता	4.14	73
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.15	74
निष्कर्ष	4.16	74-75
अनुशंसाएं	4.17	75
अध्याय-V सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन		
सरकारी कंपनी की परिभाषा	5.1	77
लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.2	77-78
जेएण्डके के जीएसडीपी में पीएसयू और उनका अंशदान	5.3	78-79
पीएसयू में निवेश और बजटीय सहायता	5.4	79
इक्विटी धारिता एवं दिये गये ऋण	5.4.1	79
पीएसयू को सहायिकी और अनुदान	5.4.2	80
जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान	5.4.3	81
पीएसयू में ऋण देयता को पूरा करने हेतु परिसंपत्तियों की पर्याप्तता	5.4.4	81-82
सरकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूँजीकरण	5.4.5	82
विनिवेश, पुनर्संरचना और निजीकरण	5.4.6	82

विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
पीएसयू से प्रतिफल	5.5	82-83
पीएसयू द्वारा लाभांश का भुगतान	5.5.1	83
ऋण सेवा एवं विधिक अनुपालन	5.6	83
पीएसयू के दीर्घकालिक ऋण की स्थिति	5.6.1	83-84
पीएसयू में ब्याज कवरेज	5.6.2	84-85
सरकारी ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण	5.6.3	85-86
पीएसयू की परिचालन दक्षता	5.7	86
उत्पादन का मूल्य	5.7.1	86
सूचीबद्ध पीएसयू में निवेश पर प्रतिफल	5.7.2	87
सूचीबद्ध पीएसयू में नियोजित पूँजी और इक्विटी पर प्रतिफल	5.7.3	87-88
गैर-सूचीबद्ध पीएसयू की नियोजित पूँजी पर प्रतिफल और इक्विटी	5.7.4	88-89
सरकारी निवेश पीएसयू पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)	5.7.5	89-91
हानि वाले पीएसयू	5.8	91-92
पीएसयू में पूँजी का अपक्षरण	5.8.1	92
सीएजी की पर्यवेक्षण भूमिका	5.9	92
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की लेखापरीक्षा	5.9.1	92-93
सीएजी द्वारा पीएसयू के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.10	93
पीएसयू द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5.11	93
समय पर प्रस्तुति की आवश्यकता	5.11.1	93-94
सरकारी कंपनियों द्वारा लेखाओं की तैयारी में सामयिकता	5.11.2	94
सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में सामयिकता	5.11.3	95
सीएजी का पर्यवेक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.12	95
वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा	5.12.1	95
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	5.12.2	95-96
सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.12.3	96
सीएजी की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम	5.13	96
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	5.13.1	96-97
अनुशंसाएं	5.14	97

परिशिष्ट		
संघ शासित क्षेत्र सरकार वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े	परिशिष्ट 1.1	99-101
वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सार	परिशिष्ट 1.2	102-104
31 मार्च 2021 तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति		105-106
विधि के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	परिशिष्ट 3.1	107
अनावश्यक अनुपूरक अनुदान/ विनियोग के मामले	परिशिष्ट 3.2	108
महत्त्वपूर्ण बचतें	परिशिष्ट 3.3	109-115
प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत प्रावधानों के उपयोग की प्रतिशतता	परिशिष्ट 3.4	116-117
शून्य व्यय सहित अनुदान	परिशिष्ट 3.5	118
नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर आधिक्य	परिशिष्ट 3.6	119
नियमितीकरण की आवश्यकता वाले वर्ष 1980-81 से 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019) तक के लिए आधिक्य व्यय	परिशिष्ट 3.7	120-121
बजटीय प्रावधान के प्रति शून्य व्यय (अनुदान संख्या 06)	परिशिष्ट 3.8	122
बजटीय प्रावधान के प्रति कम व्यय (बचत) जो अभ्यर्पित नहीं की गयी (अनुदान संख्या 06)	परिशिष्ट 3.9	123
बजटीय प्रावधान के बिना व्यय (अनुदान संख्या 08)	परिशिष्ट 3.10	124-125
बजटीय प्रावधान के प्रति शून्य व्यय (अनुदान संख्या 08)	परिशिष्ट 3.11	126
बजटीय प्रावधान के प्रति कम व्यय (बचत) जो अभ्यर्पित नहीं की गयी (अनुदान संख्या 08)	परिशिष्ट 3.12	127-128
बजटीय प्रावधान पर आधिक्य व्यय (अनुदान संख्या 08)	परिशिष्ट 3.13	129
संघ शासित सरकार के विभागों को केन्द्रीय योजना निधियों (संघ शासित क्षेत्र बजट से बाहर प्राप्त निधियाँ) का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (अलेखापरीक्षित आँकड़े)	परिशिष्ट 4.1	130-132
31 मार्च 2021 तक लेखाओं के बकायों की स्थिति	परिशिष्ट 4.2	133
31 मार्च 2021 को सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में पीएसयू का विवरण	परिशिष्ट 5.1	134-136
30 नवंबर 2021 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार पीएसयू के कुल कारोबार का विवरण	परिशिष्ट 5.2	137-139
31 मार्च 2021 तक पीएसयू से संबंधित इक्विटी तथा बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	परिशिष्ट 5.3	140-143

मार्च 2021 तक पीएसयू के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखे के अनुसार इक्विटी और बकाया ऋण	परिशिष्ट 5.4	144
30 नवंबर 2021 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू का विवरण	परिशिष्ट 5.5	145
निवेश पर प्रतिफल- जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (सूचीबद्ध पीएसयू)	परिशिष्ट 5.6	146
वर्ष 1999-2000 से 2020-21 के लिए गैर-सूचीबद्ध पीएसयू में सरकार द्वारा वर्ष-वार निवेश तथा सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी)	परिशिष्ट 5.7	147
30 नवंबर 2021 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार हानियों वाले पीएसयू का विवरण	परिशिष्ट 5.8	148-149
30 नवंबर 2021 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार संचित हानियों वाले पीएसयू का विवरण	परिशिष्ट 5.9	150-151
कार्यशील पीएसयू, जिनके लेखे 30 नवंबर 2021 तक बकायों में हैं, में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निवेश की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	परिशिष्ट 5.10	152-154
बजट से संबंधित महत्त्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	परिशिष्ट 6	155-158

प्राक्कथन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 72 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (जून 1994) के निर्णयानुसार, जहाँ कहीं एक वर्ष से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जायेगा। अतः यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है।

इस प्रतिवेदन का अध्याय I प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा अंतर्निहित आँकड़े, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख-सूचकांकों के वृहत् राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/ अधिशेष सहित राजकोषीय स्थिति पर विहंगावलोकन उपलब्ध कराता है।

अध्याय II यह अध्याय संघ शासित क्षेत्र के वित्त लेखाओं पर आधारित प्रमुख राजकोषीय समग्रों, ऋण रूपरेखा और प्रमुख लोक लेखा संव्यवहारों, तत्कालीन संघ शासित क्षेत्र के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराता है।

अध्याय III संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विनियोग लेखे पर आधारित है और संघ शासित क्षेत्र सरकार के विनियोगों तथा आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलनों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अध्याय IV संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं की गुणवत्ता और संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अननुपालन मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय V सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन और इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी टिप्पणियों के प्रभाव पर टिप्पणी करता है।

विभिन्न विभागों में संव्यवहारों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों, सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा और राजस्व प्राप्तियों को शामिल करने वाला प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वित्तीय आँकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित इनपुटों को समय पर संघ शासित क्षेत्र को उपलब्ध कराने हेतु बजट प्राक्कलनों की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन का निष्पक्षता से मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित किया गया है। यह प्रतिवेदन सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करता है।

प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु संघ शासित क्षेत्र सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा अतिरिक्त आँकड़े जैसे संघ शासित क्षेत्र का बजट, विभागीय प्राधिकरणों के अन्य आँकड़े**,** जीएसडीपी आँकड़े और अन्य संघ शासित क्षेत्र संबंधी सांख्यिकी पर आधारित, यह प्रतिवेदन निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है।

अध्याय-I प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा अंतर्निहित आँकड़े, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख-सूचकांकों के वृहत् राजकोषीय विश्लेषण और संघ शासित क्षेत्र के घाटे/ अधिशेष सहित संघ शासित क्षेत्र की राजकोषीय स्थिति पर विहंगावलोकन उपलब्ध कराता है।

अध्याय-II संघ शासित क्षेत्र के वित्त लेखाओं पर आधारित संघ शासित क्षेत्र की ऋण रूपरेखा और प्रमुख लोक लेखा संव्यवहारों, संघ शासित क्षेत्र के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराता है।

अध्याय-III संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विनियोग लेखे पर आधारित है और संघ शासित क्षेत्र सरकार के विनियोगों तथा आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलनों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अध्याय-IV संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत संघ शासित क्षेत्र के लेखाओं की गुणवत्ता और संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय-V इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के

अनुपालन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन पर टिप्पणी करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-I एवं II विहंगावलोकन एवं संघ शासित क्षेत्र के वित्त:

राजस्व प्राप्तियाँ के अंतर्गत (₹38,605 करोड़) कम प्राप्ति थी, यह बजट प्राक्कलनों के संबंध में स्वयं के कर राजस्व (₹4,364 करोड़), संघीय करों के अंश (₹15,200 करोड़), अतिरिक्त संसाधन जुटाव (₹4,000 करोड़), जीओआई से सहायता अनुदान (₹15,052 करोड़) के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण थी। राजस्व व्यय बजट अनुमानों के संबंध में ₹10,030 करोड़ तक कम था। इनका परिणाम संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को बजट प्राक्कलनों में अनुमानित ₹28,436 करोड़ राजस्व अधिशेष के प्रति ₹138 करोड़ के राजस्व घाटे के रूप में हुआ।

(पैरा 1.5)

वर्ष के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का राजस्व घाटा ₹138.27 करोड़ था जिसे पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि एवं जमा पर ब्याज का भुगतान नहीं करने, परिभाषित अंशदायी पेन्शन निधि में कम अंशदान को करने के कारण ₹250.56 करोड़ तक कम आंकलित किया गया था।। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹10,693.36 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो कि राज्य वनरोपण निधि, राज्य वनरोपण जमा पर ब्याज का भुगतान न करने एवं परिभाषित अंशदायी पेन्शन निधि में कम अंशदान के कारण ₹60.75 करोड़ तक कम बताया गया।

(पैरा 1.7.1)

वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के लिए सहायता अनुदान का प्रतिशत 75.32 प्रतिशत था।

(पैरा 2.3.2.2)

प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 74.67 प्रतिशत था और यह राजस्व प्राप्तियों का 74.87 प्रतिशत था इस प्रकार वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्ति का लगभग 25 प्रतिशत अन्य व्यय के लिए उपलब्ध था।

(पैरा 2.4.2.1)

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने दो कंपनियों और एक निगम में ₹83.27 करोड़ का निवेश किया और 31 मार्च 2021 तक कुल ₹162.39 करोड़ का निवेश था। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के पास 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक 38 कंपनियों (₹4,148.83 करोड़), तीन सांविधिक निगमों (₹374.34 करोड़), आठ सहकारी संस्थानों/ स्थानीय निकायों

(₹47.83 करोड़), दो ग्रामीण बैंकों (₹45.82 करोड़) एवं दो संयुक्त स्टॉक कंपनियों (₹0.34 करोड़) में ₹4,617.16 करोड़ राशि का संचयी निवेश था जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य विभाजित नहीं किया गया था।

(पैरा 2.4.3.2.)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने ₹61.64 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम संवितरित किये और ₹1.93 करोड़ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली की। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने ₹32.50 करोड़ की राशि जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को स्वीकृत की जिसके पास पहले से ही 31 मार्च 2020 की समाप्ति तक ₹406.73 करोड़ (₹383.73 करोड़ तत्कालीन राज्य से तथा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से ₹23 करोड़ प्राप्त हुए) के बकाया ऋण थे।

(पैरा 2.4.3.3)

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की आरक्षित निधियों के अंतर्गत शेष ₹771.13 करोड़ था। 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक आरक्षित निधियों में ₹2,806 करोड़ की राशि का संचयी कुल शेष था जिसे 31 मार्च 2021 तक दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य द्विभाजित नहीं किया गया था।

(पैरा 2.5.2)

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अनिवार्य न्यूनतम दैनिक नकद शेष ₹1.14 करोड़ को बिना विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/ ओवरड्राफ्ट लिए 47 दिनों तक बनाये रखा और 260 दिनों तक सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करके न्यूनतम शेष को बनाये रखा, इसके अलावा 58 दिनों तक सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट लिया गया था।

(पैरा 2.7.3)

अध्याय-III बजटीय प्रबंधन:

16 अनुदानों में 53 योजनाओं/ उपशीर्षों के अंतर्गत ₹6,714.34 करोड़ की राशि बजटीय प्रावधानों के बिना व्यय की गयी थी जिसे नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

(पैरा 3.3.1)

वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्व व्यय की ₹189.81 करोड़ की राशि, व्यय के पूँजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत संवितरित की गयी थी, जिसका परिणाम पूँजीगत

व्यय के अधिक आंकलन और राजस्व व्यय के कम आंकलन तथा ₹189.81 करोड़ की सीमा तक राजस्व घाटे के रूप में हुआ।

(पैरा 3.3.2)

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹50 लाख या उससे अधिक को शामिल करते हुए 11 मामलों में प्राप्त कुल ₹12,393.19 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया था

(पैरा 3.3.3)

पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹31,987.59 करोड़ की राशि की 25 अनुदानों में विभागों द्वारा ₹100 करोड़ और इससे अधिक की बृहत् बचतें थी।

(पैरा 3.4)

35 अनुदानों में से, 34 अनुदानों में उपयोगिता 20 प्रतिशत और 83 प्रतिशत के बीच रही। शेष एक अनुदान में 11 प्रतिशत तक अधिक उपयोगिता रही थी जिसका परिणाम वर्ष 2020-21 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य के रूप में हुआ।

(पैरा 3.4.1)

वर्ष के दौरान 139 योजनाओं को शामिल करते हुए 25 अनुदानों के अंतर्गत ₹18,134.91 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान अनुप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप जनसाधारण अभिप्रेत लाभों से वंचित रहा।

(पैरा 3.5)

वर्ष 2020-21 के दौरान अनुदान संख्या 08 (वित्त विभाग) में पूँजीगत प्रभारित अनुभाग के अंतर्गत ₹7,094.29 करोड़ की राशि के किये गये आधिक्य व्यय को नियमित किया जाना है।

(पैरा 3.5.1)

चार अनुदानों में, वर्ष के कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय केवल मार्च 2021 के दौरान ही किया गया है और व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का 56 प्रतिशत और 64 प्रतिशत के बीच रहा। इसी प्रकार, सात अनुदानों में वर्ष के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया है और व्यय का प्रतिशत 57 प्रतिशत और 76 प्रतिशत के बीच रहा।

(पैरा 3.8.2)

अध्याय-IV वित्तीय रिपोर्टिंगः

विभिन्न विभागों के प्रति ₹10,076.58 करोड़ की राशि को शामिल करते हुए अनुदानों के संबंध में 3,215 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2021 तक बकाया थे।

(पैरा 4.4)

31 जनवरी 2021 तक 356 एसी बिलों पर आहरित ₹5,280.71 करोड़ की आहरित राशि प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), जम्मू एवं कश्मीर को प्रस्तुत नहीं की गयी। तत्कालीन राज्य से संबंधित 30 अक्टूबर 2019 तक आहरित ₹6,885.63 करोड़ की राशि के 2,237 संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों के संबंध में विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल भी प्रतीक्षित थे।

(पैरा 4.5)

वित्त लेखाओं में प्रासंगिक शीर्षों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दर्शाने के बजाय वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹3,741.00 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 7.13 प्रतिशत) को लघु शीर्ष-800-'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और ₹4,677.34 करोड़ का व्यय (कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का लगभग 7.41 प्रतिशत) लघु शीर्ष 800-'अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किया गया था जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करते हैं।

(पैरा 4.6)

वर्ष 2020-21 के दौरान,₹48,444.58 करोड़ की प्राप्तियों (लोक ऋण को छोड़कर संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की ₹52,495.48 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 92.28 प्रतिशत) और ₹40,905.14 करोड़ के व्यय (कुल राजस्व का 64.82 प्रतिशत) तथा ₹63,104.13 करोड़ का पूँजीगत व्यय का मिलान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) के साथ किया गया।

(पैरा 4.8)

वर्गीकरण गलत था और विभिन्न रूप से दिये गये सहायता अनुदान के संबंध में विवरण उपलब्ध (आईजीएएस 2) नहीं कराया गया था। बकायों की वसूलियों और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत (आईजीएएस 3) नहीं की गयी थी।

(पैरा 4.10)

अध्याय-V सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन:

31 मार्च 2021 तक, विद्युत क्षेत्र में पीएसयू की इक्विटी में ₹5,073.32 करोड़ के कुल निवेश में से, जीओजेएण्डके द्वारा ₹2,593.54 करोड़ (51.12 प्रतिशत) का अंशदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्रों के 36 पीएसयू में ₹969.10 करोड़ का कुल निवेश था। सरकार ने विद्युत क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र में कार्य कर रहे पीएसयू को ₹1,437.72 करोड़ का ऋण भी दिया था।

(पैरा 5.4.1)

वर्ष 2020-21 के दौरान जीओजेएण्डके से पीएसयू द्वारा ₹3,151.70 करोड़ की बजटीय सहायता प्राप्त की थी।

(पैरा 5.4.2)

जेएण्डके बैंक लिमिटेड के शेयरों का बाजार मूल्य 31 मार्च 2020 तक ₹881.83 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 तक ₹1,901.35 करोड़ था।

(पैरा 5.4.5)

अध्याय-I

विहंगावलोकन

अध्याय-I

विहंगावलोकन

यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण की व्याख्या करता है तथा अंतर्निहित आँकड़े सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचियों के वृहत्-राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटे/अधिशेष सहित संघ शासित क्षेत्र की मुख्य राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

1.1 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की रूपरेखा

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर 20 जिलों से मिलकर बना है। 2021 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की अनुमानित जनसंख्या 1.34 करोड़ थी तथा घनत्व 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। भारत और राज्यों के जनसंख्या अनुमानों 2011-2036 के अनुसार, वर्ष 2021-25 तक की अवधि के लिए, जनसंख्या वृद्धि 7.2 एवं शिशु मृत्यु दर 29 पर अनुमानित की गयी है।

1.1.1 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) दी गयी समयावधि में संघ शासित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी की वृद्धि अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समयावधि में राज्य/संघ शासित क्षेत्रके आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को व्यक्त करता है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को समान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का जीएसडीपी वर्ष 2020-21 के दौरान ₹1,76,282 करोड़ था।

तालिका 1.1. जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी

(₹करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21
जीडीपी (2011-12 श्रृंखला)	2,03,51,013	1,97,45,670
पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.75	-2.97
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला)	1,70,382	1,76,282

स्रोत: एमओएसपीआई, जीओआई वेबसाइट

**पिछले वर्ष की तुलना में जीएसडीपी की वृद्धि दर दो नये संघ शासित क्षेत्र अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर एवं संघ शासित क्षेत्र लद्दाख 'निर्धारित दिन' 31 अक्टूबर 2019 से गठन हुआ था, के रूप में नहीं दर्शाया गया है।*

1.2 संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 72 के संदर्भ में, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के प्रतिवेदनों को संघ शासित क्षेत्र के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाना है, जो उन्हें संघ शासित क्षेत्र के विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करायेंगे। संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 72 के अंतर्गत तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के नियंत्रणाधीन कार्यरत ऐसे लेखाओं को रखने के लिए उत्तरदायी राजकोषों, कार्यालयों एवं विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गए वाउचरों, चालानों और प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों से वार्षिक रूप से संघ शासित क्षेत्र के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है। इन लेखाओं की लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है तथा सीएण्डएजी द्वारा प्रमाणित की जाती है।

संघ शासित क्षेत्र के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए आधारभूत आँकड़े निर्मित करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है:

- संघ शासित क्षेत्र का बजट: इसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता तथा प्रासंगिक नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के साथ-साथ अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदण्डों और आबंटन प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा संचालित लेखापरीक्षा का निष्कर्ष;
- विभागीय प्राधिकारियों एवं राजकोषों के आँकड़े (एमआईएस के साथ-साथ लेखांकन)
- जीएसडीपी आँकड़े तथा अन्य संघ शासित क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी; तथा
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अन्य विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

वित्त आयोग (एफसी) की अनुशंसाओं, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा भारत सरकार की सर्वोत्तम रीतियों एवं दिशा निर्देशों के प्रसंग में भी विश्लेषण किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नानुसार पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है:

अध्याय-I	**विहंगावलोकन** यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण की व्याख्या करता है तथा अंतर्निहित आँकड़े, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचियों के वृहत-राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटे/ अधिशेष सहित संघ शासित क्षेत्र की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन उपलब्ध कराता है।
अध्याय-II	**संघ शासित क्षेत्र के वित्त** यह अध्याय संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के वित्त,ऋण की रूपरेखा का व्यापक दृष्टिकोण, राज्य वित्त लेखे पर आधारित, वर्ष 2020-21 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य लोक लेखा संव्यवहारों को उपलब्ध कराता है।
अध्याय-III	**बजटीय प्रबंधन** यह अध्याय वर्ष 2020-21 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विनियोग लेखे पर आधारित है तथा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विनियोगों एवं आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलनों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
अध्याय-IV	**लेखाओं एवं वित्तीय रिपोर्टिंग रीतियों की गुणवत्ता** यह अध्याय संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखाओं की गुणवत्ता तथा सरकार के विभिन्न विभागीय कर्मियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों एवं विनियमों के अनुपालन नहीं करने से संबंधित मामलों पर टिप्पणी करता है।
अध्याय-V	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन** इस अध्याय में वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन के बारे में टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं।

1.4 सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा गया है:

1. **संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि (जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 67)**

   इस निधि में जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में भारत सरकार अथवा जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के उपराज्यपाल द्वारा किसी मामले के संबंध में प्राप्त सभी राजस्व शामिल हैं, जिसके संबंध में जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा भारत की समेकित निधि से जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को दिये गये सभी अनुदानों और सभी ऋण तथा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत सरकार या संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा लिये गये सभी ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का निर्माण करेगी। इस निधि से कानून के अनुसार और उद्देश्यों के लिए तथा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में प्रावधान किये गये तरीकों के अतिरिक्त कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता।

2. **संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की आकस्मिकता निधि (जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 69(1))**

   यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे विधानमण्डल द्वारा कानून द्वारा स्थापित किया गया है तथा कानून द्वारा विनियोजन के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विधानमण्डल द्वारा प्राधिकार के लिए लंबित ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु उपराज्यपाल के निपटान पर रखा गया है। इस निधि की प्रतिपूर्ति संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष से संबंधित व्यय को डेबिट करके की जाती है।

3. **संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का लोक लेखा (जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 68(1))**

   उपर्युक्त के अलावा, उपराज्यपाल द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशि को लोक लेखा जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लोक लेखा के नाम से जाना जाएगा, में जमा किया जाएगा। लोक लेखा में

लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमाएं (ब्याज वहन करने वाली एवं ब्याज वहन नहीं करने वाली), अग्रिमों, आरक्षित निधियाँ (ब्याज वहन करने वाली एवं ब्याज वहन नहीं करने वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों निक्षेपागार शीर्ष हैं, अंतिम बुकिंग लंबित है) जैसे पुनर्शोध्य शामिल हैं। लोक लेखा के अंतर्गत सरकार के साथ उपलब्ध निवल नकद शेष को भी शामिल किया जाता है। लोक लेखा विधानमण्डल के मत के अध्यधीन नहीं है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 41 के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र के विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का निर्माण करता है। इसके अलावा, बजट को अन्य व्ययों से राजस्व लेखा पर व्यय को अलग करना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/ शुल्कों का अंश तथा भारत सरकार से अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में संघ शासित क्षेत्र सरकार के वे सभी व्यय शामिल हैं जो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन में फलित नहीं है। यह उन व्यय से संबंधित है जो सरकारी विभागों एवं विभिन्न सेवाओं के सामान्य रूप से कार्य करने, सरकार द्वारा व्यय किये गये ऋण पर ब्याज भुगतानों तथा विभिन्न संस्थानों को दिये गये अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन के आशय से दिये गये हों) से संबंधित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल है:

- **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बंधपत्र, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल संव्यवहार, केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, इत्यादि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ**: विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ;

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश तथा पीएसयू एवं अन्य पार्टी को सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमों पर व्यय शामिल है।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कि प्रकार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है।

	संव्यवहार के लक्षण	वर्गीकरण
सीजीए द्वारा एलएमएमएच में मानकीकृत	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंक)
	उप-कार्य	उपमुख्य शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों/ संघ शासित क्षेत्र के लिए छोड़ा गया लचीलापन	योजना	उपशीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	वस्तु शीर्ष-वेतन, लघु निर्माण कार्य, इत्यादि (2-अंक)

1.4.1 सरकारी लेखाओं की संरचना

सरकारी वित्त में निम्नलिखित सम्मिलित है:

चार्ट 1.1: सरकारी लेखाओं की संरचना

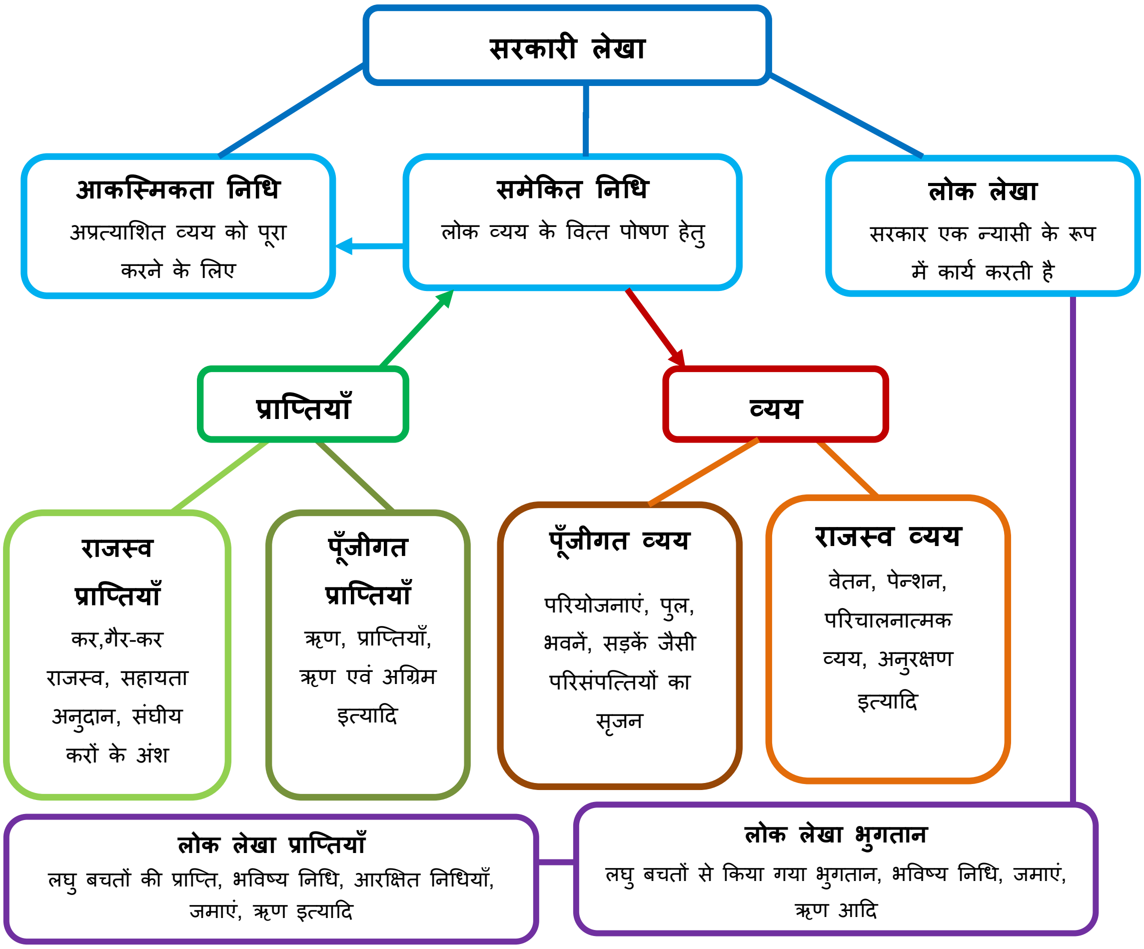

1.4.2 बजटीय प्रक्रिया

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 41 के संदर्भ में, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में, वर्ष के लिये संघ शासित क्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियों एवं

व्यय का विवरण, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा के समक्ष रखा जाना है। धारा 42 के संदर्भ में, विवरण राज्य विधानमण्डल को अनुदानों/विनियोगों हेतु मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा इनके अनुमोदनोपरांत, धारा 43 के अंतर्गत विधानमण्डल द्वारा समेकित निधि से आवश्यक धन के विनियोग हेतु विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (II), खण्ड 3, धारा 3, उप-धारा (ii), एस.ओ. 3938(ई) दिनांक 31 अक्टूबर 2019 के अनुसरण में, 31 अक्टूबर 2019 को जारी उद्घोषणा के परिणामस्वरूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (II), खण्ड 3, धारा 3, उप-धारा (ii), एस.ओ. 3937(ई) दिनांक 31 अक्टूबर 2019, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 74 तथा संविधान के अनुच्छेद 239 एवं 239ए के साथ पठित जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के अंतर्गत है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान एवं विनियोग को अधिकृत करने के लिए विधेयक, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय और किए गए अनुदानों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के व्यय के लिए संसद में प्रस्तुत किया गया था और मार्च 2020 में इसे मंजूरी दी गई थी। वर्ष 2020-21 के लिए बजट संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा 2020-21 की अवधि के व्यय के लिए विनियोग विधेयक मार्च 2020 में संसद में प्रस्तुत किए गए थे। वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लिए विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा की गई थी और इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में टिप्पणी की गई है।

1.5 वित्त का संक्षिप्त अवलोकन

कुछ घटकों के संबंध में बजट अनुमान एवं वास्तविकताओं ***(परिशिष्ट 1.1)*** की स्थिति **तालिका 1.2** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.2: वर्ष 2020-21 के लिए बजट के प्रति वास्तविकताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	(बजट अनुमान)	(वास्तविक)	बी.ई. हेतु वास्तविकताओं का प्रतिशत	जीएसडीपी हेतु वास्तविकताओं का प्रतिशत
1	स्वयं के कर राजस्व	13,241	8,877	67.04	5.04
2	स्वयं के गैर-कर राजस्व	4,065	4,077	100.30	2.31
3	संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	15,200	0.00	0.00	0.00

4	सहायता अनुदान एवं अंशदान	54,594	39,542	72.43	22.43
5	अतिरिक्त संसाधन जुटाव	4,000	0.00	0.00	0.00
6	**राजस्व प्राप्तियाँ(1+2+3+4+5)**	**91,100**	**52,496**	**57.62**	**29.78**
7	ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	5	2	40.00	0.00
8	अन्य प्राप्तियाँ	84	0.00	0.00	0.00
9	उधार तथा अन्य देयताएं	10,240	10,693#	104.42	6.07
10	**पूँजीगत प्राप्तियाँ (7+8+9)**	**10,329**	**10,695**	**103.54**	**6.07**
11	**कुल प्राप्तियाँ (6+10)**	**1,01,429**	**63,191**	**62.30**	**35.85**
12	**राजस्व व्यय**	**62,664**	**52,634**	**83.99**	**29.86**
13	ब्याज भुगतान	6,891	6,372	92.47	3.61
14	**पूँजीगत व्यय**	**38,764**	**10,532**	**27.17**	**5.97**
15	पूँजीगत परिव्यय	38,656	10,470	27.09	5.94
16	ऋण तथा अग्रिम	108	62	57.41	0.04
17	आकस्मिकता निधि से विनियोजन	0.00	25	-	0.01
18	**कुल व्यय (12+14+17)**	**1,01,428**	**63,191**	**62.29**	**35.85**
19	**राजस्व घाटा (6-12)**	**28,436**	**-138**	**-0.49**	**-0.08**
20	**राजकोषीय घाटा{18-(6+7+8)**	**10,240**	**10,693**	**104.42**	**6.07**
21	**प्राथमिक घाटा (20-13)**	**3,349**	**4,321**	**129.02**	**2.45**

स्रोत: बजट 2020-21 एवं वित्त लेखे 2020-21 #उधार तथा अन्य देयताएं: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+ आकस्मिकता निधि का निवल + लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + अथ एवं अंत नकद शेष का निवल। जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में जीओआई से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल हैं।

राजस्व प्राप्तियाँ के अंतर्गत (₹38,604 करोड़) कम प्राप्ति थी, यह बजट प्राक्कलनों के संबंध में स्वयं के कर राजस्व (₹4,364 करोड़), संघीय करों के अंश (₹15,200 करोड़), अतिरिक्त संसाधन जुटाव (₹4,000 करोड़), जीओआई से सहायता अनुदान (₹15,052 करोड़) के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण थी। राजस्व व्यय बजट अनुमानों के संबंध में ₹10,030 करोड़ तक कम था। इनका परिणाम संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को बजट प्राक्कलन में अनुमानित ₹28,436 करोड़ राजस्व अधिशेष के प्रति ₹138 करोड़ के राजस्व घाटे के रूप में हुआ।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि, वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹2,171.22 करोड़ का जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र (यूटी) जम्मू एवं कश्मीर को भी यूटी सरकार की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत ₹2,099.80 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण प्राप्त हुए, जिसमें यूटी के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं थी।

1.5.1 सरकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का संक्षिप्त अवलोकन

सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को रखा जाता है। ***परिशिष्ट 1.2*** संबंधित विगत वर्ष की स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2021 तक ऐसी देयताओं एवं परिसंपत्तियों का सार प्रदान करता है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखाओं और आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं तथा परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय तथा संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। देयताओं एवं परिसंपत्तियों की संक्षिप्त स्थिति को **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों एवं देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं			**परिसंपत्तियाँ**		
		2020-21			**2020-21**
समेकित निधि					
क	आंतरिक ऋण	10,562	क	सकल पूँजीगत परिव्यय	15,893
ख	भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	2,105	ख	ऋण तथा अग्रिम	95
ग	आकस्मिकता निधि को हस्तांतरण	25			-
आकस्मिकता निधि		-	**आकस्मिकता निधि**		**-**
लोक लेखा					
क	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	2,186	क	अग्रिम	-
ख	जमाएं	1,356	ख	प्रेषण	-
ग	आरक्षित निधियाँ	771	ग	उचंत एवं विविध	-
घ	प्रेषण	635	**नकद शेष (चिह्नित निधि में निवेश सहित)**		1,448
ङ	उचंत एवं विविध शेष	121	**कुल**		**17,436**
		-	**राजस्व लेखाओं में घाटा**		**325**
कुल		**17,761**	**कुल**		**17,761**

स्रोत:वित्त लेखे

**जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में जीओआई से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल हैं।*

इसके अतिरिक्त, 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की ₹1,05,056 करोड़ की परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ थी जिसे अभी तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर एवं संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य विभाजित किया जाना है।

1.6 राजकोषीय शेषः घाटा एवं कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत संसद में प्रस्तुत विवरण के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए कोई राजकोषीय संकेतक-रोलिंग लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे।

1.6.1 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के राजकोषीय मापदण्ड

राजस्व घाटाः राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के मध्य अंतर राजस्व घाटा है। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का राजस्व घाटा ₹138.27 करोड़ था, जोकि जीएसडीपी का 0.08 प्रतिशत था।

राजकोषीय घाटा: राजकोषीय घाटा सरकार की उधारियों को छोड़ते हुए कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियों के मध्य अंतर है। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का राजकोषीय घाटा ₹10,693.36 करोड़ था, जो जीएसडीपी का 6.07 प्रतिशत था।

प्राथमिक घाटा/अधिशेष राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतानों को घटाने के संदर्भ में है। वर्ष 2020-21के दौरान, प्राथमिक घाटा (पीडी) ₹4,320.90 करोड़ था। प्राथमिक घाटा वर्ष के दौरान जीएसडीपी का 2.45 प्रतिशत था।

1.7 लेखापरीक्षा में जाँच के पश्चात् घाटा

संघ शासित प्रदेश वित्त का बेहतर चित्र प्रस्तुत करने के लिए, राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने तथा ऑफ बजट राजकोषीय परिचालनों को संचालित करने की प्रवृत्ति है।

1.7.1 पश्च लेखापरीक्षा-घाटे

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण, नई पेन्शन योजना में कम अंशदान ने राजस्व एवं राजकोषीय घाटा को प्रभावित किया है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के पश्चात, राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

क्र. सं.	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव {कम आंकलित (+)/ अधिक आंकलित (-)} (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव कम आंकलन (₹ करोड़ में)
1	राजस्व एवं पूँजीगत के मध्य गलत वर्गीकरण	189.81	कोई प्रभाव नहीं
2	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि एमएच 8121 पर ब्याज का भुगतान न करना	13.88	13.88

क्र. सं.	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव {कम आंकलित (+)/ अधिक आंकलित (-)} (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव कम आंकलन (₹ करोड़ में)
3	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा एमएच 8336 पर ब्याज का भुगतान न करना	10.03	10.03
4	परिभाषित अंशदायी पेन्शन निधि में कम अंशदान	36.84	36.84
	कुल निवल प्रभाव	**250.56**	**60.75**

स्रोत:वित्त लेखे.

वर्ष 2020-21 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं में राजस्व घाटा ₹138.27 करोड़ का था जिसे पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि एवं जमा पर ब्याज भुगतान नहीं करने, परिभाषित अंशदायी पेन्शन निधि में कम अंशदान के कारण ₹250.56 करोड़ तक कम बताया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹10,693.36 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो कि राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा पर ब्याज का भुगतान न करने एवं परिभाषित अंशदायी पेन्शन निधि में कम अंशदान के कारण ₹60.75 करोड़ तक कम बताया गया जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है।

1.7.2 पश्च लेखापरीक्षा- कुल लोक ऋण

जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार, कुल देयताओं का तात्पर्य, समेकित निधि एवं लोक लेखा के अंतर्गत देयताएं तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उधार एवं प्रत्याभूति सहित विशेष प्रयोजन वाहन और अन्य समकक्ष उपकरण शामिल हैं, जहाँ मूलधन और/या ब्याज को बजट से बाहर किया जाना होता है, से है। बकाया ऋण/देयताओं को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है जैसा कि नीचे **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका 1.5: 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण/देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

वित्त लेखे के अनुसार उधार और अन्य देयताएं	राशि
आंतरिक ऋण (क)	**10,562.20**
बाजार ऋण	**9,435.22**
अन्य संस्थानों, इत्यादि से ऋण	**1,692.29**
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि से जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	**(-)565.31**
केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ख)	**2,105.44**
गैर-योजना ऋण	15.10

वित्त लेखे के अनुसार उधार और अन्य देयताएं	**राशि**
राज्य/ संघ शासित क्षेत्र आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	(-)175.81
अन्य	2,281.25*
लोक लेखाओं पर देयताएँ (ग)	**5,068.28**
लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	2,185.97
जमाएं	1,355.53
आरक्षित निधियाँ	771.13
उचंत एवं विविध शेष	121.15
प्रेषण	634.50
कुल(क+ख+ग)	**17,735.92**

स्रोत: वित्त लेखे

** जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में जीओआई से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल हैं।*

वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर, संघ शासित क्षेत्र के समग्र बकाया ऋण/देयताओं को उचंत, विविध एवं प्रेषण शेष के लिए लेखावद्ध नहीं करते हुए ₹755.65 करोड़ तक कम बताया गया था, जिससे जीएसडीपी के संबंध में इसे 0.43 प्रतिशत तक कम बताया गया। उचंत एवं विविध और प्रेषण के कारण देयता को ध्यान में रखने के उपरांत जीएसडीपी के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की देयताएं 8.44[1] प्रतिशत से 10.06 प्रतिशत बढ़ जाएंगी।

[1] 8.44 का समग्र ऋण जीएसडीपी अनुपात, बकाया समग्र ऋण से ऋण प्राप्तियों के तहत भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त *₹2,099.80 करोड़* के जीएसटी क्षतिपूर्ति को शामिल करने के बाद निकाला गया है। बैक-टू-बैक ऋण को किसी भी मानदंड के लिए संघ शासित क्षेत्र के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा, जो कि वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

अध्याय-II

संघ शासित क्षेत्र के वित्त

अध्याय-II

संघ शासित क्षेत्र के वित्त

यह अध्याय वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त का व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है।

2.1 वर्ष 2019-20 की तुलना में प्रमुख राजकोषीय राशियों में मुख्य परिवर्तन

वर्ष 2020-21 के लिए संघ शासित क्षेत्र की प्रमुख मूल राजकोषीय राशियों की तुलना 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए राजकोषीय राशियों से नहीं की जा सकती है।

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग के घटकों के सारांश निम्नानुसार हैं:

तालिका 2.1: वर्ष 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020-21
स्रोत	आरबीआई के पास अथ नकद शेष राशि एवं अन्य नकद शेष	1,482.28
	राजस्व प्राप्तियाँ	52,495.48
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1.93
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	9,169.61
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	1,464.16
	कुल	**64,613.46**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	52,633.75
	पूँजीगत व्यय	10,470.38
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	61.64
	आरबीआई के पास अंत नकद शेष एवं अन्य नकद शेष	1,447.69
	कुल	**64,613.46**

स्रोत: वित्त लेखे.

राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत राजस्व प्राप्ति है एवं अधिकांश संसाधनों का उपयोग राजस्व व्यय के प्रतिकिया गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि में निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग का संघटन **चार्ट 2.1** एवं **चार्ट 2.2** में दिया गया है।

(प्रतिशत में)

चार्ट 2.1 संसाधनों का संघटन **₹ से आता है**	**चार्ट 2.2 संसाधनों का अनुप्रयोग** **₹ को जाता है**
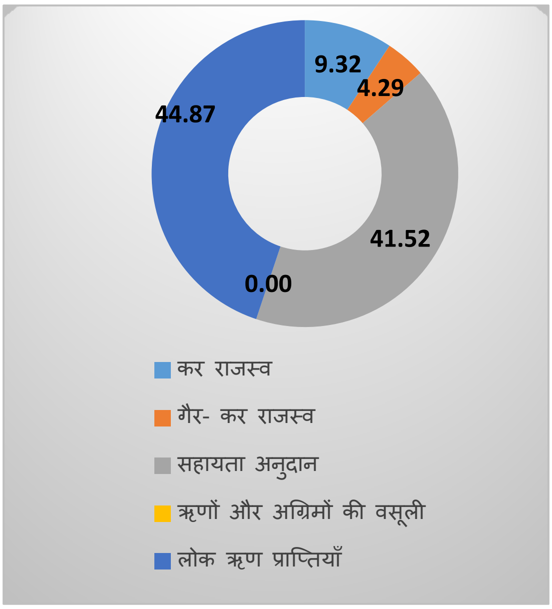	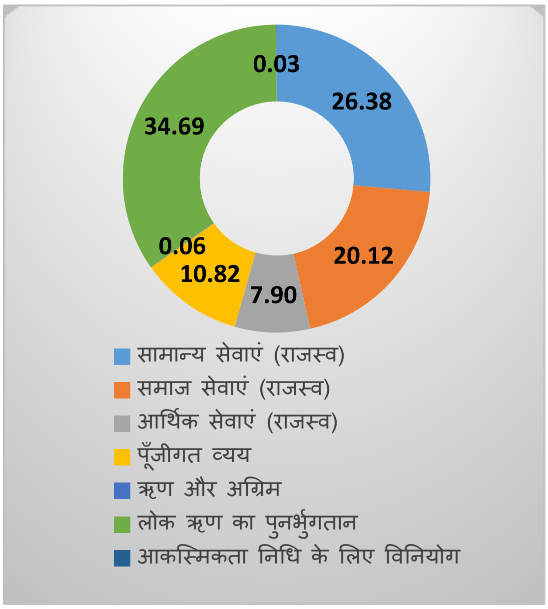

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के संसाधनों के 86.39 प्रतिशत तक लोक ऋण प्राप्तियों एवं सहायता अनुदान को लेखाबद्ध किया गया। लोक ऋण का पुनर्भुगतान एवं सामान्य सेवाओं पर व्यय (राजस्व) कुल व्यय के 61.07 प्रतिशत के लिए दोनों को एक साथ लेखाबद्ध किया गया।

2.3 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के संसाधन

संघ शासित क्षेत्र के संसाधनों का वर्णन निम्नलिखित है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (जीओआई) से सहायता अनुदान शामिल हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियाँ) से ऋण प्राप्तियाँ तथा जीओआई से ऋण एवं अग्रिमों जैसी विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं। दोनों राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि के भाग का निर्माण करती हैं।
3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ:** इसमें लघु बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ, जमाएं, उचंत, प्रेषण, इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं हैं, जैसे निश्चित संव्यवहारों से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण शामिल हैं। इन्हें तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा

68(1) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा संघ शासित क्षेत्र के विधानमण्डल के मत के अध्यधीन नहीं है। यहाँ, सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरणों के उपरांत शेष सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2.3.1 संघ शासित क्षेत्र की प्राप्तियाँ

राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों की दो शाखाएं हैं जो संघ शासित क्षेत्र सरकार के संसाधनों का निर्माण करती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (जीओआई) से सहायता अनुदान शामिल हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियाँ) से ऋण प्राप्तियाँ तथा लोक लेखा से प्रोद्भूत राशियों के साथ-साथ जीओआई से ऋणों एवं अग्रिमों जैसी विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान संघ शासित क्षेत्र के संसाधनों के संघटन को दर्शाने वाला **चार्ट 2.3** नीचे दिया गया है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की प्राप्तियों का संघटन

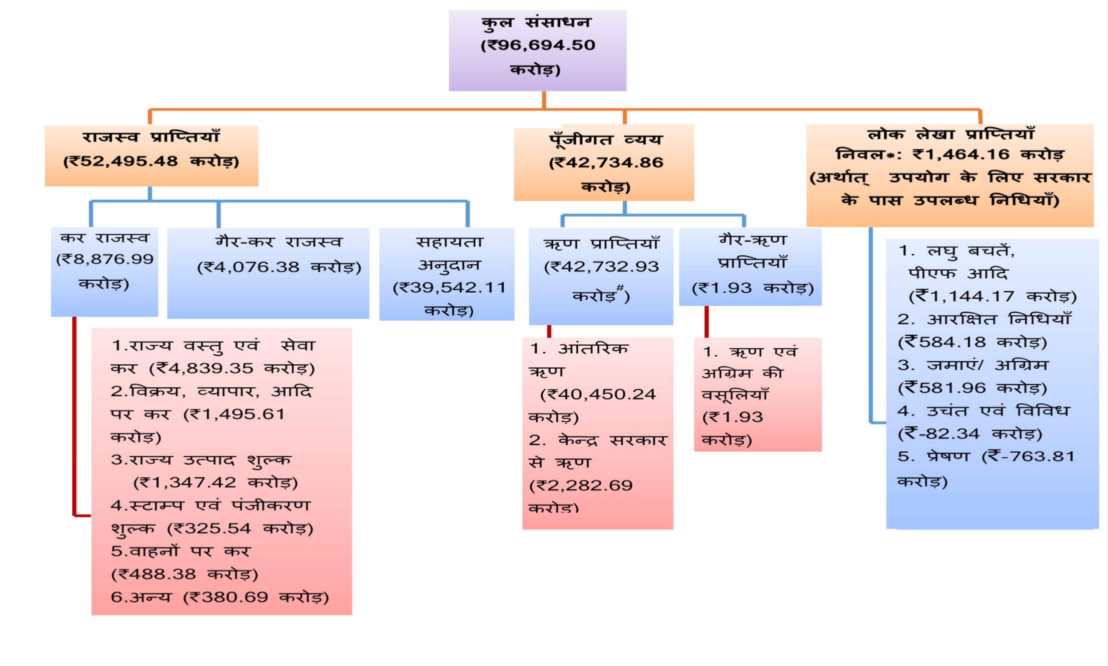

*स्रोत: वित्त लेखे *लोक लेखा प्राप्तियाँ निवल (₹1,464.16 करोड़)=लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹24,833.82 करोड़) कम लोक लेखा संवितरण (₹23,369.66 करोड़) **जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले जीओआई से प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल है। #अर्थोपाय अग्रिम सहित।*

2.3.2 संघ शासित क्षेत्र की राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष 2020-21 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र की राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटक **तालिका 2.2** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.2: राजस्व प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2020-21	प्रतिशतता
राजस्व प्राप्तियाँ (आरआर)	52,495.48	
स्वयं के कर राजस्व	8,876.99	16.91
स्वयं के गैर-कर राजस्व	4,076.38	7.77
भारत सरकार से सहायता अनुदान	39,542.11	75.32
जीएसडीपी	1,76,282	
जीएसडीपी में राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)	29.78	

जीएसडीपी आँकड़ों के स्रोत: वेबसाइट एमओएसपी आईजीओआई

चार्ट 2.4 राजस्व प्राप्तियों के घटक

(प्रतिशत में)

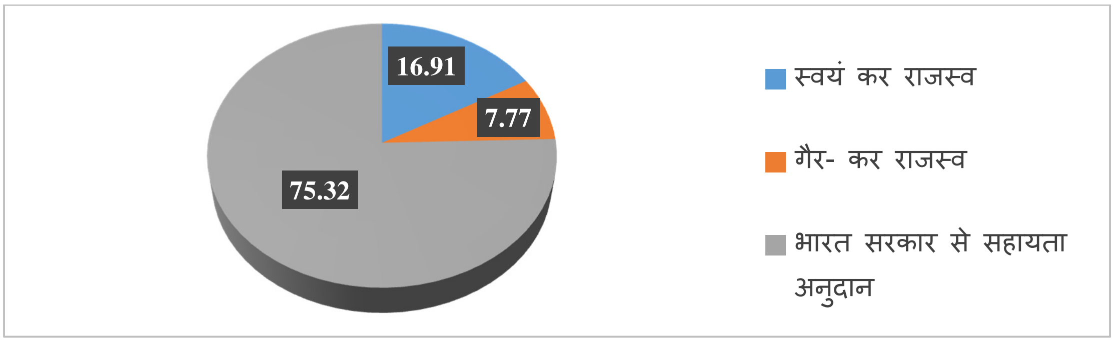

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹52,495.48 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों में से, भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹39,542.11 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 75.32 प्रतिशत था।

2.3.2.1 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के स्वयं के संसाधन

संसाधनों को जुटाने में सरकार के निष्पादन का आंकलन, अपने संसाधनों जिसमें स्वयं के कर और गैर-कर स्रोतों से राजस्व शामिल हैं, के संदर्भ में किया जाता है। स्वयं के कर राजस्व और स्वयं के गैर-कर राजस्व एवं इसके घटकों का विवरण निम्नलिखित उप पैराग्राफों में दिया गया है।

(क) स्वयं के कर राजस्व

संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के कर राजस्वों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), संघ शासित क्षेत्र उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व, वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर, इत्यादि शामिल हैं। स्वयं के कर राजस्व का घटक-वार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: स्वयं के कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2020-21	प्रतिशत
बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	1,495.61	16.85
एसजीएसटी	4,839.35	54.51
राज्य उत्पाद शुल्क	1,347.42	15.18
वाहनों पर कर	488.38	5.50
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क	325.54	3.67
भू-राजस्व	60.57	0.68
वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	0.90	0.01
अन्य कर	319.22	3.60
कुल	**8,876.99**	**100**

स्रोत:वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के स्वयं के कर राजस्व का बिक्री कर एवं एसजीएसटी एक साथ 71.36 प्रतिशत तथा तथा राज्य उत्पाद शुल्क स्वयं के कर राजस्व का 15.18 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान स्वयं का कर राजस्व बजट 2020-21 (₹13,241 करोड़) में किये गये अनुमान से कम था।

(ख) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार, 5 वर्षों तक की अवधि के लिए, आधार वर्ष से 14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में होने वाली कमी के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति की जाएगी। केन्द्र वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) की उगाही करता है तथा राज्य, जहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग किया जाता है, राज्य के कर के अंश का प्रभाजन करता है। राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम का कार्यान्वयन किया जो 8 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार, केन्द्र सरकार राज्यों/संघ शासित क्षेत्र को पाँच वर्षों तक की अवधि के लिए जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राजस्व में होने वाली कमी के लिए क्षतिपूर्ति करेगी। राज्य/संघ शासित क्षेत्र को देय क्षतिपूर्ति की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम राजस्व आँकड़ों के प्राप्त होने के बाद की जाएगी, जैसा कि भारत के सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की गयी। राजस्व आँकड़ों के आधार वर्ष (2015-16) को जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अंतिम रूप दिया गया था। जम्मू एवं कश्मीर के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹4,766.30 करोड़ था। एक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में किसी वर्ष के लिए संरक्षित राजस्व की गणना उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र के आधार वर्ष राजस्व पर अनुमानित वृद्धि दर (14 प्रतिशत

प्रति वर्ष) लागू करते हुए की जाएगी। आधार वर्ष आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए संरक्षित राजस्व ₹9,177.10 करोड़[1] था। संरक्षित राजस्व के प्रति, वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी में सम्मिलित करों के संग्रहण सहित जीएसटी के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹4,861.71 करोड़ थी, जैसा कि **तालिका 2.4** में वर्णित है। जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण ₹4,315.39 करोड़ के वास्तविक हानि के प्रति, जीओआई ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले संघ शासित क्षेत्र को ₹2,099.80 करोड़ की राशि के बैक-टू-बैक ऋणों को निर्मोचित करने के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में ₹4,271.02 करोड़ की राशि की क्षतिपूर्ति निर्मोचित की है। इसका परिणाम ₹44.37 करोड़ की सीमा तक कम क्षतिपूर्ति के रूप में हुआ जैसाकि नीचे दिया गया है।

तालिका 2.4: संग्रहित प्री-जीएसटी एवं एसजीएसटी, संरक्षित राजस्व के प्रति आईजीएसटी तथा जीओआई से प्राप्त क्षतिपूर्ति का अनंतिम विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संरक्षित किये जाने वाले राजस्व	संग्रहित प्री-जीएसटी#	संग्रहित एसजीएसटी*	आईजीएसटी का प्रभाजन	प्राप्त कुल राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति	कुल	अधिशेष (+)/ कमी (-)
2020-21	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7=(5+6)	8=(1-7)
कुल	**9,177.10**	**22.36**	**1,528.36**	**3,310.99**	**4,861.71**	**4,271.02^**	**9,132.73**	**(-)44.37**

*# स्रोत: राज्य सरकार * स्रोत:वित्त लेखे ^जीओआई से जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले ₹2,099.80 करोड़ की राशि के बैक-टू-बैक ऋण सहित*

(ग) जीएसटी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के संग्रहण के स्वचालन के साथ स्थापित होना, सभी संव्यवहारों की नमूना जाँचों से व्यापक जाँच में संक्रमण लेखाओं को प्रमाणित करने के सीएजी के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने हेतु लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक है। जीएसटीएन परिसर में पैन-इण्डिया डाटा तक पहुँच उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के निर्णय से 22 जून 2020 को अवगत कराया गया। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने नवम्बर 2020 से जीएसटीएन बैक-एन्ड सिस्टम तक पहुँच उपलब्ध कराने तथा लेखापरीक्षा को जीएसटीएन बैक-एन्ड सिस्टम तक पहुँच हेतु आईडी आधारित पासवर्ड उपलब्ध कराने के अपने निर्णय से अवगत कराया।

[1] वर्ष 2020-21 के लिए 4,766.30x(1+14/100)5=9,177.10

(घ) गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ, इत्यादि शामिल हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र के गैर-कर राजस्व के घटकों को **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: संघ शासित क्षेत्र के गैर-कर राजस्व केघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2020-21	प्रतिशत
ब्याज प्राप्तियाँ	17.86	0.44
लाभांश एवं लाभ	0.00	0.00
अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	4,058.52	-
क) विद्युत विकास विभाग	2,349.74	57.64
ख) मध्यम सिंचाई	996.66	24.45
ग) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	227.91	5.59
घ) जलापूर्ति एवं स्वच्छता	93.89	2.30
ङ) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	41.33	1.01
च) पुलिस	39.91	0.98
छ) अन्य विविध	309.08	7.59
कुल	**4,076.38**	**100.00**

स्रोत: वित्त लेखे

बिजली की बिक्री से प्राप्तियाँ, गैर-कर राजस्व का एक प्रमुख घटक होने के कारण 57.64 प्रतिशत थी तथा वर्ष 2020-21 के दौरान मध्यम सिंचाई से राजस्व कुल गैर-कर राजस्व का 24.45 प्रतिशत था।

2.3.2.2 केन्द्र से हस्तांतरण

वित्त आयोग पंचाट के अंतर्गत भारत सरकार से सहायता अनुदान तथा हस्तांतरण का निर्माण केन्द्र से हस्तांतरणों से होता है।

(क) भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 2.6: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2020-21
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान	6,533.49
वित्त आयोग अनुदान	0
विधानमण्डल वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान	33,008.62
कुल	**39,542.11**
राजस्व प्राप्तियों में जीआईए का प्रतिशत	75.32

स्रोत: वित्त लेखे.

भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹39,542.11 करोड़) वर्ष 2020-21 के लिए ₹52,495.48 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 75.32 प्रतिशत था।

(ख) 15वां वित्त आयोग

15वें वित्त आयोग पंचाट के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र को करों के किसी अंश का हस्तांतरण नहीं हुआ है।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा जीओआई से ऋण और अग्रिम जैसी विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं।

तालिका 2.7 पूँजीगत प्राप्तियों का संघटन

(₹ करोड़ में)

संघ शासित क्षेत्र की प्राप्तियों के स्रोत	**2020-21**
पूँजीगत प्राप्तियाँ	**42,734.86**
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	*0*
ऋण और अग्रिमों की वसूली	*1.93*
लोक ऋण प्राप्तियाँ	**42,732.93**
आंतरिक ऋण	*40,450.24*
जीओआई से ऋण और अग्रिम	*2,282.69**

*स्रोत: वित्त लेखे। *जीओआई ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले ₹2,099.80 करोड़ की राशि के बैक-टू-बैक ऋण सहित।*

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की पूँजीगत प्राप्तियाँ ₹42,734.86 करोड़ थी तथा कुल पूँजीगत प्राप्तियों के प्रमुख भाग ₹40,450.24 करोड़ की राशि आंतरिक ऋण के रूप में थी। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने ₹2,282.69 करोड़ की राशि भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों के रूप में प्राप्त की थी जिसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋणों के रूप में ₹2,099.80 करोड़ की राशि सम्मिलित है तथा ₹1.93 करोड़ की राशि ऋणों और अग्रिमों की वसूली के कारण थी।

2.3.4 संसाधनों के जुटाव में संघ शासित क्षेत्र का प्रदर्शन

संसाधनों के जुटाव में संघ शासित क्षेत्र के प्रदर्शन का आंकलन इसके स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर तथा स्वयं के गैर-कर स्रोत शामिल हैं, के संदर्भ में किया जाता है। वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के स्वयं के कर एवं स्वयं की गैर-कर प्राप्तियाँ नीचे दी गई हैं:

तालिका 2.8: अनुमानों की तुलना में कर एवं गैर-कर प्राप्तियाँ

	बजट अनुमान	**वास्तविक**	**बजट अनुमानों पर वास्तविक की प्रतिशतता**
स्वयं के कर राजस्व	13,241	8,876.99	67.04
स्वयं के गैर-कर राजस्व	4,065	4,076.38	100.28
कुल	**17,306**	**12,953.37**	**74.85**

स्रोत: बजट दस्तावेज एवं वित्त लेखे

स्वयं की कर प्राप्तियों के अंतर्गत संग्रहण बजट अनुमानों से 32.96 प्रतिशत तक कम रहा। संघ शासित क्षेत्र सरकार बजट अनुमानों में स्वयं के कर राजस्व का अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹12,953 करोड़ के संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के संसाधन (स्वयं के कर राजस्व एवं स्वयं के गैर-कर राजस्व) वर्ष 2020-21 के लिए ₹39,302.27 करोड़ की इसकी प्रतिबद्ध देयताओं (वेतन एवं मजदूरियाँ, ब्याज भुगतान तथा पेन्शन) को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर व्यय करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करे कि संघ शासित क्षेत्र की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया, पूँजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास के प्रति निदेशित व्यय की कीमत पर नहीं है। उप-पैराग्राफ संघशासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में व्यय के आबंटन का विश्लेषण करते हैं।

2.4.1 व्यय का संघटन

तालिका 2.9: कुल व्यय एवं इसका संघटन

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	**2020-21**	**प्रतिशत**
राजस्व व्यय (आरई)	52,633.75	83.32
पूँजीगत व्यय (सीई)	10,470.38	16.58
ऋण एवं अग्रिम	61.64	0.10
कुल व्यय (टीई)	**63,165.77**	**100**
टीई/जीएसडीपी	35.83	
आरई/जीएसडीपी	29.86	
सीई/जीएसडीपी	5.94	
ऋण एवं अग्रिम/जीएसडीपी	0.03	

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.5: कुल व्यय: इसके घटकों के अंश

(प्रतिशत में)

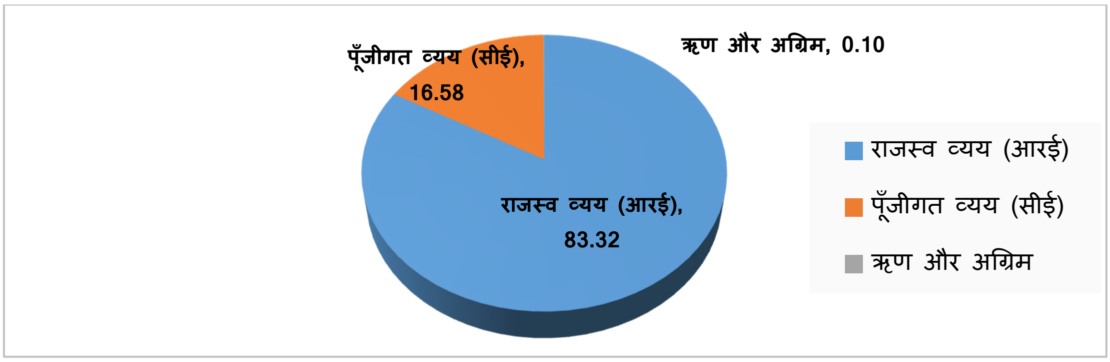

वर्ष 2020-21 के दौरान, पूँजीगत व्यय का अंश 16.58 प्रतिशत था तथा राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.32 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसडीपी से राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का प्रतिशत क्रमशः 29.86 एवं 5.94 था।

तालिका 2.10: व्यय के विभिन्न क्षेत्र कों का तुलनात्मक अंश

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2020-21	प्रतिशतता
सामान्य सेवाएं	26,297.40	41.63
सामाजिक सेवाएं	21,964.27	34.77
आर्थिक सेवाएं	14,842.46	23.50
ऋण एवं अग्रिम	61.64	0.10

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.6: कुल व्यय- गतिविधियों द्वारा व्यय

(प्रतिशत में)

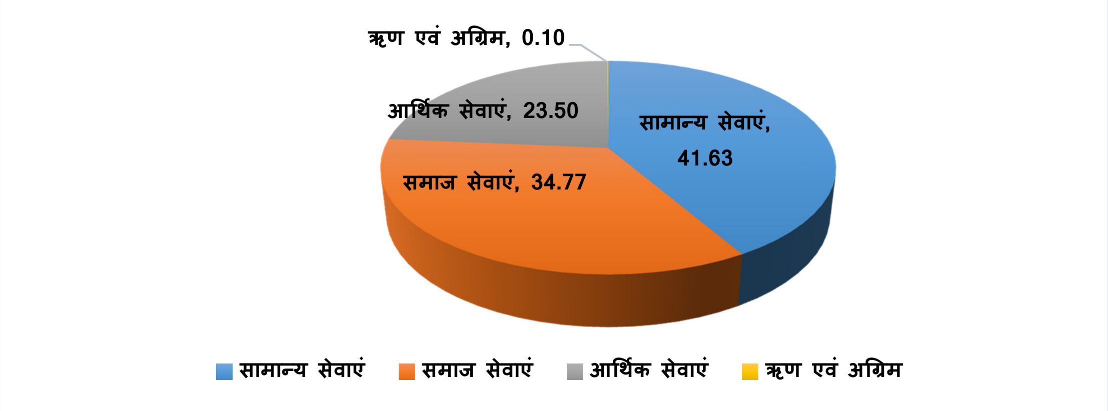

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं का संयुक्त अंश, जो विकास व्यय का प्रतिनिधित्व करता था, वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय का 58.27 प्रतिशतथा तथा कुल व्यय का 41.63 प्रतिशत सामान्य सेवाओं पर खर्च किया गया था।

चार्ट 2.7: वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यकलाप द्वारा व्यय का संघटन

(प्रतिशत में)

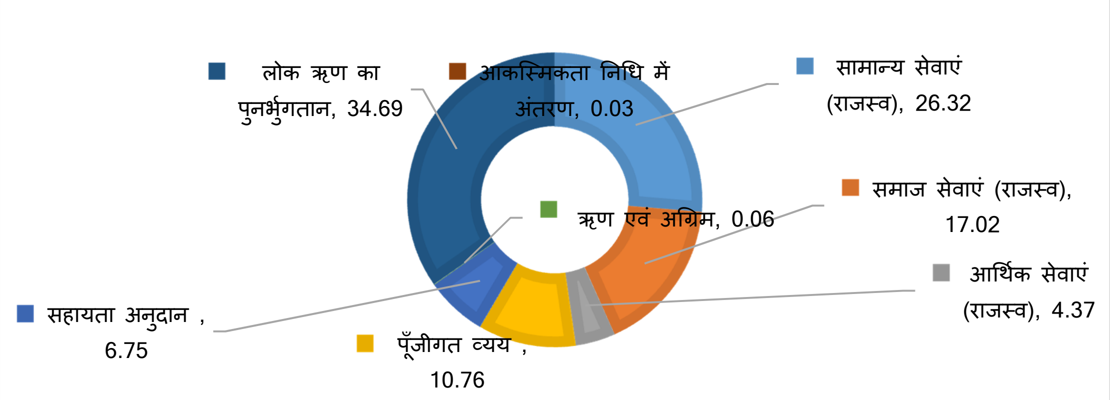

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष के दौरान समेकित निधि से लोक ऋण का पुनर्भुगतान 34.69 प्रतिशत लेखाबद्ध था तथा सामान्य सेवाएं (राजस्व) कुल व्यय का 26.32 प्रतिशत लेखाबद्ध हैं और समाज और आर्थिक सेवाओं (राजस्व) पर व्यय 21.39 प्रतिशत लेखाबद्ध हैं एवं सहायता अनुदान कुल संवितरण का 6.75 प्रतिशत लेखाबद्ध है।

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान हेतु किया जाता है। इस प्रकार, इससे संघ शासित क्षेत्र की अवसंरचना और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है। **तालिका 2.11** संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के राजस्व व्यय और मूलभूत मापदण्डों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.11: राजस्व व्यय- मूलभूत मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2020-21
कुल व्यय (आटीई)	63,165.77
राजस्व व्यय (सीई)	52,633.75
टीई के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	83.33
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	29.86
आरआर के प्रतिशत के रूप में आरई	100.26

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.8: वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार वितरण

(प्रतिशत में)

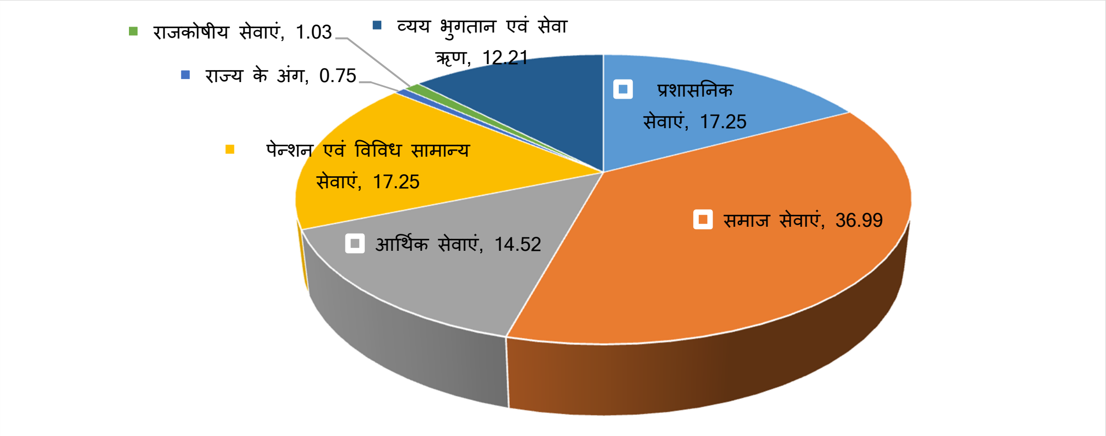

वर्ष 2020-21 के दौरान, आर्थिक सेवाओं तथा समाज सेवाओं पर राजस्व व्यय का संयुक्त अंश 51.51 प्रतिशत एवं सामान्य सेवाओं के राजस्व व्यय का 48.49 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय (17.25 प्रतिशत), ब्याज भुगतान और ऋणों की सेवा (12.21 प्रतिशत), पेन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं (17.25 प्रतिशत) सामान्य सेवाओं पर व्यय के प्रमुख घटक थे।

2.4.2.1 प्रतिबद्ध व्यय

संघ शासित क्षेत्र सरकार के राजस्व लेखा पर प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय एवं पेन्शन शामिल हैं। यह सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार होता है। अधिक प्रतिबद्ध व्यय से सरकार का विकास क्षेत्र हेतु लचीलापन कम होता है।

तालिका 2.12: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2020-21	राजस्व व्यय के संबंध में प्रतिशतता	राजस्व प्राप्तियों के संबंध में प्रतिशतता
वेतन एवं मजदूरी	23,851.70	45.31	45.44
ब्याज भुगतान	6,372.46	12.11	12.14
पेन्शन पर व्यय	9,078.11	17.25	17.29
कुल	**39,302.27**	**74.67**	**74.87**
गैर-प्रतिबद्ध व्यय	13,331.48	25.33	
सहायिकी	128.24		
गैर-प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायिकी	0.96		

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्रतिबद्ध व्यय 74.67 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया तथा वेतन एवं मजदूरी राजस्व व्यय का 45.31 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों के 74.87 प्रतिशत के बराबर था। यह दर्शाता है कि राजस्व प्राप्ति का बड़ा भाग प्रतिबद्ध व्यय को पूरा करने के लिए समाप्त हो गया था और सरकार के पास अन्य व्यय के लिए अपनी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 25 प्रतिशत ही शेष था। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक लंबित विद्युत बिल भुगतान ₹10,568.12 करोड़ था।

2.4.2.2 राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली में गैर-उन्मोचित देयताएं

परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना के अनुसार,1 जनवरी 2010 को अथवा उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी जो योजना के अंतर्गत शामिल हैं, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जो सरकार द्वारा समान राशि के साथ सुमेलित किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना में कुल अंशदान ₹1,037.66 करोड़ (कर्मचारी अंशदान ₹537.25 करोड़ तथा संघ शासित क्षेत्र सरकार का अंशदान ₹500.41 करोड़) था। संघ शासित क्षेत्र सरकार ने ₹1,037.66 करोड़ मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना अंतर्गत लोक लेखा में हस्तांतरित की। एनपीएस में संघ शासित क्षेत्र सरकार का अंशदान ₹36.84 करोड़ तक कम था जिसका परिणाम उस सीमा तक राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के कम आंकलन के रूप में हुआ।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 31 मार्च 2021 तक निधि के अंतर्गत ₹0.52 करोड़ का डेबिट शेष छोड़ते हुए ₹1,055.47 करोड़ एनएसडीएल/न्यासी बैंक (₹17.29 करोड़ के पूर्व बकाया शेष सहित) में हस्तांतरित किये गये थे। 31 मार्च 2021 तक डेबिट शेष, 30 अक्टूबर 2019 तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य निधि के अंतर्गत उपलब्ध शेष के गैर-प्रभाजन के कारण था।

2.4.2.3 सहायिकी

वस्तु शीर्ष"सहायिकी" के अंतर्गत बुक की जा रही राशियाँ नीचे दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.13: वर्ष 2020-21के दौरान सहायिकी पर व्यय

	2020-21
सहायिकी (₹ करोड़ में)	128.24
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सहायिकी	0.24
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायिकी	0.24

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा सहायिकी पर व्यय राजस्व प्राप्तियों (₹52,495.48 करोड़) और राजस्व व्यय (₹52,633.75 करोड़) का 0.24 प्रतिशत था। उद्यान कृषि विभाग को अधिकतम सहायिकी (₹104.93 करोड़) उपलब्ध करायी गयी थी जो वर्ष के दौरान सहायिकी पर कुल व्यय का 81.82 प्रतिशत थी।

2.4.2.4 संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों एवं ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों के रूप में उपलब्ध करायी गयी सहायता की मात्रा **तालिका 2.14** में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 2.14: स्थानीय निकायों, इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2020-21
(क) स्थानीय निकाय	
नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	502.15
अन्य	399.37
कुल (क)	**901.52**
(ख) अन्य	
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इत्यादि)	2,256.56
विकास प्राधिकरण	68.43
जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम	2,759.98
अन्य संस्थान	545.37
कुल (ख)	**5,630.34**
कुल (क+ख)	**6,531.86**
राजस्व व्यय	**52,633.75**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	12.41

स्रोतःवित्त लेखे

जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम सहायता का प्रमुख हितभागी था जिसने ₹2,759.98 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त की, जोकि वर्ष 2020-21 के दौरान संवितरित कुल वित्तीय सहायता का 42.25 प्रतिशत थी।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) स्थायी अवसंरचना परिसंपत्तियों जैसे सड़कों, भवनों इत्यादि के सृजन पर प्राथमिक व्यय है। कैपेक्स की पूर्ति बजटीय सहायता तथा अतिरिक्त

बजटीय संसाधनों/ऑफ बजट से की जा रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश 16.58 प्रतिशत था।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि संघ शासित क्षेत्र सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है, जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गयी है, तो निवेश पर प्रतिफल की कोई संभावना नहीं है। ऐसे वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने हैं। यह अनुभाग वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

2.4.3.2 कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने निवेश के रूप में ₹99.25 करोड़ बुक किये। हालांकि, बुक की गयी राशि के प्रति, संबंधित पीएसयू ने ₹83.27 करोड़ का निवेश दर्शाया था, जिसका परिणाम ₹15.98 करोड़ की भिन्नता के रूप में हुआ।

₹83.27 करोड़ का निवेश तीन अधिष्ठानों में किया गया है जिन्हें उनके पिछले लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार घाटा हुआ था। ₹83.27 करोड़ में से, ₹81.27 करोड़ की राशि जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम में निवेश की गयी है, जिसने वर्ष 2013-14 के लिये अपने पिछले लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार ₹92.90 करोड़ के घाटे को सूचित किया था।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के पास 31 मार्च 2021 तक एक निगम (₹138.78 करोड़), एक ग्रामीण बैंक (₹2.35 करोड़), तीन कंपनियों (₹17.91 करोड़) में ₹162.39 करोड़ का निवेश था तथा पंजीयक, सहकारी समितियों, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा (₹3.35 करोड़) का निवेश सूचित किया था। उपर्युक्त के अतिरिक्त, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के पास 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक 38 कंपनियों (₹4,148.83 करोड़), तीन सांविधिक निगमों (₹374.34 करोड़), आठ सहकारी संस्थानों/स्थानीय निकायों (₹47.83 करोड़), दो ग्रामीण बैंकों (₹45.82 करोड़) एवं दो संयुक्त स्टॉक कंपनियों (₹0.34 करोड़) में ₹4,617.16 करोड़ राशि का संचयी निवेश था जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य विभाजित नहीं किया गया था। **तालिका 2.15** सरकार के उधार की औसत लागत की तुलना में निवेश पर प्रतिफल का समग्र चित्र प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.15: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/ प्रतिफल/ उधारियों की लागत	2020-21
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹करोड़ में)	162.39 (4,617.16)
प्रतिफल (₹करोड़ में)	शून्य
प्रतिफल (प्रतिशत)	शून्य
सरकारी उधारियों पर ब्याज की भारित औसत दर (प्रतिशत)	6.91
ब्याज दर और प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	6.91
सरकारी उधारियों की लागत और निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर (₹करोड़ में)#	11.22 (330.27)

कोष्ठक के आँकड़े तत्कालीन राज्य की स्थिति को दर्शाते हैं जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर एवं संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

#वर्ष की समाप्ति पर निवेश X ब्याज दर और प्रतिफल के मध्य अंतर

100

स्रोतः वित्त लेखे

सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान अपने उधार पर औसतन 6.91 प्रतिशत की दर से भुगतान किया, जिसके प्रति सरकार द्वारा निवेश पर शून्य प्रतिफल प्राप्त किया था।

2.4.3.3 वर्ष 2020-21 के दौरान संवितरित और वसूल किये गये ऋणों की प्रमात्रा

सहकारी सोसाइटियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से कई संस्थानों/ संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम उपलब्ध करा रही है। **तालिका 2.16,** 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति, वर्ष 2020-21 के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.16: वर्ष 2020-21 के दौरान संवितरित और वसूल किये गये ऋणों की प्रमात्रा

(₹ करोड़ में)

संवितरित और वसूल किये गये ऋणों की प्रमात्रा	2020-21
बकाया ऋणों का अथ शेष	35.80 (1,740.44)
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	61.64
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	1.93
बकाया ऋणों का अंतशेष	95.51 (1,740.44)
निवल जोड़	59.71
ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	शून्य (0.31)
सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर	शून्य (0.02)
सरकार की बकाया उधारियों* पर भुगतान की गयी ब्याज की औसत दर	6.72
भुगतान की गयी ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत)	6.72

कोष्ठक के आँकड़े तत्कालीन राज्य की स्थिति को दर्शाते हैं जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर एवं संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

*स्रोत: वित्त लेखे। *तत्कालीन राज्य की बकाया उधारी सम्मिलित है जिसे आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाना है।*

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने ₹61.64 करोड़ की राशि के ऋण एवं अग्रिम संवितरित किये और ₹1.93 करोड़ की राशि के ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली की। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने ₹32.50 करोड़ की राशि जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को

स्वीकृत की जिसके पास पहले से ही 31मार्च 2020 की समाप्ति तक ₹406.73 करोड़ की राशि (₹383.73 करोड़ तत्कालीन राज्य से तथा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से ₹23 करोड़ प्राप्त हुए) के बकाया ऋण थे। घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली नहीं हो रही है। एफआरबीएम विवरणों में इन ऋणों की संभावित वसूली के बारे में कोई आंकलन नहीं किया गया है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के पास 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक ₹95.51 करोड़ की राशि के कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम थे। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन सरकार द्वारा लिये गये ₹1,740.44 करोड़ की राशि के ऋण एवं अग्रिम थे, जो 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक बकाया थे तथा जिन्हें संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक विभाजित किया जाना था।

2.4.3.4 अपूर्ण निर्माण कार्यों में अवरुद्ध पूँजी

दो विभागों (अर्थात् सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जम्मू (61 निर्माण कार्य) और जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू (103 निर्माण कार्य) द्वारा आरंभ किये गये 164 पूँजीगत निर्माण कार्यों की मूल अनुमानित लागत ₹633.09 करोड़ थी, जिन्हें वर्ष 2012-13, 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान पूर्ण किये जाने का लक्ष्य था, वर्ष 2020-21 के अंत तक अपूर्ण थे। इन अधूरे कार्यों पर किये गये कुल ₹464.91 करोड़ की राशि का संचयी व्यय अवरुद्ध हो गया।

तालिका 2.17: 31 मार्च 2021 तक अपूर्ण परियोजनाओं की अवधि रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

समापन का लक्ष्य वर्ष	अपूर्ण निर्माण कार्यों की	अनुमानित	31.03.2021 की समाप्ति
2012-13	01	1.57	3.52
2017-18	02	3.89	3.71
2018-19	05	8.87	8.04
2019-20	95	222.56	182.04
2020-21	61	396.20	267.60
कुल	**164**	**633.09**	**464.91**

स्रोतः वित्त लेखे

2.4.3.5 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना का कार्यान्वयन (यूडीएवाई)

विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य के डिस्कॉम की वित्तीय क्षमता और परिचालन को बेहतर बनाने हेतु उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (यूडीएवाई) की शुरुआत (नंवबर 2015) की। राज्यों को सितंबर 2015 तक डिस्कॉम ऋण का 75 प्रतिशत ऋण दो वर्षों में लेना था अर्थात् डिस्कॉम ऋण का

2015-16 में 50 प्रतिशत और 2016-17 में 25 प्रतिशत लिया जाना था। मार्च 2016 में, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने यूडीएवाई-"उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना" के अंतर्गत एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए और आरबीआई से ₹3,537.55 करोड़ (₹2,140 करोड़ 2015-16 में और ₹1,397.55 करोड़ 2016-17 में) की निधियाँ मार्च 2022 से अक्टूबर 2031 तक की परिपक्वता तिथि सहित 7.07 प्रतिशत से 8.72 प्रतिशत के बीच की दरों पर गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बंधपत्र जारी करके उधार ली थी। राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का कार्य विभागीय रूप से किया जा रहा था इसलिए यह राशि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की देयताओं का निपटान करने हेतु उपयोग में ली गयी थी। सरकार को बंधपत्रों पर ब्याज देना होता है और ₹353.75 करोड़ की राशि वाले बंधपत्र भी 2021-22 से 2031-32 तक प्रत्येक वर्ष परिपक्व होते रहेंगे। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने उदय योजना के अंतर्गत जारी बंधपत्रों पर ब्याज के प्रति ₹284.12 करोड़ का भुगतान किया।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय के लिए एक श्रेणी के अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी होती है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है। वर्ष के दौरान उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों की औसत व्यय प्राथमिकता के साथ 2020-21 के दौरान संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर सरकार की व्यय प्राथमिकता की तुलना **तालिका 2.18** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.18: स्वास्थ्य, शिक्षा, पूँजीगत व्यय के संबंध में संघ शासित क्षेत्र सरकार की व्यय प्राथमिकता

(₹ करोड़ में)

	टीई/जीएसडीपी	आरई/टीई	सीई/टीई	एसएसई/टीई	ईएसई/टीई	डीई/टीई	शिक्षा/टीई	स्वास्थ्य एवं एफडब्ल्यू/टीई
उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्य औसत (2020-21)	26.92	84.33	15.83	36.74	27.14	63.34	16.95	7.04
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर	35.83	83.33	16.67	34.77	23.59	58.37	16.28	7.85

टीई: कुल व्यय, आरई: राजस्व व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र व्यय, ईएसई: आर्थिक क्षेत्र व्यय, डीई: विकास व्यय।

वर्ष 2020-21 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र, पूँजीगत व्यय पर संघ शासित क्षेत्र व्यय प्राथमिकता और कुल व्यय उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों से अधिक था तथा राजस्व व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय, आर्थिक क्षेत्र व्यय, विकास क्षेत्र व्यय और शिक्षा क्षेत्र पर व्यय प्राथमिकता उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के औसत से कम थी।

2.4.5 वस्तु शीर्षवार व्यय

वस्तु शीर्षवार व्यय, व्यय के लक्ष्य/उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है।

चार्ट 2.9: वस्तु शीर्षवार व्यय

(प्रतिशत में)

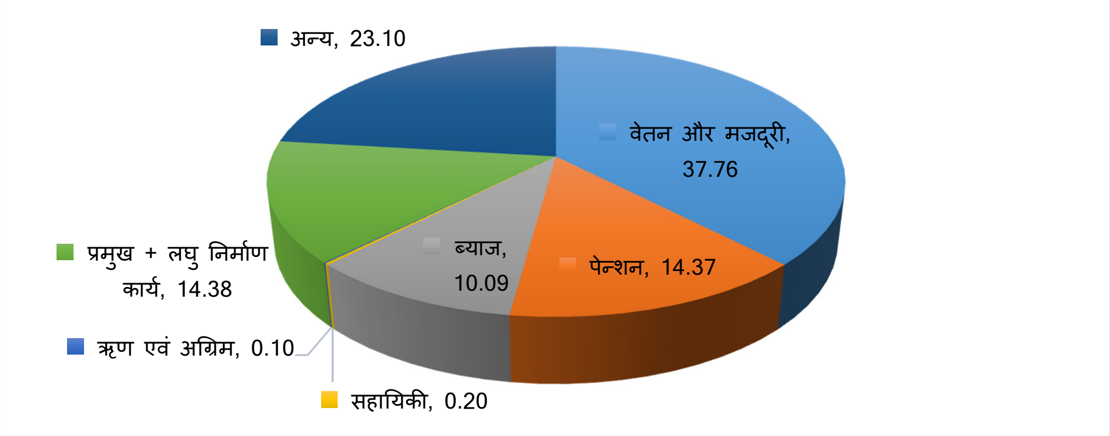

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की वेतन एवं मजदूरी 37.76 प्रतिशत लेखाबद्ध थी और पेन्शन एवं उपदान कुल व्यय का 14.37 प्रतिशत लेखाबद्ध थे। यह इंगित करता है कि कुल व्यय का 52 प्रतिशत से अधिक वेतन एवं मजदूरी और पेन्शन एवं उपदान पर था। कुल व्यय का 14.38 प्रतिशत प्रमुख, लघु निर्माण कार्यों हेतु लेखाबद्ध था।

2.5 लोक लेखा

लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाएं, उचंत, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ संव्यवहार के संबंध में प्राप्तियों एवं संवितरणों, जो संचित निधि के भाग नहीं होते हैं, को जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के धारा 68(1) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और विधानमण्डल के मत के अध्यधीन नहीं है। सरकार इन संव्यवहारों के संबंध में एक बैंकर की तरह कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् शेष विविध प्रयोजनों के लिए उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध निधि होती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के लोक लेखाओं में जमा राशियों के संबंध में, संघ शासित क्षेत्र सरकार एक न्यासी या एक बैंकर के रूप में कार्य करती है और एक

न्यासीय देयता को वहन करती है। राज्य भविष्य निधि, बीमा/पेन्शन निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाएं और अग्रिम लोक लेखाओं के प्रमुख घटक हैं। इसके अलावा, सरकारी लेखाओं के लोक लेखा अनुभाग का उपयोग भी निक्षेपागार अभिलेख हेतु किया जाता है और उनके अंतिम लेखांकन से पूर्व उपयुक्त प्राप्ति या लेखा के भुगतान शीर्ष, और नकद शेष के संव्यवहारों को भी उचंत और विविध तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत संव्यवहारों के माध्यम से पारित कर दिया जाता है। **तालिका 2.19** में राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष को नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	**उप क्षेत्र**	**2020-21**
झ. लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	-2,185.97 (-27,161.62)
ञ. आरक्षित निधियाँ	(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	-780.89 (-1,260.62)
	(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	9.76 (-1,533.95)
ट. जमाएं एवं अग्रिम	(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं	-474.74 (-53.67)
	(ख)ब्याज वहन करने वाली जमाएं	-880.79 (-6,860.56)
	(ग) अग्रिम	0.00 (12.69)
ठ. उचंत और विविध	(क) उचंत	-121.14 (344.15)
	(ख) अन्य लेखा	-0.0002 (389.01)
ड.प्रेषण	(क) धनादेशऔर अन्य प्रेषण	-632.57 (-2,856.74)
	(ख) अंतरसरकारी समायोजन खाता	-1.93 (9.26)
कुल		**-5,068.27** **(-38,973)**

स्रोत: वित्त लेखे, नोटः +डेबिट शेष और-जमा शेषों को दर्शाता है।

31 मार्च 2021 की समाप्ति तक जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के लोक लेखाओं के अंतर्गत कुल जमा शेष ₹5,068.27 करोड़ था। 30 अक्टूबर 2019 तक की समाप्ति तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत भी कुल

जमा शेष ₹38,973 करोड़ था जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक विभाजित किया जाना है।

चार्ट 2.10: वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लोक लेखा में निवल शेष

(₹ करोड़ में)

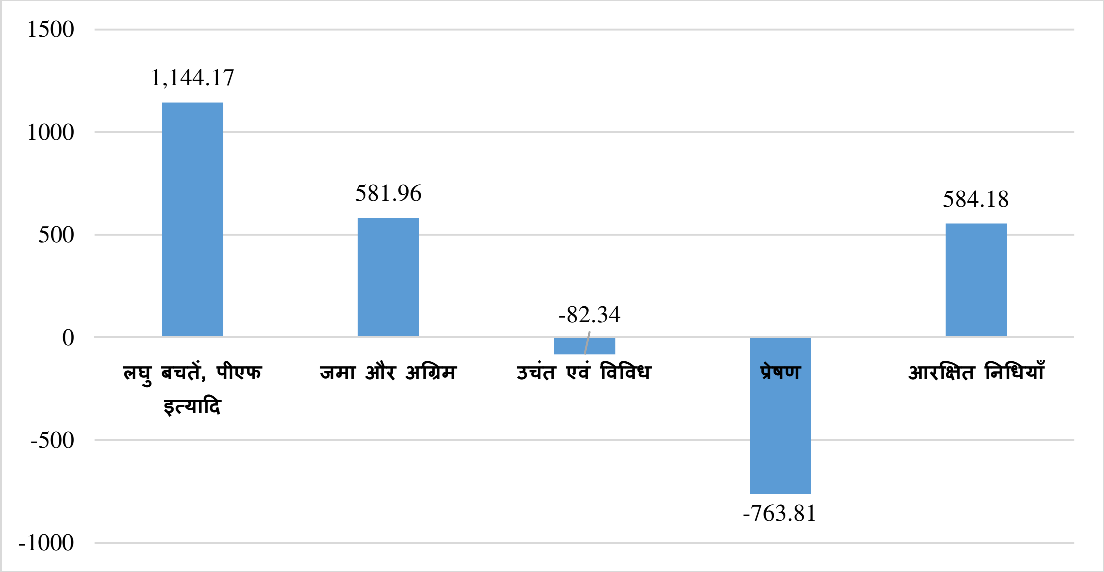

वर्ष 2020-21 के दौरान, लोक लेखा के घटकों के अंतर्गत लघु बचत, भविष्य निधियों आदि एवं प्रेषण में प्रमुख परिवर्तन हुए।

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। ये निधियाँ संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि के अंशदानों या अनुदानों से प्राप्त की जाती हैं। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं में आरक्षित निधियों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है। 31 मार्च 2021 की समाप्ति पर इन निधियों में संचयी कुल शेष ₹771.13 करोड़ था। जिसमें से ₹780.89 करोड़ (क्रेडिट) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधि के अंतर्गत तथा ₹9.76 करोड़ (डेबिट) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधि के अंतर्गत थे। ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधि के अंतर्गत 31 मार्च 2021 तक ₹9.76 करोड़ का डेबिट शेष, 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक आरक्षित निधियों में कुल संचित निवल शेष (ब्याज वहन नहीं करने वाली) के कारण है, जिसे अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाना है। 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक इन निधियों में संचयी कुल शेष राशि ₹2,806 करोड़ था जिसे दोनों संघ शासित क्षेत्रों के मध्य अभी तक द्विभाजित किया जाना है।

तालिका 2.20: आरक्षित निधियों के अंतर्गत अंतशेष

(₹ करोड़ में)

आरक्षित निधियाँ	2020-21
ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	16.32
राज्य प्रतिपूरक वनरोपण कोष	764.57
कुल-ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	**780.89**
ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	
ऋण शोधन निधि	55.63
अन्य विकास और कल्याणकारी निधियाँ	-90.38
सामान्य बीमा निधि (जनता बीमा)	20.12
प्रत्याभूति मोचन निधि	2.00
अन्य निधियाँ	2.87
कुल-ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	**(-)9.76**
कुल- आरक्षित निधियाँ	**771.13**

स्रोतः वित्त लेखे

2.5.2.1 समेकित ऋण शोधन निधि

वर्ष 2012 में ऋणों के परिशोधन के लिये तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने एक समेकित ऋण शोधन निधि का गठन (जनवरी 2012) किया। इसे आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा जारी रखा गया है। कोष के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार पूर्व वर्ष के अंत में बकाया देयताओं {लोक ऋण+लोक लेखा (उचंत और प्रेषण को छोड़कर)} का 0.50 प्रतिशत अंशदान कर सकती है। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा इस निधि में ₹27.50 करोड़ के अपेक्षित अंशदान के प्रति, ₹55.63 करोड़ अर्थात् वर्ष 2020-21 के दौरान ₹5,500.35 करोड़ की कुल बकाया देयताओं के 0.50 प्रतिशतका अंशदान किया गया। इस कोष में आरंभ से 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा ₹355.87 करोड़ के अंशदान को अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के गठन एवं प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार (मुख्य शीर्ष '8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ' के अंतर्गत जोकि ब्याज वहन

करने वाला अनुभाग के अधीन है), केन्द्र तथा राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में कोष में अंशदान करना आवश्यक है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के दो नये संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्गठन पर, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने कोष में अंशदान जारी रखा। वर्ष 2020-21 के दौरान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'संघ शासित क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया कोष में अंशदान के प्रति अनुदानों' के लिए ₹279.00 करोड़ की राशि निर्मोचित की थी। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122-एसडीआरएफ के अंतर्गत कोष में ₹357.57 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹279.00 करोड़, संघ शासित क्षेत्र अंश ₹31.00 करोड़, ब्याज हैं ₹43.89 करोड़ और पिछला अव्ययित शेष ₹3.68 करोड़ क्रेडिट किया गया) हस्तांतरित किये। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित कोष में अंशदान, व्यय और उसमें शेष निम्नानुसार हैं:

तालिका 2.21: राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत प्राप्तियाँ और व्यय

(₹ करोड़ में)

अथ शेष (1 अप्रैल 2020)	केन्द्र द्वारा अंशदान	संघ शासित क्षेत्र अंश	एनडीआरएफ के अंतर्गत प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ	सेट ऑफ राशि (एमएच 2245-05)	कोष में शेष
(-)176.90	279.00	31.00	शून्य	357.57*	164.35	16.32

**₹43.89 करोड़ ब्याज तथा ₹3.68 करोड़ अव्ययित शेष शामिल है।*

1 अप्रैल 2020 को कोष के अंतर्गत ₹176.90 करोड़ ऋणात्मक शेष था तथा वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोष में ₹357.57 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹279 करोड़, संघ शासित क्षेत्र अंश ₹31.00 करोड़, ब्याज ₹43.89 करोड़ और ₹3.68 करोड़ का पिछला अव्ययित शेष) हस्तांतरित किये तथा कोष में क्रेडिट किये गये थे। 31 मार्च 2021 तक ₹16.32 करोड़ का शेष छोड़ते हुए, वर्ष 2020-21 के दौरान ₹164.35 करोड़ का व्यय प्राकृतिक आपदाओं पर किया गया था। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा कोष के अंतर्गत शेष राशि का निवेश नहीं किया गया है।

30 अक्टूबर 2019 तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के अंतर्गत ₹1,271.48 करोड़ का सकल शेष था जिसे दो नये आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है। ₹1,260.62 करोड़ के निवल अप्रभाजित शेष को छोड़ते हुए कोष से ₹10.86 करोड़ की राशि का निवेश किया गया।

2.5.2.3 प्रत्याभूति मोचन निधि

प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) पर आरबीआई दिशानिर्देशों में उल्लेख है कि वर्ष की शुरूआत में निधि के गठन वाले वर्ष में राज्य सरकार के लिए बकाया प्रत्याभूतियोंके कम से कम एक प्रतिशत का अंशदान और तत्पश्चात् पिछले वर्ष की बकाया प्रत्याभूतियों के कम से कम तीन से पाँच प्रतिशत की न्यूनतम कॉर्पस राशि प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष 0.50 प्रतिशत का अंशदान करना वांछनीय है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 31 मार्च 2021 तक प्रत्याभूति मोचन अधिनियम नही बनाया है। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की प्रत्याभूति मोचन निधि में निधि हेतु अंशदान के लिए कोई लक्ष्य नहीं था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने निधि में एक करोड़ रुपये का अंशदान किया। 31 मार्च 2021 तक निधि का अंत शेष दो करोड़ रुपये था। 30 अक्टूबर 2019 तक निधि में ₹20.42 करोड़ का शेष था जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है। ₹22.42 करोड़ की समस्त राशि (दो करोड़ संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 तक तथा 30 अक्टूबर 2019 तक अविभाजित जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित ₹20.42 करोड़) का सरकार द्वारा निवेश नहीं किया गया है। पिछले वर्ष की बकाया प्रत्याभूति के तीन प्रतिशत (₹1,324.54 करोड़ + ₹452.07 करोड़) की राशि ₹53.30 करोड़ है जबकि निधि में किया गया कुल योगदान ₹22.42 करोड़ है, संघ शासित क्षेत्र सरकार को बकाया प्रत्याभूति केतीन प्रतिशत के न्यूनतम कॉर्पस को प्राप्त करने के लिए निधि में अपना अंशदान बढ़ाने की आवश्यकता है।

2.5.2.4 केन्द्रीय सड़क कोष (सीआरएफ)

भारत सरकार विशिष्ट सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिये संघ शासित क्षेत्र सरकार को केन्द्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) के अंतर्गत वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराती है। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने सीआरएफ के प्रति ₹79.40 करोड़ के अनुदान प्राप्त किये तथा समस्त राशि को व्यय शीर्ष-3054 के माध्यम से जमा शीर्ष-8449 में हस्तांतरित कर दिया। 31 मार्च 2021 तक कोष में ₹77.34 करोड़ का अंत शेष छोड़ते हुए, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने वर्ष के दौरान कोष से ₹27.36 करोड़ का व्यय किया, जिसमें 31 मार्च 2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) की समाप्ति तक ₹25.30 करोड़ का पिछला अव्ययित शेष सम्मिलित है।

30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक निधि के अंतर्गत ₹573.33 करोड़ का शेष भी था, जिसे संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन वित्तपोषण की आवश्यक राशि के सृजन के क्रम में सरकार के ऋण प्रबंधन के लिए एक कार्यनीति, अपने जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने, और किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जो सरकार ने अधिनियम या किसी अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किये हैं, को स्थापित और क्रियान्वित करने की एक प्रक्रिया है।

2.6.1 ऋण की रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार का कुल ऋण आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों इत्यादि से ऋण), केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, और लोक लेखा देयताओं से मिलकर बना होता है। बकाया ऋण के घटकों को नीचे दिया गया है:-

तालिका 2.22: घटक-वार बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

		2020-21
बकाया समग्र ऋण		16,980.28
लोक ऋण	***आंतरिक ऋण***	10,562.21
	जीओआई से ऋण	2,105.44*
लोक लेखा पर देयताएं		4,312.63
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)		1,76,282
ऋण/ जीएसडीपी (प्रतिशत)		**8.44****
कुल ऋण प्राप्तियाँ		52,919.18
कुल ऋण पुनर्भुगतान		41,439.26
कुल उपलब्ध ऋण		11,479.92
ऋण पुनर्भुगतान/ ऋण प्राप्तियाँ *(प्रतिशत)*		**78.31**

स्रोत: वित्त लेखे,

** जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले जीओआई से प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल है।*

*** बकाया समग्र ऋण से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत जीओआई से पुनर्भुगतान देयता के बिना बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹2,099.80 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति को शामिल नहीं करने के बाद 8.44 का अनुपात निकाला गया है।*

नोट: लोक लेखाओं पर देयताएं उचंत और विविध और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत देयताएं छोड़कर हैं।

पुनर्भुगतान देयता के साथ समग्र बकाया ऋण ₹14,880.48 करोड़ है, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि संघ शासित क्षेत्र को ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में दिये गए ₹2,099.80 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को किसी भी मानदंड के लिए संघ शासित क्षेत्र के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा, जो कि वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। वर्ष 2020-21 के

दौरान, कुल ऋण पुनर्भुगतान कुल ऋण प्राप्तियों का 78.31 प्रतिशत था परिणामस्वरूप कुल ऋण प्राप्तियों का मात्र 21.69 प्रतिशत सरकार के पास उपलब्ध था। वर्ष के दौरान ऋण पुनर्भुगतान को समायोजित करने के बाद उपलब्ध कुल ऋण ₹11,479.92 करोड़ था।

चार्ट 2.11: वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के समग्र बकाया ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

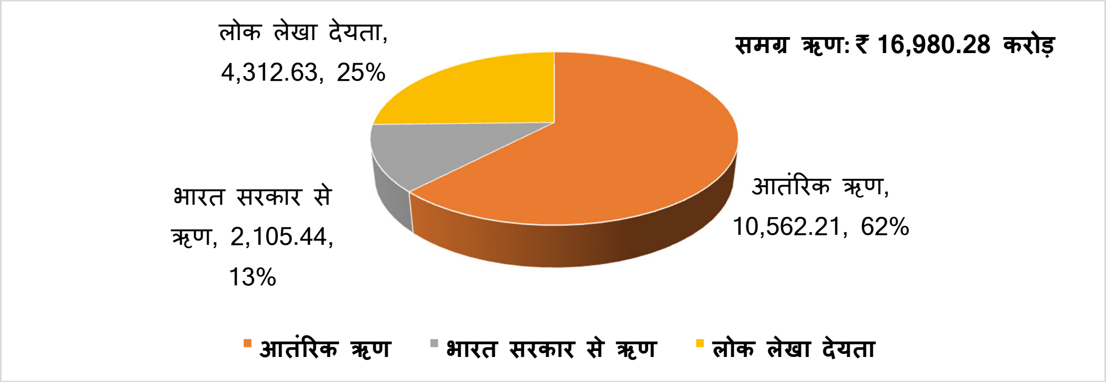

चार्ट 2.12: पुनर्भुगतान की तुलना में लिये गये आंतरिक ऋण

(₹ करोड़ में)

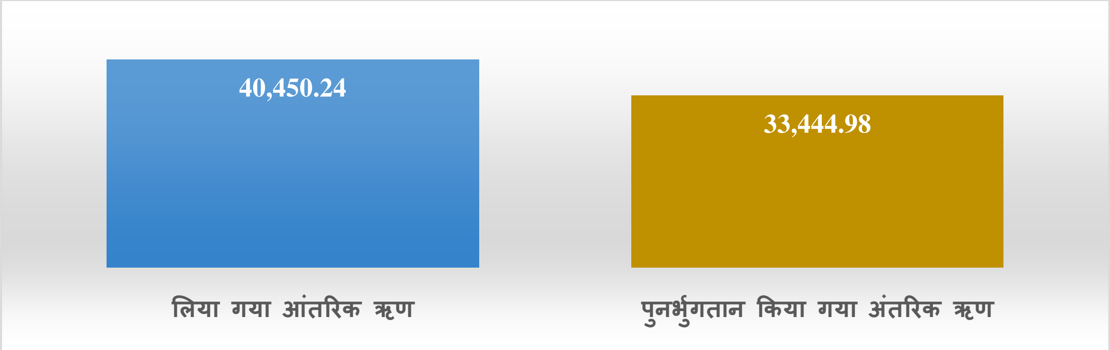

वर्ष 2020-21 के दौरान, लिये गये आंतरिक ऋण को पुनर्भुगतान किये गये आंतरिक ऋण का प्रतिशत 82.68 प्रतिशत था।

तालिका 2.23: राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण प्रतिमान

(₹ करोड़ में)

विवरण		2020-21
राजकोषीय घाटे की संरचना		10,693.36
1	राजस्व घाटा	-138.27
2	निवल पूँजीगत व्यय	-10,470.38
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	-59.71
4	आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग	-25.00

विवरण		2020-21
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण प्रतिमान		
1	बाजार से उधारियाँ	7,508.66
2	जीओआई से ऋण*	2,164.35
3	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-348.65
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	-154.75
5	लघु बचतें, पीएफ इत्यादि	1,144.17
6	जमाएं और अग्रिम	581.96
7	उचंत और विविध	-82.34
8	प्रेषण	-763.81
9	आरक्षित निधि	584.18
10	आकस्मिकता निधि	25.00
11	**कुल घाटा**	**10,658.77**
12	नकद शेष में वृद्धि/ कमी	34.59
13	**सकल राजकोषीय घाटा**	**10,693.36**

स्रोत: वित्त लेखे

** जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले जीओआई से प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल है।*

वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का राजकोषीय घाटा ₹10,693.36 करोड़ है। बाजार उधारियों, लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि, वित्त राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत थे।

तालिका 2.24: राजकोषीय घाटा वित्तपोषण (2020-21) घटकों के अंतर्गत प्राप्तियाँ तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार से उधारियाँ	40,128.28	32,619.62	7,508.66
2	जीओआई से ऋण*	2,282.69	118.34	2,164.35
3	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	0.00	348.65	-348.65
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	321.96	476.71	-154.75
5	लघु बचतें, पीएफ इत्यादि	5,968.29	4,824.12	1,144.17
6	जमाएं और अग्रिम	3,427.29	2,845.33	581.96
7	उचंत और विविध	12,655.15	12,737.49	-82.34
8	प्रेषण	1,992.42	2,756.23	-763.81
9	आरक्षित निधि	790.67	206.49	584.18
10	आकस्मिकता निधि	25.00	0.00	25.00
11	**समग्र घाटा**	**67,591.75**	**56,932.98**	**10,658.77**
12	नकद शेष में वृद्धि/ कमी	1,482.28	1,447.69	34.59
13	**सकल राजकोषीय घाटा**	**69,074.03**	**58,380.67**	**10,693.36**

स्रोत: वित्त लेखे

** जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले जीओआई से प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल है।*

2.7. ऋण विश्लेषण

बकाया लोक ऋण की स्थिति और अन्य राजकोषीय समग्रों के साथ इसकी तुलना नीचे दर्शाया गयी है:

तालिका 2.25: बकाया लोक ऋण की स्थिति

ऋण स्थिरता संकेतक	2020-21
बकाया लोक ऋण* *(₹ करोड़ में)*	10,567.84 (46,666.22)
जीएसडीपी *(₹ करोड़ में)*	1,76,282
जीएसडीपी की वृद्धि दर	3.46
लोक ऋण#/जीएसडीपी	5.99 (32.47)@
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत) (ब्याज भुगतान/ लोक ऋण का अथ शेष + लोक ऋण का अंत शेष/ 2)	7.82
राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान का प्रतिशत	8.16
ऋण प्राप्ति में ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत	78.54
यूटीके पास उपलब्ध निवल ऋण# *(₹ करोड़ में)*	4,887.23
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	11.44

स्रोत: वित्त लेखे

**6003-आंतरिक ऋण और 6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का योग बकाया लोक ऋण है। जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले व्यय विभाग, जीओआई से प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल है/* बैक-टू-बैक ऋण को किसी भी मानदंड के लिए संघ शासित क्षेत्र के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा, जो कि वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

 # संघ शासित क्षेत्र के पास उपलब्ध निवल ऋण की लोक ऋण पुनर्भुगतान और लोक ऋण के ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में गणना की गई है।

@ जीएसडीपी के लिए लोक ऋण (तत्कालीन राज्य का बकाया लोक ऋण शामिल है)।

ऋण स्थिरता के कुछ संकेतक निम्नानुसार हैं:

क) वर्ष 2020-21 के दौरान उपलब्ध निवल लोक ऋण ₹4,887.23 करोड़ था जो वर्ष के दौरान ऋण प्राप्ति का केवल 11.44 प्रतिशत था।

ख) लोक ऋण पुनर्भुगतान/लोक ऋण प्राप्तियाँ: वर्ष 2020-21 के दौरान लोक ऋण पुनर्भुगतान ऋण प्राप्ति का 78.54 प्रतिशत था परिणामस्वरूप सरकार के पास लोक ऋण प्राप्ति का केवल 21.46 प्रतिशत उपलब्ध था।

ग) वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों को लोक ऋण पर ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 8.16 प्रतिशत थी।

2.7.1 उधार ली गयी निधियों की उपयोगिता

उधार ली गई निधियाँ का आदर्शत: पूँजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत और बकाया ऋणों पर

ब्याज का पुनर्भुगतान करने के लिए उधार ली गयी निधियों का उपयोग करना संधारणीय नहीं है।

तालिका 2.26: वर्ष 2020-21 के दौरान उधार ली गयी निधियों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1	2020-21
कुल उधार	2	42,732.93*
पूर्व उधारों का पुनर्भुगतान(मूलधन) (प्रतिशत)	3	33,563.32
पूँजीगत व्यय के लिए शेष उधारियाँ (प्रतिशत)	4	9,169.61 (21.46)
ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण हेतु उधारी का शेष	5	अनुपलब्ध
निवल उपलब्ध उधारों से पूरा किया गया राजस्व व्यय का भाग	6=2-3-4-5	अनुपलब्ध

*स्रोत: वित्त लेखे * जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले में जीओआई से बैक-टू-बैक ऋणों के रूप में ₹2,099.80 करोड़ सम्मिलित है।*

वर्ष 2020-21 के दौरान, 78.54 प्रतिशत की उधार ली गई निधियों का उपयोग पूर्व में लिये गये ऋणों/उधार निधियों के पुनर्भुगतान के प्रति किया गया, परिणाम स्वरूप विकास निर्माण कार्यो के लिए मात्र 21.46 प्रतिशत उधार ली गयी निधियों की उपलब्धता रही।

2.7.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक देयताएं

31 मार्च 2021 तक संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गई कुल बकाया प्रत्याभूतियाँ समग्र रूप से ₹1,486.07 करोड़ थी। 30 अक्टूबर 2019 तक ₹452.07 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियाँ भी थी, जिन्हें अभी तक प्रभाजित किया जाना है। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा कोई प्रत्याभूति कमीशन/ शुल्क प्राप्त नहीं किया गया था।

2.7.3 नकद शेषों का प्रबंधन

भारतीय भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक करार के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष राशि बनाये रखना पड़ता है। यदि शेष किसी भी दिन निर्धारित न्यूनतम शेष से कम रहता है, तो समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम एसडब्ल्यूएमए/ओवेरड्राफ्ट (ओडी) लेकर कमी को ठीक किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य डब्ल्यूएमए की सीमा समय-समय पर आरबीआई द्वारा परिशोधित की जाती है।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और ओवेरड्राफ्ट का सहारा लिए बिना 47 दिनों तक ₹1.14 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाये रखा और 260 दिनों तक सामान्य अर्थोपाय अग्रिम का लाभ उठाया तथा

58 दिनों तक इसे आरबीआई से ओवरड्राफ्ट का भी लाभ उठाना पड़ा। 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक शेष ₹1,784.54 करोड़ (सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत ₹715.89 करोड़ एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत ₹1,068.65 करोड़) था।

30 अक्टूबर 2019 तक समान्य अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत ₹692.11 करोड़ का शेष भी था जिसे अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

संघ शासित क्षेत्र सरकार अपने अधिशेष नकद शेष को लघु तथा दीर्घकालिक जीओआई प्रत्याभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा करना होता है। नकद शेष और उनके निवेश की स्थिति निम्नानुसार हैः

तालिका 2.27: नकद शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2020 को अथशेष	31 मार्च 2021 को अंतशेष
क. सामान्य नकद शेष		
कोषागारों में नकद	0	0
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमाएं	1,482.28	1,447.69
जेएण्डके और अन्य बैंकों के साथ जमाएं	0	0
पारगमन-स्थानीय में प्रेषण	0	0
कुल	**1,482.28**	**1,447.69**
नकद शेष निवेश लेखा में रोके गये निवेश	0	0
कुल (क)	**1,482.28**	**1,447.69**
ख. अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास नकद	0	0
विभाग अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम	0	0
चिह्नित निधियों में निवेश	0	0
कुल (ख)	**0**	**0**
कुल (क+ख)	**1,482.28**	**1,447.69**
वसूल किया गया ब्याज	**शून्य**	**0.11**

स्रोत:वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा नकद शेष लेखा में कोई राशि नहीं रोकी गयी थी। हालांकि, 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति पर नकद शेष निवेश लेखा में ₹383.92 करोड़ की राशि रोकी गयी थी, जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है। वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार ने नकद शेष निवेश पर ₹0.11 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।

चार्ट 2.13: वर्ष के दौरान माहवार नकद शेषों की गतिशीलता और निवल नकद शेष निवेश

(₹ करोड़ में)

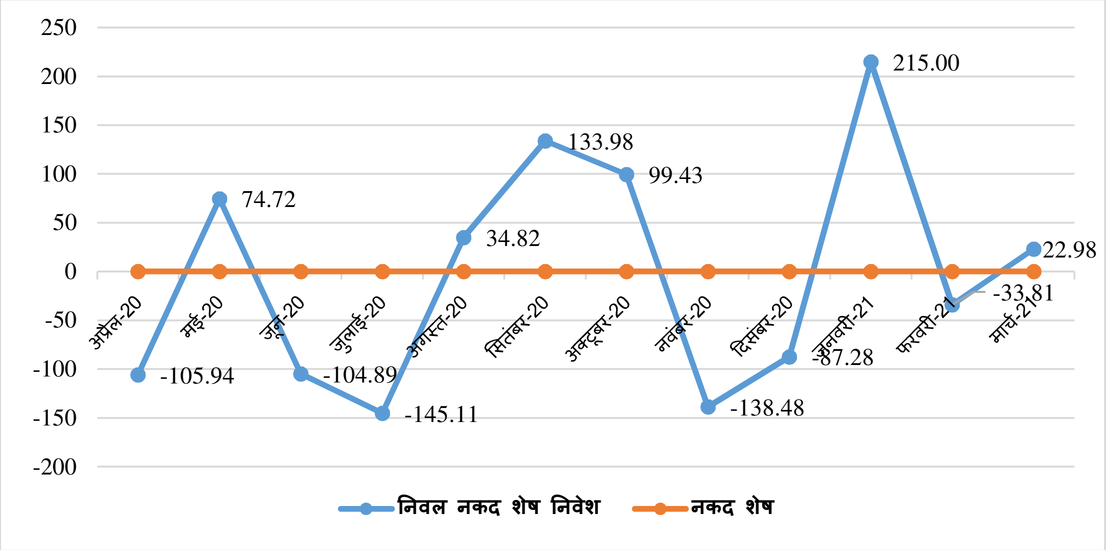

स्रोत: वित्त लेखे

2.8 निष्कर्ष

- राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.32 प्रतिशत था।
- ₹10,470.38 करोड़ का पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 16.58 प्रतिशत था।
- 31 मार्च 2021 की समाप्ति पर संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का का बकाया लोक ऋण ₹10,567.84 करोड़ था तथा 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति पर ₹46,666 करोड़ की राशि भी है जिसे दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य द्विभाजित किया जाना है।
- संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के पास 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों, सहकारी संस्थानों/स्थानीय निकायों और ग्रामीण बैंकों में ₹162.39 करोड़ का कुल निवेश था तथा वर्ष 2020-21 के दौरान लाभांश के रूप में कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ था। उपर्युक्त के अतिरिक्त तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा ₹4,617.16 करोड़ का

किया गया निवेश भी है जिसे अभी तक दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य द्विभाजित किया जाना है।

- 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के पास ₹95.51 करोड़ के संवितरित बकाया ऋण थे। उपर्युक्त के अतिरिक्त, तत्कालीन राज्य पर 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक संवितरित ₹1,740.44 करोड़ की राशि के बकाया ऋण थे जिन्हें दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य विभाजित किया जाना है।
- वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की आरक्षित निधियों के अंतर्गत ₹771.13 करोड़ का शेष था। 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक ₹2,806 करोड़ की राशि आरक्षित निधियों के अंतर्गत भी शेष थी जिसे दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य द्विभाजित किया जाना है।

2.9 अनुशंसाएं

1. सरकार को अपने स्वयं के कर राजस्व के संवर्धन हेतु प्रयास करना चाहिए।
2. सरकार को अपने प्रतिबद्ध व्यय को न्यूनतम करने के लिए उपाय खोजने चाहिए जिससे विकास व्यय हेतु अधिक निधियाँ उपलब्ध करायी जा सकें।
3. सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी पर इसके द्वारा लिये गये उधार की पर्याप्त उच्च लागत को देखते हुए उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के उपाय खोजने चाहिए।
4. चूँकि सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली खराब रही है, सरकार को ऋण एवं अग्रिमों को अनुदानों के रूप में मानने तथा उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करने पर विचार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेखे सही स्थिति प्रतिबिम्बित करते हैं।

अध्याय-III

बजटीय प्रबंधन

अध्याय-III

बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रकिया

बजट बनाने की वार्षिक गतिविधि से तात्पर्य लोक संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु रोडमैप के विवरण के एक साधन से है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 43 और 44 के अंतर्गत विनियोग लेखे विनियोग अधिनियमों में संलग्न अनुसूचित परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय, दत्तमत और प्रभारित व्यय के लेखे हैं।

इस प्रकार, विनियोग लेखे, वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों के अनुवीक्षण को सुकर बनाते हैं और इसलिए, वित्त लेखे के पूरक हैं। बजट शब्दावली ***परिशिष्ट 6*** में दी गयी है। बजट तैयार करने की सामान्य प्रक्रिया **चार्ट 3.1** में दी गई है।

चार्ट 3.1: बजट प्रकिया

सीएसएस: केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं; सीएस: केन्द्रीय योजनाएं

बजट 2020-21 के विभिन्न घटक ***चार्ट 3.2*** में चित्रित किये गये है:-

चार्ट 3.2: बजट के घटक

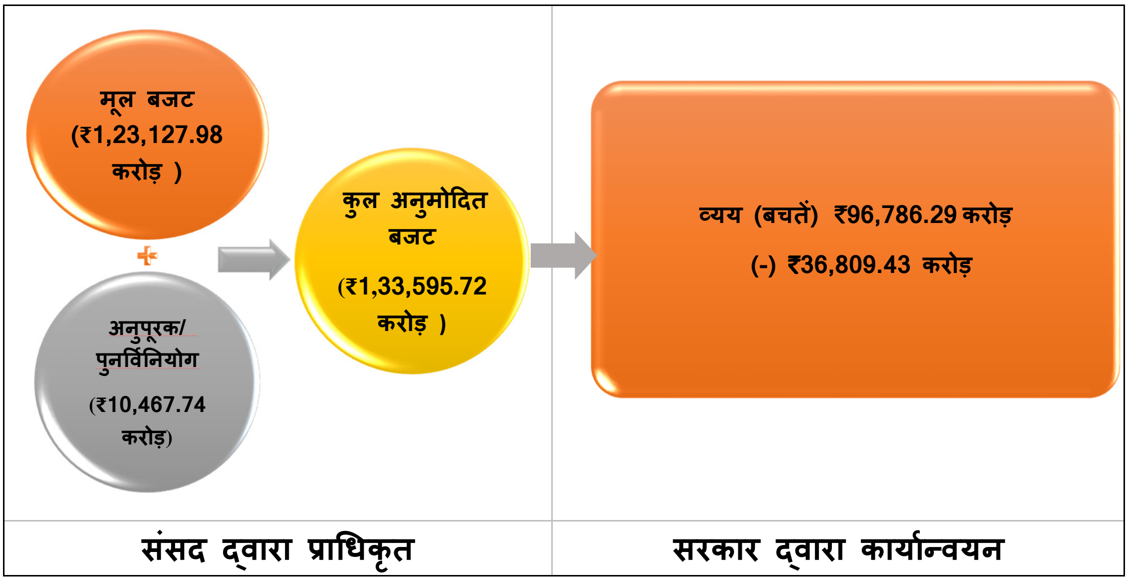

स्रोत: बजट नियपुस्तिका और विनियोग लेखाओं में वर्णित प्रक्रिया पर आधारित

3.1.1 वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों और बचतों का सार

वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/ आधिक्य को, आगे इनके दत्तमत/प्रभारित द्विभाजन सहित एक सारांशीकृत स्थिति में नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1: वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत (-)/ आधिक्य (+)	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत
1,00,254.92	33,340.81	56,782.00	40,004.29	(-)43,472.92	(+)6,663.48

3.1.2 प्रभारित और दत्तमत संवितरण

वर्ष 2020-21 के दौरान, दत्तमत अनुभाग के अंर्तगत ₹1,00,254.92 करोड़ के प्रावधान के प्रति ₹56,782.00 करोड़ का व्यय किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹43,472.92 करोड़ की बचत हुई। हालांकि, प्रभारित अनुभाग के अंतर्गत ₹33,340.81 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹40,004.29 करोड़ का व्यय किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान, ₹6,663.48 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है।

3.2 विनियोग लेखे

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा से यह अभिनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तविक रूप से किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के अनुरूप है और प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाने वाला अपेक्षित व्यय, उतना ही प्रभारित किया गया है। इससे यह भी अभिनिश्चित किया जाता है कि क्या किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और अनुदेशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की एकरूपता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 विधि के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

जेएण्डके पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 43 के प्रावधानों के अनुरूप विनियोग के अंतर्गत विधि द्वारा पारित किये जाने के अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान बजटीय प्रावधानों के बिना 53 योजनाओं/ उपशीर्षों के अंतर्गत 16 अनुदानों ***(परिशिष्ट 3.1)*** में ₹6,714.34 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।

3.3.2 पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व प्रकृति वाले व्यय का वर्गीकरण या विलोमत:

राजस्व प्रकृति वाले व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में या इसके विलोमतः वर्गीकरण का परिणाम राजस्व व्यय और राजस्व घाटे/अधिशेष के अधिक आंकलन/कम आंकलन के रूप में हुआ।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्व व्यय के ₹189.81 करोड़ की राशि, जैसा नीचे विवरण दिया है, व्यय के पूँजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत संवितरित की गयी थी, जिसके परिणाम स्वरूप पूँजीगत व्यय का अधिक आंकलन और राजस्व व्यय का कम आंकलन किया गया तथा ₹189.81 करोड़ की सीमा तक राजस्व घाटा हुआ।

तालिका 3.2: पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व प्रकृति वाले व्यय का वर्गीकरण

क्र.सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	गलत वर्गीकरण का प्रकार	राशि *(₹ करोड़ में)*
1.	4210, 4225, 4401 एवं 4515	पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान	61.59
2.	4235	पूँजीगत व्यय के रूप में बुक किया गया वेतन	0.17

क्र.सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	गलत वर्गीकरण का प्रकार	राशि *(₹ करोड़ में)*
3.	4401, 4402 एवं 5055	पूँजीगत व्यय के रूप में बुक सहायिकी	128.05
		कुल	**189.81**

3.3.3 अनावश्यक या अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 44 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम द्वारा किये गये प्रावधान पर एक अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिये जा सकते हैं।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹50 लाख या उससे अधिक को शामिल करते हुए 11 मामलों में प्राप्त कुल ₹12,393.19 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आयाथा जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2*** में वर्णित है। दूसरी ओर, अनुदान 08-वित्त विभाग, (प्रभारित पूँजी) में ₹520.85 करोड़ का अनुपूरक अनुदान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं ***(चार्ट 3.3)*** था।

चार्ट 3.3: अनावश्यक और अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

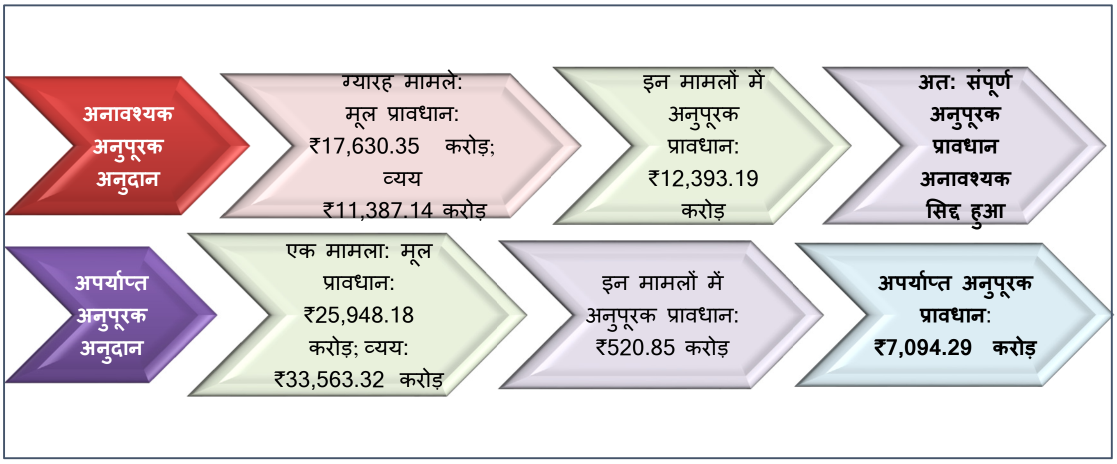

स्रोत: वित्त लेखे.

सरकार बृहत् बचतों और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए यथार्थवादी बजट अनुमानों को तैयार करने पर विचार कर सकती है।

3.4 महत्त्वपूर्ण बचतें

जेएण्डके बजट नियम पुस्तिका के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को जब भी होने वाली बचतों का पूर्वानुमान हो तो, अनुदानों/विनियोगों या उसका भाग वित्त विभाग

को अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। 31 मार्च 2021 को 34 अनुदान थे जिनमें ₹दस करोड़ और उससे अधिक की बचतें हुई थी, जिसमें 30 अनुदान शामिल थे जिनमें ₹100 करोड़ और उससे अधिक की बचत देखी गई थी। वर्ष 2020-21 के दौरान बचतों की प्रतिशतता अनुदान के कुल विनियोग के 17 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के बीच रही थी। हालांकि, संबंधित विभागों द्वारा बचतों के पूर्वानुमान में कोई अभ्यर्पण नहीं किया गया था। इन मामलों में बचतें ₹41,846.32 करोड़ के आदेश की थी। प्रासंगिक विवरण ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शाये गये हैं। उपर्युक्त बचतों में पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत विभागों द्वारा ₹31,927.59 करोड़ की राशि के 25 अनुदानों में ₹100 करोड़ और उससे अधिक की बृहत् बचतें भी शामिल हैं, यह इंगित करता है कि सरकार विकासात्मक गतिविधियों/परिसंपत्तियों के सृजन के लिए चिह्नित निधियों का उपयोग नहीं कर सकी। वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत बचतें अनुदान के कुल विनियोग के 19 प्रतिशत और 99 प्रतिशत के बीच रही।

3.4.1 प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत प्रावधान की उपयोगिता का प्रतिशत

अनुदानों की उपयोगिता की लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि 35 अनुदानों में से, 34 अनुदानों में, उपयोगिता 20 प्रतिशत और 83 प्रतिशत के बीच रही। शेष एक अनुदान में 11 प्रतिशत की अधिक उपयोगिता रही जिसके परिणामस्वरूप 2020-21 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य हुआ, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4*** में विवरण दिया गया है। इन विभागों द्वारा बचतें (कम उपयोग) सरकार द्वारा योजनाओं/निर्माण कार्यों की गैर-प्राथमिकता का सूचक है या संबंधित विभागों/कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में अकुशलता है। इस अवधि के दौरान विभागों द्वारा बजट प्रावधानों से अनुदानों का अधिक उपयोग व्यय आधिक्य किये जाने को इंगित करता है जिसे विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

3.4.2 बचतों की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का वितरण

विनियोग लेखापरीक्षा का परिणाम 5 अनुदानों में ₹8,185.68 करोड़ की राशि की 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत, 12 अनुदानों में ₹6,916.29 करोड़ की राशि की 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत और 11 अनुदानों में ₹9,878.17 करोड़ की राशि की 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत और 6 अनुदानों में ₹16,866.19 करोड़ की राशि की 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की बचतों को दर्शाता है।

विभागों द्वारा अनुदानों का कम उपयोग इंगित करता है कि सरकार नियोजित प्रयोजनों हेतु चिह्नित निधियों का उपयोग नहीं कर सकी।

चार्ट 3.4: प्रत्येक समूह में ₹ करोड़ में कुल बचतों सहित बचतों की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/ विनियोगों की संख्या का वितरण

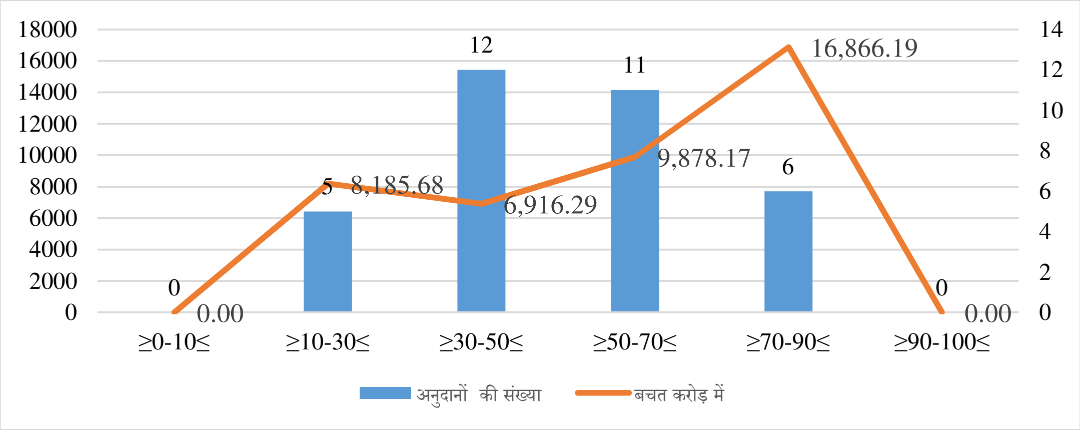

3.5 शून्य व्यय के साथ अनुदान

139 योजनाओं को शामिल करते हुए 25 अनुदानों के अंतर्गत ₹18,134.91 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.5*** में विवरण दिया गया है, वर्ष के दौरान अनुपयोगी रहा जिसके परिणामस्वरूप जनसाधारण अभिप्रेत लाभों से वंचित रहा। प्रावधान को उन योजनाओं/कार्यों में पुनर्प्रभाजित किया जा सकता था जहाँ प्रावधान पर आधिक्य व्यय था।

3.5.1 नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर आधिक्य

जेएण्डके पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 43 के अनुसार, विनियोग के अंतर्गत इस धारा के प्रावधानों सहित विधि द्वारा पारित किए जाने के अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अनुदान संख्या 08 (वित्त विभाग) में पूँजीगत प्रभारित अनुभाग के अंतर्गत ₹7,094.29 करोड़ की राशि का आधिक्य व्यय किया गया है।

वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा ₹3,875.61 करोड़ की राशि जैसा कि ***परिशिष्ट 3.6*** में विवरण दिया गया है, का आधिक्य व्यय भी किया गया था। यह अनियमितता उक्त धारा का उल्लंघन है और 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित कुल ₹10,969.90 करोड़ की राशि को नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

3.5.2 तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का नियमितीकरण

वर्ष 1980-81 से विनियोग लेखाओं पर पीएसी में चर्चा नहीं की गयी थी तथा वर्ष 1980-81 से 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019 तक) के लिए तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित कुल ₹1,24,004.41 करोड़ के व्यय आधिक्य को अभीतक नियमित किया जाना है जैसाकि ***परिशिष्ट 3.7*** में विवरण दिया गया है। ऐसी विस्तारित अवधि के लिए शेष अनियमित आधिक्य व्यय बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को निष्फल करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

3.6 पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान

सहायता अनुदान एक सरकार से दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दी गई सहायता, दान या अंशदानों की प्रकृति में भुगतान हैं। परिसंपत्तियों के निर्माण सहित किसी संस्थान को सहायता देने के विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु सहायता अनुदान दिया जाता है।

आईजीएएस 2 के अनुसार, ऐसे मामलों, जहाँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो, के अतिरिक्त अनुदानकर्ता द्वारा अनुदानग्राही को संवितरित सहायता अनुदान को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत और लेखाबद्ध किया जाएगा, चाहे वह उद्देश्य कुछ भी हो जिसके लिए सहायता अनुदान के रूप में वितरित की गई धनराशि को अनुदानग्राही द्वारा खर्च किया जाना है। यह देखा गया है कि वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में जीआईए की बुकिंग हुई जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: पूँजीगत व्यय के रूप में जीआईए के वर्गीकरण की सीमा

(₹ करोड़ में)

मद	**2020-21**
पूँजीगत व्यय के रूप में बुक किया गया जीआईए	61.59
कुल पूँजीगत व्यय	10,470.38
पूँजीगत व्यय में जीआई का अंश (प्रतिशत में)	0.59
राजस्व घाटा (-)/ राजस्व बचत (+)	(-)138.27
राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+), यदि जीआईए से व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना जाए।	(-)199.86

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 तक की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में जीआईए के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा ₹61.59 करोड़ तक कम आंका गया।

3.7 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.7.1 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

जम्मू एवं कश्मीर बजट नियमपुस्तिका उपबंध करती है कि "एकमुश्त प्रावधान, यदि आवश्यक हो तो केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए। संक्षेप में, बजट में एकमुश्त प्रावधानों के समावेशन को अपवाद रूप में लें तथा नियम के रूप में इसका पालन नहीं किया जाना चाहिए।" व्यय के सटीक उद्देश्य की पहचान किए बिना एकमुश्त प्रावधान पारदर्शिता के विरुद्ध हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹7,596.38 करोड़ का एकमुश्त बजटीय प्रावधान, जो कि अनुदान के ₹45,535.59 करोड़ के कुल प्रावधान का 17 प्रतिशत है, नियंत्रण अधिकारियों के पास जेएण्डके बजट नियमपुस्तिका के उल्लंघन में विस्तृत शीर्ष-वार/योजना-वार प्रावधानों की अपेक्षा तीन प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत अनुदान संख्या 08 (वित्त विभाग) में रखा गया था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	एमएच	प्रावधान	व्यय	अनुदान में कुल प्रावधान	अनुदान के कुल प्रावधान हेतु एकमुश्त प्रावधान की प्रतिशतता
8	वित्त विभाग	2071-पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7,297.29	8,008.92	**45,535.59**	17 प्रतिशत
		2030- स्टाम्प एवं पंजीकरण	6.91	4.54		
		2049- ब्याज भुगतान	292.18	1,052.96		
		कुल	**7,596.38**	**9,066.42**		

3.8 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

3.8.1 *बजट प्रक्षेपण और अनुमान तथा वास्तविक के मध्य अंतर*

वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय के लिए कुल प्रावधान ₹1,33,595.72 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹96,786.29 करोड़ (72 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप 2020-21 की अवधि के दौरान ₹36,809.94 करोड़ की बचतें हुई। वर्ष

2020-21 के दौरान 35 अनुदानों/विनियोगों के प्रति वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गयी है:

तालिका 3.5: वर्ष 2020-21 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-) आधिक्य (+)	मार्च 2021 के दौरान अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	55,670.39	1,669.39	57,339.78	46,208.14	(-)11,131.64	शून्य	शून्य
	II. पूँजीगत	34,408.04	8,399.20	42,807.24	10,487.22	(-)32,320.02	शून्य	शून्य
	III. ऋण एवं अग्रिम	107.90	0.00	107.90	61.64*	(-)46.26	शून्य	शून्य
	कुल	**90,186.33**	**10,068.59**	**1,00,254.92**	**56,757.00**	**(-)43,497.92**	**शून्य**	**शून्य**
प्रभारित	IV. राजस्व	6,993.48	-121.70	6,871.78	6,440.97	(-)430.81	शून्य	शून्य
	V. पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	शून्य	शून्य
	VI. लोक ऋण-पुनर्भुगतान	25,948.18	520.85	26,469.03	33,563.32	7,094.29	शून्य	शून्य
	कुल	**32,941.66**	**399.15**	**33,340.81**	**40,004.29**	**6,663.48**	**शून्य**	**शून्य**
आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	शून्य	शून्य
	कुल योग	**1,23,127.98**	**10,467.74**	**1,33,595.72**	**96,786.29**	**(-)36,809.44**	**शून्य**	**शून्य**

*स्रोतः विनियोग लेखे *एवं वित्त लेखे खण्ड-I (विवरण-7)*

अनुदानों में बचतें, अनुदानों के अधिक निर्धारण का संकेत है जिसके परिणामस्वरूप बचतें हुई है। इसके अलावा, अवधि के दौरान कुछ विभागों में अत्यधिक बचतें अन्य विभागों के निधियों से वंचित होने का संकेत है जिसका वे उपयोग कर सकते हैं और निधियों (बचतों) का गैर-अभ्यर्पण जेएण्डके बजट नियमपुस्तिका के अनुदेशों का उल्लंघन है।

3.8.2 व्यय की बहुलता

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 62(3) में उपबंधित है कि विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की बहुलता को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, चार अनुदानों के संबंध में, वर्ष के कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2021 के दौरान ही किया गया है और व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का 56 और 64 प्रतिशत के बीच रहा। इसी प्रकार, सात अनुदानों में वर्ष के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वर्ष की अंतिम

तिमाही के दौरान किया गया है और व्यय का प्रतिशत 57 प्रतिशत और 76 प्रतिशत के बीच रहा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.6: अकेले मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय सहित अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय							
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	चतुर्थ तिमाही में व्यय की प्रतिशता	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशता
1.	3	योजना एवं विकास विभाग	30.55	52.09	93.76	399.29	**575.69**	69.36	340.08	59.07
2.	19	आवास एवं शहरी विकास विभाग	415.74	21.36	218.35	869.11	**1,524.56**	57.01	851.79	55.87
3.	20	पर्यटन विभाग	20.98	27.66	31.85	106.49	**186.98**	56.95	84.51	45.20
4.	29	परिवहन विभाग	25.38	18.46	22.98	118.40	**185.22**	63.92	108.49	58.57
5.	30	जनजातीय मामले विभाग	3.87	6.19	16.00	47.57	**73.63**	64.61	34.96	47.48
6.	32	उद्यान कृषि विभाग	27.07	32.26	48.75	189.60	**297.68**	63.69	129.85	43.62
7.	35	विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	2.40	2.63	3.02	25.67	**33.72**	76.13	21.64	64.18

3.9 चयनित अनुदानों की समीक्षा

35 अनुदानों में से नमूना जाँच किये गये दो अनुदानों (अनुदान संख्याः 06 विद्युत विकास विभाग और अनुदान संख्याः 08 वित्त विभाग) की बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई तथा लेखापरीक्षा प्रेक्षण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिये गये हैं।

3.9.1 अनुदान संख्या 06: विद्युत विकास विभाग

तालिका 3.7: अनुदान संख्या 06 के अंतर्गत बचत/ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष		बजट आबंटन			बुक किया गया व्यय	आधिक्य/ बचत
			मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल		
1	2801	विद्युत	3,968.98	-201.27	3,767.71	2,812.84	-954.87
कुल राजस्व दत्तमत			**3,968.98**	**-201.27**	**3,767.71**	**2,812.84**	**-954.87**

2	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3,522.90	10,110.74	13,633.65	589.57	-13,044.07
कुल पूँजीगत दत्तमत			**3,522.90**	**10,110.74**	**13,633.65**	**589.57**	**-13,044.07**
कुल			**7,491.88**	**9,909.47**	**17,401.35**	**3,402.41**	**-13,998.94**

(i) अनुदान के अंतर्गत ₹17,401.35 करोड़ के कुल आबंटन के प्रति, केवल ₹3,402.41 करोड़ का व्यय बुक किया गया था और वर्ष के दौरान ₹13,998.94 करोड़ (80 प्रतिशत) की राशि अव्ययित रही जो इंगित करता है कि विभाग ने वर्ष 2020-21 के दौरान अयथार्थवादी बजट प्रावधान किये परिणामस्वरूप, राजस्व दत्तमत में ₹954.87 करोड़ और पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹13,044.07 करोड़ की बचत हुई।

(ii) आठ योजनाओं ***(परिशिष्ट 3.8)*** में ₹12,037.22 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप जनसाधारण अभिप्रेत लाभों से वंचित रहा।

(iii) वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर, 12 मामलों ***(परिशिष्ट 3.9)*** में ₹1,960.81 करोड़ की बचत संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्पित नहीं की गयी थी। अनुदानों में बचत, अनुदानों के अधिक निर्धारण का संकेत है जिसके परिणामस्वरूप बचत होती है और निधियों (बचतों) का गैर-अभ्यर्पण भी संघ शासित क्षेत्र बजट नियमपुस्तिका के अनुदेशों का उल्लंघन है।

3.9.2 अनुदान संख्या 08: वित्त विभाग

तालिका 3.8: अनुदान संख्या 08 के अंतर्गत बचत/ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	बजट आबंटन			बुक किया गया व्यय	आधिक्य/ बचत
		मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल आबंटन		
1	राजस्व (दत्तमत-प्रभारित)	15,604.72	1,245.80	16,850.52	16,188.68	-661.84
2	पूँजीगत (दत्तमत-प्रभारित)	31,147.50	-2,462.43	28,685.07	34,358.79	5,673.72
3	आकस्मिकति निधि के लिए विनियोग	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
	कुल	**46,752.22**	**-1,216.63**	**45,535.59**	**50,572.47**	**5,036.88**

(i) अनुदान के अंतर्गत ₹45,535.59 करोड़ के कुल आबंटन के प्रति, ₹50,572.47 करोड़ का व्यय बुक किया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के दौरान ₹5,036.88 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जो इंगित करता

है कि विभाग ने अयथार्थवादी बजट प्रावधान किये हैं जिसके परिणामस्वरूप दत्तमत/प्रभारित राजस्व में ₹661.84 करोड़ की बचत हुई है तथा पूँजीगत दत्तमत/प्रभारित अनुभाग में ₹5,673.72 करोड़ का आधिक्य हुआ। आकस्मिकता निधि में विनियोग के कारण ₹25 करोड़ का अधिक व्यय हुआ है।

(ii) वर्ष 2020-21 के दौरान बिना बजटीय प्रावधानों के 40 योजनाओं/उपशीर्षों ***(परिशिष्ट 3.10)*** के अंतर्गत ₹9,892.76 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था जिसे नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

(iii) 14 योजनाओं, जैसा कि ***(परिशिष्ट 3.11)*** में विवरण दिया गया है, में ₹2,656.07 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप जन साधारण अभिप्रेत लाभों से वंचित रहा।

(iv) वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर, 43 मामलों ***(परिशिष्ट 3.12)*** में ₹3,561.38 करोड़ की बचत संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्पित नहीं की गई थी। अनुदानों में बचतें, अनुदानों के अधिक निर्धारण का संकेत है जिसके परिणामस्वरूप बचतें होती है और निधियों (बचतों) का गैर-अभ्यर्पण भी बजट नियमपुस्तिका के अनुदेशों का उल्लंघन है।

(v) वर्ष 2020-21 के दौरान दो योजनाओं ***(परिशिष्ट 3.13)*** में ₹1,384.25 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया है जिसे नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

3.10 निष्कर्ष

- बजट का समग्र उपयोग वर्ष 2020-21 के दौरान अनुदान और विनियोग की कुल राशि से 27 प्रतिशत कम था। बजटीय आबंटन अयथार्थवादी प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि कुल 35 अनुदानों में से, 25 अनुदानों में, पूँजीगत अनुभाग में ₹100 करोड़ से अधिक की बचतें थी।

- दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹1,00,254.92 करोड़ के उपलब्ध प्रावधान के प्रति, ₹56,782.00 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹43,472.92 करोड़ की बचत हुई, जबकि प्रभारित अनुभाग के अंतर्गत ₹33,340.81 करोड़ के प्रावधान के प्रति, ₹40,004.29 करोड़ का व्यय किया

गया था जिसके परिणामस्वरूप 2020-21 के दौरान ₹6,663.48 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

- 2020-21 के दौरान बजटीय प्रावधानों के बिना 16 अनुदानों में 53 योजनाओं/उपशीर्षों के अंतर्गत ₹6,714.34 करोड़ की राशि व्यय की गयी थी।
- 11 मामलों में प्राप्त कुल ₹12,393.19 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, जिसमें वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹50 लाख या अधिक शामिल थे, अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया था।
- 31 मार्च 2021 तक 34 अनुदानों में, ₹दस करोड़ और उससे अधिक की बचत देखी गयी थी, जिसमें 30 अनुदान शामिल थे जिनमें ₹100 करोड़ और उससे अधिक की बचतें देखी गयी थी।
- वर्ष के दौरान 25 अनुदानों के अंतर्गत ₹18,134.91 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान, जिसमें 139 योजनाएं शामिल थी, अप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप जनसाधारण अभिप्रेत लाभों से वंचित रहा।
- अनुदान संख्या 06- विद्युत विकास विभाग की समीक्षा से प्रकट हुआ कि अनुदान के अंतर्गत ₹17,401.35 करोड़ के बजट/विनियोग के प्रति, केवल ₹3,402.41 करोड़ का व्यय बुक किया गया था और ₹13,998.94 करोड़ की राशि 2020-21 के दौरान अव्ययित रही। यह दर्शाता है कि बजट अनुमान या तो अयथार्थवादी रूप से बनाये गये थे या विभाग ने अवधि के दौरान राशि का संवितरण नहीं किया था और बचतें भी अभ्यर्पित नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, आठ योजनाओं में ₹12,037.22 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप जनसाधारण को अभिप्रेत लाभों से वंचित रहना पड़ा।
- अनुदान संख्या 08- वित्त विभाग की समीक्षा से प्रकट हुआ कि अनुदान के अंतर्गत ₹45,535.59 करोड़ के कुल आबंटन के प्रति ₹50,572.47 करोड़ का व्यय बुक किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के दौरान ₹5,036.88 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ जो इंगित करता है कि विभाग ने अयथार्थवादी बजट प्रावधान किये जिसके परिणामस्वरूप राजस्व दत्तमत/

प्रभारित में ₹661.84 करोड़ की बचत हुई और पूँजीगत दत्तमत/प्रभारित अनुभाग में ₹5,698.72 करोड़ की अधिकता हुई।

- बजटीय प्रावधानों के बिना 40 योजनाओं/उपशीर्षों के अंतर्गत ₹9,892.76 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था।
- वर्ष के दौरान 14 योजनाओं को शामिल करते हुए ₹2,656.07 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा।
- 43 मामलों में, विभाग द्वारा ₹3,561.38 करोड़ की बचत अभ्यर्पित नहीं की गयी थी।
- वर्ष 2020-21 के दौरान दो योजनाओं में ₹1,384.25 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया था।

3.11 अनुशंसाएं

1. सरकार को अपनी बजटीय धारणाओं में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचतों/ आधिक्य व्यय में कटौती के लिए कुशल नियंत्रण क्रियाविधि सुनिश्चित करनी चाहिए।
2. अनुमोदित अनुदानों से अधिक व्यय आधिक्य को यथाशीघ्र नियमित किया जाए।
3. सरकार वर्ष के अंत में व्यय की बहुलता से बचने के लिए वित्तीय अनुवीक्षण के सुदृढ़ीकरण पर विचार कर सकती है।
4. बजट के उचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग लेखे तैयार करने को सुकर बनाने के लिए आबंटन से व्यय में भिन्नता की व्याख्या करने हेतु नियंत्रण अधिकारियों को उनके उत्तरदायित्व से अवगत कराने की आवश्यकता है।

अध्याय-IV

लेखाओं एवं वित्तीय रिपोर्टिंग रीतियों की गुणवत्ता

अध्याय-IV

लेखाओं एवं वित्तीय रिपोर्टिंग रीतियों की गुणवत्ता

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक यथार्थ आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली प्रमुख रूप से संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा कुशल तथा प्रभावी शासन में योगदान देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमावली, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता तथा गुणवत्ता अच्छे शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन तथा नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालनात्मक हो, तो कार्यनीति योजना बनाने तथा निर्णय लेने सहित इसके आधारभूत कार्यधीशता उत्तरदायित्वों को प्राप्त करने में सरकार की सहायता करते हैं।

लेखाओं की पूर्णता संबंधी मुद्दे

4.1 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लोक लेखा या समेकित निधि से बाहर की निधियाँ

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 67 उपबंध करती है कि भारत सरकार द्वारा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्राप्त सभी राजस्व या किसी भी मामले के संबंध में उपराज्यपाल, जिसके संबंध में संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है और भारत की समेकित निधि से संघ शासित क्षेत्र को दिये गये सभी अनुदान तथा दिये गये ऋण और संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत सरकार या संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा लिये गये सभी ऋण और संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि निर्मित करेगी। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में उपबंधित रीति और उद्देश्य के लिए तथा विधि के अनुरूप के अतिरिक्त, इस निधि से कोई धन विनियोजित नहीं किया जा सकता। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि), जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि (प्रभारित व्यय) पर प्रभार का निर्माण करती हैं और विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानमण्डल द्वारा दत्तमत होते हैं।

4.1.1 भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर

भारत सरकार ने कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर उदग्रहण एवं संग्रहण करने के लिए भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया। अधिनियम, अन्य बातों के साथ, एक भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन और अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक सरकार द्वारा नियमावली तैयार करना अनिवार्य है। तदनुसार, जम्मू एवं कश्मीर की तत्कालीन राज्य सरकार ने अधिनियम के अंतर्गत भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) नियमावली 2006 बनायी और 2007 में जम्मू एवं कश्मीर भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया। बोर्ड श्रम उपकर जमाओं के रूप में सरकार द्वारा जमा की गई राशि का परिचालन और अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की सरकार ने उसी नियमावली को जारी रखा। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने विभिन्न प्रमुख मदों के अंतर्गत श्रम उपकर के रूप में ₹124.41 करोड़ का संग्रहण किया और संम्पूर्ण राशि भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित कर दी। 31 मार्च 2021 को श्रम उपकर का अंतशेष ₹615.58 करोड़ था।

4.1.2 जल उपयोग प्रभार

25 अक्टूबर 2012 और 27 अक्टूबर 2014 को संशोधित जम्मू एवं कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन कंपनियों पर 5 पैसे से 25 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर पानी की दर से जल उपयोग प्रभारों की उगाही की जा रही है। अधिनियम के अंतर्गत, जम्मू एवं कश्मीर बैंक में एक खाता संख्या के रूप में एक निधि को निर्मित किया जाना था या एक उचित लेखा शीर्ष का आबंटन किया जाना था। जल उपयोग प्रभार के रूप में वसूल की गई राशि को इस प्रकार सृजित किये गये लेखे/शीर्ष में जमा किया जाना थातथा जलविद्युत और बहु-उद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए और राज्य में पहले से स्थापित जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं को पुनः खरीदने और बिजली की खरीद के लिए उपयोग किया जाना था। 31 मार्च 2021 तक जल उपयोग प्रभारों/ब्याज के कारण ₹15.31 करोड़ की राशि उपर्युक्त बचत बैंक खाते में थी जो संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि से बाहर रही।

4.1.3 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के बैंक खातों में पड़ी हुयी अव्ययित राशि

संघ शासित क्षेत्र (अगस्त 2021) सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च 2021 तक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के केवल नौ डीडीओ के बचत/ चालू बैंक खाते में ₹25.39 करोड़ की राशि पड़ी हुयी थी। अन्य विभागों से संबंधित सूचना संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की सरकार से प्रतीक्षित (अगस्त 2021) थी। परिणाम स्वरूप, ₹25.39 करोड़ की राशि सरकारी लेखे से बाहर रही।

4.2 कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियाँ

भारत सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को महत्वपूर्ण निधियां हस्तांतरित करती है। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के अनुसार, केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों ने 2020-21 की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों को सीधे हस्तांतरित निधियों की राशि ₹917.68 करोड़ ***(परिशिष्ट 4.1)*** थी। यह संघ शासित क्षेत्र के बजट के माध्यम से सहायता अनुदान के रूप में केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए भारत सरकार द्वारा जारी राशि (₹6,533.49 करोड़) का 14.05 प्रतिशत है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने विभिन्न स्वायत्त निकायों, केन्द्र सरकार के संगठनों, समितियों इत्यादि को सीधे ₹1,843.51 करोड़ की राशि निर्मोचित की।

योजनाएं, जहाँ 2020-2 1तक की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष वित्त पोषण ₹100 करोड़ से अधिक था, नीचे दी गयी हैं:

तालिका 4.1: भारत सरकार द्वारा सरकारी विभागों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भारत सरकार की योजनाओं का नाम	कार्यान्वयन अभिकरणों का नाम	वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्मोचन
1	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि उत्पाद विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	708.83
2	एनएफएसए के अंतर्गत एफपीएस डीलर मार्जिन तथा खाद्यान्नों की अंतर्राज्यीय गतिशीलता के लिए राज्य अभिकरणों को सहायता	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर	137.84

स्रोत: वित्त लेखे

4.3 स्थानीय निधियों की जमाएं

जम्मू एवं कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में उपबंधित है कि हलका पंचायत हलका पंचायत निधि का अनुरक्षण करेगी। इसे मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमाएं-109-पंचायत निकाय निधियाँ के अंतर्गत रखा जाना है, जिसमें अधिनियम के अंतर्गत वसूल या वसूली योग्य सभी धन और पीआरआई द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धनराशि, जैसे सरकार से प्राप्त अनुदान और अपने स्वयं के राजस्व शामिल होंगे, जिसमें पंचायत की कर और गैर-कर प्राप्तिसम्मिलित है। नगरपालिका अधिनियम उपबंधित करता है कि नगरपालिका निधि को नगरपालिका द्वारा प्रतिधारित किया जाना है। इस अधिनियम के अंतर्गत वसूल या वसूली योग्य समस्त धनराशि और नगरपालिकाओं द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धनराशि को मुख्य शीर्ष 8448- स्थानीय निधियों की जमाएं-102-नगरपालिका निधियाँ के अंतर्गत नगरपालिका निधि में रखा जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान उपर्युक्त दो स्थानीय निधियों के अंतर्गत प्राप्ति और व्यय को **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: स्थानीय निधियों की जमाएं

(₹ करोड़ में)

वर्ष				2020-21
पंचायत निधि	(8448-109)	अथ शेष	1	शून्य
		प्राप्ति	2	शून्य
		व्यय	3	शून्य
		अंत शेष	4	(शून्य) 0.27
वर्ष के अंत में कुल अंत शेष				
नगरपालिका निधि	(8448-102)	अथ शेष	5	60.26
		प्राप्ति	6	705.53
		व्यय	7	490.52
		अंत शेष	8	275.27 (133.39)

** वित्त लेखे। कोष्ठकों में आँकड़े तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 30 अक्टूबर 2019 को समाप्त अंत शेष को दर्शाते हैं जिन्हें दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य द्विभाजित किया जाना है।*

वर्ष 2020-21 के दौरान पंचायत निधि से कोई प्राप्ति तथा व्यय नहीं हुआ है। हालांकि, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य का ₹0.27 करोड़ का अंतशेष है। वर्ष 2020-21 के दौरान नगरपालिका निधि ₹60.26 करोड़ से बढ़कर ₹275.27 करोड़ हो गयी, इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर राज्य का ₹133.39 करोड़ का अंतशेष भी है जिसे दो संघ शासित क्षेत्रों के बीच विभाजित किया जाना है।

पारदर्शिता संबंधी मुद्दे

4.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

30 सितंबर 2019 तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा जारी अनुदानों के लिए 31 मार्च 2021 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति को, जो अभी भी विभाजित किये जाने हैं, **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3: तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुतिमें वर्ष-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष*	अथ शेष		जोड़		निर्बाधता		प्रस्तुति हेतु देय	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2018-19 तक	1,133	4,488.84	442	2,585.06	114	1,347.91	1,461	5,725.99
2019-20	1,461	5,725.99	502	2,639.91	157	1,391.70	1,806	6,974.20
2020-21	1,806	6,974.20	1,409	3,102.38	0.00	0.00	3,215	10,076.58

** उपर्युक्त वर्णित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण वर्ष के 18 महीनों के उपरांत*

30 सितंबर 2019 तक प्रदत्त अनुदानों हेतु ₹10,076.58 करोड़ की राशि के 3,215 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2020 तक बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्षवार विवरण नीचे **तालिका 4.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.4: तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष*	यूसी की संख्या	राशि
2018-19 तक	1,461	5,725.99
2019-20	345	1,248.21
2020-21	1,409	3,102.38
कुल	**3,215**	**10,076.58**

**उपर्युक्त वर्णित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण वर्ष के 18 महीनों के उपरांत*

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विभागवार विवरण दर्शाता है कि कुल बकाया प्रमाण-पत्रों में से 83.90 प्रतिशत निम्नलिखित चार विभागों से संबंधित हैं, जिनमें से 57.07 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र केवल शिक्षा विभाग से संबंधित हैं।

चार्ट 4.1: सितंबर 2019 तक प्रदत्त अनुदानों हेतु मुख्य विभागों के संबंध में बकाया यूसी

(₹ करोड़ में)

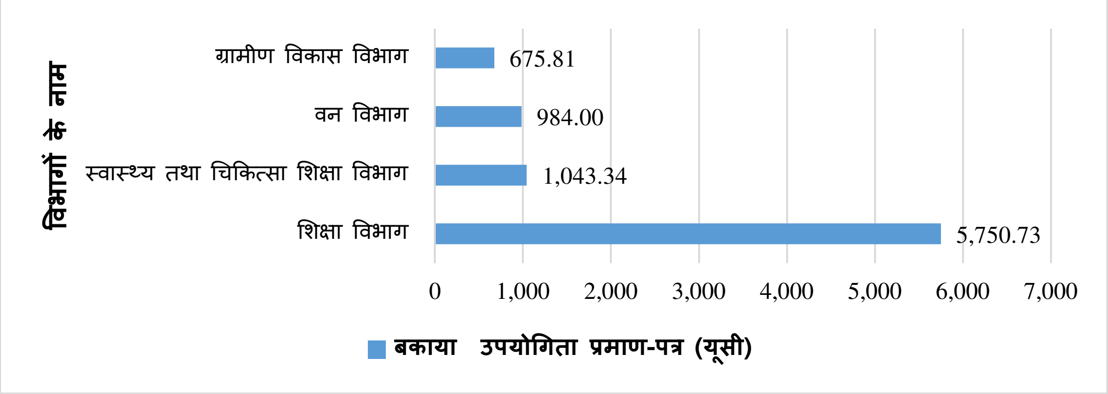

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण का अर्थ है कि प्राधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वर्षों से निधियों का व्यय कैसे किया गया। इस बात का भी कोई आश्वासन नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के अभिप्रेत उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। यदि ऐसे उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूँजीगत व्यय हेतु सहायता अनुदान के प्रतिलंबित हैं तो यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चूँकि उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना दुर्विनियोजन के जोखिम से भरा होता है, इसलिए यह आवश्यक है किसरकार को इस पहलू का बारीकी से अनुवीक्षण करना चाहिए और संबंधित व्यक्तियों को समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

4.5 संक्षिप्त आकस्मिक बिल

संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों के प्रति आहरित राशि के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिल दो महीने के अवधि के अंदर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रस्तुत करने होते हैं। यह देखा गया है कि वर्ष 2020-21 के दौरान ₹5,187.43 करोड़ की राशि के 719 एसी बिल आहरित किये गये थे। 719 एसी बिलों में से, ₹2,379.15 करोड़ (45.86 प्रतिशत) की राशि के 604 एसी बिल केवल मार्च 2021 में आहरित किये गये। मार्च में एसी बिलों के प्रति व्यय इंगित करता है कि आहरण प्राथमिक रूप से बजट प्रावधानों को समाप्त करने के लिए थे और अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाते हैं। 31 मार्च 2021 तक, विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 356 एसी बिलों पर ₹5,280.71 करोड़ की कुल राशि के डीसीसी बिल आहरित किये गये, परंतु प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), जम्मू एवं कश्मीर को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। 31 मार्च 2021 तक प्रतीक्षित एसी बिलों की विभाग-वार स्थिति निम्नानुसार है।

तालिका 4.5: संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विभागों से प्रतीक्षित डीसी बिल

क्र. सं.	विभाग का नाम	बकाया राशि *(₹करोड़ में)*	31 मार्च 2021 को कुल बकाया राशि ₹5,280.71 करोड़ का प्रतिशत
1.	लोक निर्माण	1,629.00	30.85
2.	ग्रामीण विकास	936.14	17.73
3.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	557.04	10.55
4.	शिक्षा	320.59	6.07
5.	आवास एवं शहरी विकास	308.93	5.85

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 4.2: संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य विभागों के संबंध में प्रतीक्षित डीसी बिल

(₹ करोड़ में)

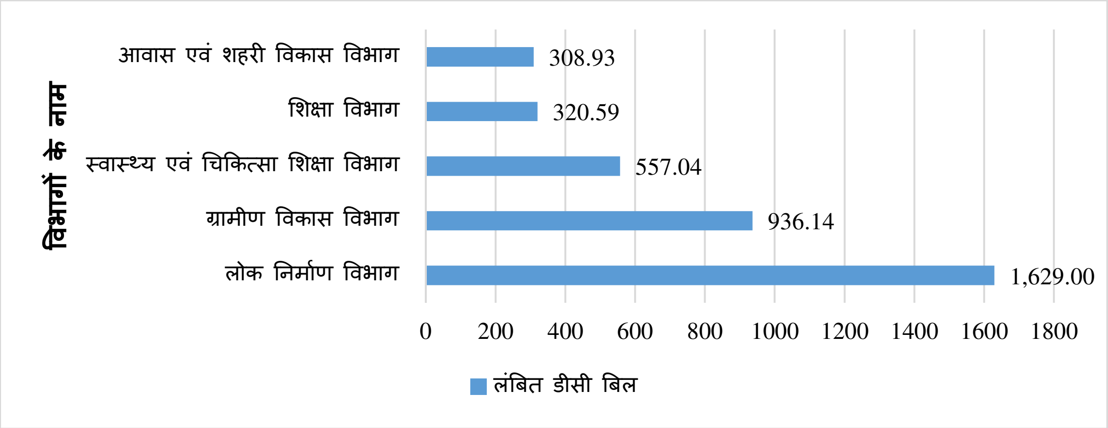

स्रोत: वित्त लेखे

इसके अतिरिक्त, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक आहरित ₹6,885.63 करोड़ की राशि के 2,237 एसी बिलों के संबंध में डीसीसी बिल 31 मार्च 2021 तक प्रतीक्षित थे। इन बकाया डीसीसी बिलों का द्विभाजन आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के बीच अभी तक किया जाना है। सरकार आकस्मिक बिलों पर आहरित अग्रिमों का विद्यमान नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित निर्धारित अवधि के अंदर समायोजन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

4.6 लघु शीर्ष-800 का अव्यवस्थित प्रयोग

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ/ अन्य व्यय को केवल तभी परिचालित करना है जब लेखाओंमें समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। बजट और लेखांकन के लिए लघु शीर्ष-800 का नियमित परिचालन, राजस्व या व्यय के समुचित उद्देश्य के

लिए प्राप्ति/व्यय (जैसा भी मामला हो) की पहचान किये बिना लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है। वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान, ₹52,495.48 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों के लगभग 7.13 प्रतिशत का गठन करते हुए लेखाओं के 38 राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3,741.00 करोड़ (मुख्य शीर्ष 0801 के अंतर्गत विद्युत और विविध विद्युत प्राप्तियों की बिक्री का प्रतिनिधित्व करने वाले ₹2,349.74 करोड़ की राजस्व प्राप्ति सहित) को लघु शीर्ष-800-'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार, लेखाओं के 48 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4,677.34 करोड़ का व्यय, जोकि ₹63,104.13 करोड़ के कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का लगभग 7.41 प्रतिशत था, लघु शीर्ष 800-'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। उदाहरणार्थ जहाँ एक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय का महत्त्वपूर्ण अनुपात (50 प्रतिशत या अधिक/ महत्वपूर्ण राशि) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत/ बुक किया गया था, उसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

सरकार लेखाओं में बेहतर स्पष्टता के लिए, प्रमुख योजनाओं की प्राप्तियों और व्यय को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत संयोजित करने के बजाय, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशियों और व्यय को स्पष्ट रूप से दर्शाने पर विचार कर सकती है।

तालिका 4.6: वर्ष 2020-21 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक किया गया महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय सहित कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय के प्रति लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय की प्रतिशतता
2075-विविध सामान्य सेवाएं	1.15	1.00	86.96
2211-परिवार कल्याण	212.33	116.31	54.78
3452-पर्यटन	135.03	68.93	51.05
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	7.37	7.37	100.00
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	70.46	70.46	100.00
4225-एससी/एसटी/ओबीसी के कल्याण तथा अल्पसंख्यकों पर पूँजीगत परिव्यय	31.28	30.94	98.91
4236-पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	16.45	16.45	100.00

स्रोतः वित्त लेखे

तालिका 4.7: वर्ष 2020-21 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत बुक की गयी महत्त्वपूर्ण प्राप्तियाँ

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों सहित कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों के प्रति लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)		
0049-ब्याज प्राप्ति	17.86	17.76	99.44
0059-लोक निर्माण	25.49	19.18	75.25
0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	19.15	13.01	67.94
0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.47	3.47	100.00
0701-प्रमुख और मध्यम सिंचाई	996.66	996.66	100.00
0702-लघु सिंचाई	9.42	8.65	91.83
0801-विद्युत	2,349.74	2,349.74	100.00

माप संबंधी मुद्दे

4.7 मुख्य उचंत एवं डीडीआर शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि की गणना समेकन रूप में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को अलग-अलग करके की जाती है।वर्ष 2020-21 के लिए महत्वपूर्ण उचंत मदों को सकल डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में **तालिका 4.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: उचंत एवं प्रेषणों के अंतर्गत शेष

लघु शीर्ष	2020-21		
	डेबिट	क्रेडिट	निवल (डेबिट/ क्रेडिट)
8658- उचंत लेखा			**(₹ करोड़ में)**
101-पीएओ उचंत	56.67	0.01	**56.66 (डे.)**
102-उचंत लेखा (सिविल)	47.97	2.44	**45.53 (डे.)**
109-आरबीआई उचंत (मुख्ययालय)	0.16	0.05	**0.11 (डे.)**
110-आरबीआई उचंत (केन्द्रीय लेखे)	0.91	0.08	**0.83 (डे.)**

लघु शीर्ष	2020-21		
	डेबिट	क्रेडिट	निवल (डेबिट/ क्रेडिट)
112-स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत	-	221.00	**221.00 (क्रे.)**
139-जीएसटी-स्रोत उचंत पर कर कटौती	1.02	5.15	**4.13 (क्रे.)**
8782- समान महालेखाकार/लेखा अधिकारियों को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकद प्रेषण और समायोजन-			
110-विविध प्रेषण	-	632.57	**632.57 (क्रे.)**
8793-अंतर्राज्यीय उचंत लेखा	-	1.93	**1.93 (क्रे.)**

स्रोत: वित्त लेखे

4.8 विभागीय आँकड़ों का गैर-मिलान

विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को, व्यय को बजट अनुदानों के अंदर रखने के लिए इस पर प्रभावी नियंत्रण करने और उनके लेखाओं की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए, वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह उनके द्वारा उनकी बहियों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय का मिलान महालेखाकार (ले. व ह.) के बहीखातों में अभिलेखबद्ध आँकड़ों से किया जाना चाहिए। आँकड़ों का मिलान और सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस संबंध में कोडल प्रावधानों और कार्यकारी अनुदेशों के प्रयोग/पालन में विफलता के परिणाम न केवल गलत वर्गीकरण और लेखाओं में प्राप्तियों और व्यय की गलत बुकिंग के रूप में होता है, बल्कि बजटीय प्रक्रिया का मूल उद्देश्य भी विफल होता है।

चार्ट 4.3 वर्ष 2020-21 के दौरान मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

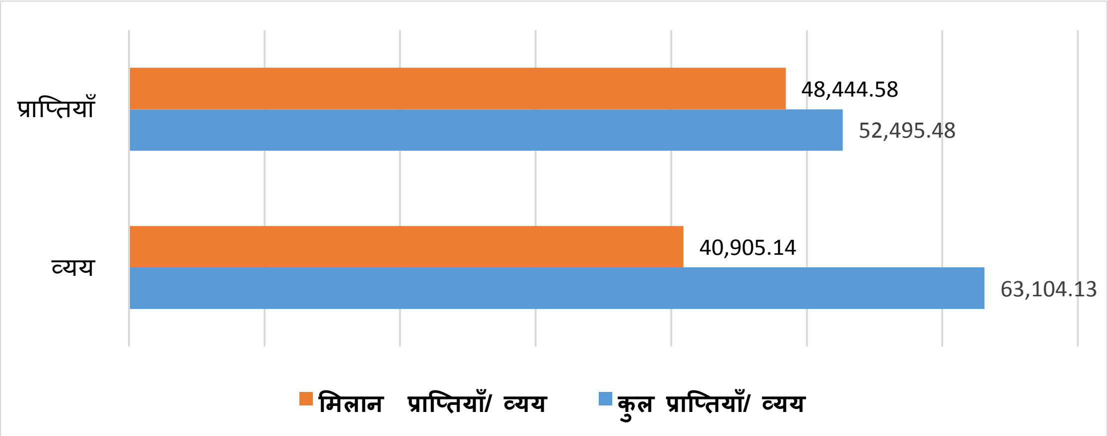

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹48,444.58 करोड़ की प्राप्तियों (लोक ऋण को छोड़कर संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की ₹52,495.48 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 92.28 प्रतिशत) और ₹40,905.14 करोड़ के व्यय (कुल राजस्व का 64.82 प्रतिशत) तथा ₹63,104.13 करोड़ के पूँजीगत व्यय का मिलान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) के साथ किया गया था।

4.9 नकद शेषों का मिलान

31 मार्च 2021 तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (पुनर्गठन के पश्चात्) का नगद शेष प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के अभिलेखों के अनुसार ₹1,447.69 करोड़ (डेबिट) तथा आरबीआई के अनुसार(जैसा कि प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) द्वारा आंकलन किया गया था) ₹1,448.27 करोड़ (क्रेडिट) था। संघ शासित क्षेत्र सरकार तथा अभिकरण बैंक के मध्य गैर-मिलान के कारण ₹0.58 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर था। यह अंतर सरकार के साथ-साथ आरबीआई के साथ मिलानाधीन है। 30 अक्टूबर 2019 को आरबीआई और प्रधान महालेखाकार के आँकड़ों के मध्य ₹83.32 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर भी था, जिसे अभी तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के बीच प्रभाजित किया जाना है।

प्रकटीकरण संबंधी मुद्दे

4.10 लेखांकन मानकों का अनुपालन

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 71 के अनुसार, उपराज्यपाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं के प्रपत्र निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अभी तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस) को अधिसूचित किया है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा 2020-21 में इन लेखांकन मानकों का अनुपालन और उनमें कमियाँ नीचे दी गई हैं:

तालिका 4.9: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आईजीएएस का सार	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	**आईजीएएस-1:** *सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियाँ- प्रकटन आवश्यकताएं*	ऐसी प्रत्याभूतियों की एकरूपता और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करना।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखे का विवरण 9 तथा 20)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूति की अधिकतम राशि, प्रत्याभूतियों में वृद्धि, लोप जैसी विस्तृत सूचना, प्रत्येक संस्थान हेतु प्रत्याभूतियों के क्षेत्र तथा वर्ग को प्रस्तुत किया गया है।
2.	**आईजीएएस-2:** *सहायता अनुदान का लेखांकन तथा वर्गीकरण*	सरकार के वित्तीय विवरणों में अनुदानकर्त्ता और अनुदानग्राही दोनों के रूप में सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना।	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखे का विवरण 10)	(i) राजस्व अनुभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने वाले कुछ सहायता अनुदानों को पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। (ii) संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा विभिन्न रूप से दिये गये सहायता अनुदानों के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी है।
3.	**आईजीएएस-3:** *सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम*	सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय रीतियों के अनुरूप सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए।	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखे का विवरण 7 एवं 18)	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा बकायों तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज की वसूलियों के विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये।

4.11 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों (एबी) के लेखाओं की प्रमाणन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2), 19 (3) तथा 20 (1) के अंतर्गत संचालित की जाती है। उपर्युक्त धाराओं के अनुसार लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले एबी को प्रत्येक वर्ष 30 जून से पूर्व लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना आवश्यक है। आठ स्वायत्त निकायों के संबंध में, जिन्हें सीएण्डएजी को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने थे, 32 लेखे एक से 12

वर्षों के बीच तक की अवधि में प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जैसाकि नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 4.10: स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतीकरण

क्र. सं.	निकाय/ प्राधिकरण का नाम	लंबित लेखे (वर्षों)	लंबित लेखाओं की संख्या 2020-21
1	प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)	12	12
2	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (एसकेयूएएसटी) श्रीनगर, कश्मीर	11	11
3	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,(एसकेयूएएसटी), जम्मू	01	01
4	जेके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)	01	01
5	जम्मू एवं कश्मीर आवास बोर्ड	01	01
6	जेएण्डके खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी)	01	01
7	जेएण्डके भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	02	02
8	जेएण्डके राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)	03	03
	कुल		**32**

प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) ने 12 वर्षों के लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं। एसकेयूएएसटी, कश्मीर ने पिछले 11 वर्षों से लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं। सरकार से पर्याप्त निधि प्राप्त करने वाले इन निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतीकरण/विलंब से प्रस्तुत करना वर्षों से विद्यमान एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस गैर-अनुपालन की दृष्टि से, इन सांविधिक निकायों के लेखापरीक्षित लेखे अभी तक राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल को प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जैसाकि उन संविधियों के अंतर्गत अपेक्षितहै जिनके अन्तर्गत इन निकायों को सृजित किया गया था। लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब/बकायों में पहचान नहीं की गयी वित्तीय अनियमितताओं का जोखिम होता है तथा यह धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन की संभावना बढ़ाते हैं। इसने विधानमण्डल/सरकार को उनके कार्यकलापों तथा वित्तीय निष्पादन पर प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के अवसर से भी वंचित किया है। सरकार समय पर लेखाओं को तैयार करने तथासंघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल को प्रस्तुत करने हेतु निकायों के साथ मामले पर चर्चा कर सकती है।

संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल को प्रस्तुतीकरण हेतु लेखाओं की समय पर तैयारी और प्रस्तुति के लिए सरकार मामलो को निकायों के साथ उठा सकती है।

4.12 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/ निगम/ कंपनियाँ

वाणिज्यिक प्रकार के कार्यकलापों को करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों को वार्षिक रूप से निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करना आवश्यक है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिम लेखे उनकी संपूर्ण वित्तीय स्थिति तथा उनके व्यवसाय करने की कुशलता को प्रतिबिम्बित करते हैं। लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा कुशलता में सुधार करने के लिए सरकार के निवेश, सुधारात्मक उपायों में यदि कुछ आवश्यक हो, तो उसे समय पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, विलंब धोखाधड़ी और लोक धन के रिसाव के जोखिम से भरा है।

सरकारी विभागों के अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपक्रम ऐसे लेखे तैयार करते हैं तथा इन्हें लेखापरीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर को प्रस्तुत करते हैं। सरकार के ऐसे दो विभागीय उपक्रम हैं: (क) श्रीनगर एवं जम्मू में राजकीय मुद्रणालय तथा (ख) उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)। इन दोनों उपक्रमों के वाणिज्यिक परिचालनों के प्रोफॉर्मा लेखे बकाया हैं। दो राजकीय मुद्राणालयों ने 1968-69 से 2019-20 तक अपने प्रोफॉर्मा लेखे तैयार नहीं किये हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कश्मीर द्वारा 1975-76 से 2019-20 तक तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जम्मू द्वारा 1973-74 से 1997-98 तक तथा 1999-2000 से 2019-20 तक प्रोफॉर्मा लेखे तैयार नहीं किये हैं। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा वार्षिक प्रोफॉर्मा लेखाओं की तैयारी की मूल आवश्यकताओं के अनुपालन की वजह से, वित्तीय रिपोर्टिंग यथार्थ तथा विश्वसनीय नहीं हो सकती है।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की कंपनियों/निगमों की लेखापरीक्षा की स्थिति ***परिशिष्ट 4.2*** में दर्शायी गयी है। वर्ष 2019-20 तक केवल चार कंपनियों के लेखाओं से संबंधित लेखापरीक्षा की गयी थी तथा 2018-19 तक चार कंपनियों तथा एक निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गयी थी। 17 कंपनियों/निगमों के संबंध में लेखाओं की लेखापरीक्षा 5 वर्ष से 17 वर्ष तक की अवधि हेतु बकाया है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य वन निगम की लेखापरीक्षा 1996-97 में सौंपी गयी थी परंतु निगम ने कभी भी इसके लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं। जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड को मार्च 2014 में निगमित किया गया था परंतु इस निगम ने भी कभी भी इसके लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं। लेखाओं को अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार के

निवेश का परिणाम विधानमण्डल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है तथा लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा से भी बच जाता है। परिणामस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा कुशलता में सुधार करने के लिए सुधारात्मक उपायों में, यदि कुछ आवश्यक हो तो, उसे समय पर नहीं किया जा सकता। धोखाधड़ी और लोकधन के दुरूपयोग के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है। सरकारी विभागाध्यक्षों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि विभागीय उपक्रम ऐसे लेखे तैयार करें तथा इन्हें लेखापरीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), को प्रस्तुत करें।

4.13 निकायों और प्राधिकरणों को दिये गये अनुदानों/ ऋणों के विवरण का गैर-प्रस्तुतीकरण

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम,1971 (सीएण्डएजी के डीपीसी अधिनियम) की धारा 14 और 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किये जाने वाले संस्थानों/ संगठनों की पहचान करने के लिए, सरकार/ विभागाध्यक्षों को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना अपेक्षित हैः

- विभिन्न संस्थानों को दी गयी वित्तीय सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी,
- उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की जाती है, और
- संस्थानों का कुल व्यय।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियमन (संशोधन) 2020 में उपबंध है कि सरकारें और विभागाध्यक्ष, जो निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक ऐसे निकायों और प्राधिकरणों जिन्हें अनुदान और/या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल ₹10 लाख या उससे अधिक के ऋणों का भुगतान किया गया था, (क) सहायता की राशि, (ख) जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई थी और (ग) निकाय या प्राधिकरण के कुल व्यय को दर्शाता हुआ विवरण प्रस्तुत करेंगे। हालांकि सरकार द्वारा उपर्युक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी जो लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियमन (संशोधन) 2020 का उल्लंघन है।

4.14 लेखाओं की सामयिकता और गुणवत्ता

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखाओं को 121 कोषागारों (20 जिला कोषागारों सहित) के प्रारंभिक लेखाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञापनों के आधार पर संकलित किया गया है। चूँकि, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने पहले ही निर्माण और वन प्रभागों के लिए सिविल लेखांकन प्रणाली (पिछले वर्षों में) को अपना लिया था, 2020-21 के दौरान इन प्रभागों से कोई मासिक लेखे देय नहीं थे। वर्ष 2020-21 के अंत में किसी भी लेखे को बाहर नहीं रखा गया था।

अन्य मुद्दे

4.15 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चा किये गये मुद्दों हेतु कार्यकारिणी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति (पीएसी)/सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू), स्वप्रेरितकृत कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) को प्रस्तुत करने के लिए इस बात पर ध्यान न देते हुए कि इन समितियों द्वारा इन पर चर्चा की जा रही है या नहीं, प्रशासनिक विभागों को जून 1997 में अनुदेश जारी किये थे। इन एटीएन को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीन माह तक की अवधि के अंदर विधिवत् रूप से पुनरीक्षित करके इन समितियों को प्रस्तुत किया जाना है।

राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को 2008-09 से तैयार किया जा रहा है तथा वर्ष 2015-16 तक के प्रतिवेदनों को राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र 20 जून 2018 से राज्यपाल/राष्ट्रपति शासन के अधीन है, अतः वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अन्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ संसद में प्रस्तुत किया गया है। इन प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों को राज्य/ संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

4.16 निष्कर्ष

- उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण का अर्थ है कि प्राधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वर्षों से निधियाँ कैसे खर्च की गयी थी। इस बात का भी कोई आश्वासन नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के अभिप्रेत उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

- सरकार से पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त करने वाले निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतीकरण/प्रस्तुतीकरण में विलंब एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इसने विधानमण्डल को इन निकायों के कार्यकलापों तथा वित्तीय निष्पादन पर प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के अवसर से वंचित किया।

- संक्षिप्त आकस्मिक बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिमों तथा उनके विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों को प्रस्तुत नहीं करने से अपव्यय/ दुर्विनियोजन/ दुराचरण इत्यादि की संभावना में वृद्धि हुई।

- विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंर्तगत लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज व्यय और प्राप्तियों की महत्वपूर्ण राशि लेखाओं में पारदर्शिता को प्रभावित करती है।

4.17 अनुशंसाएं

1. विभागों द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्मोचित अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की समय पर प्रस्तुति को सुनिश्चित किया जाए।
2. आकस्मिक बिलों पर आहरित अग्रिमों का वर्तमान नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित निर्धारित अवधि के अंदर समायोजन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएं।
3. लेखाओं की समय पर तैयारी और प्रस्तुति को संबंधित स्वायत्त निकायों के साथ उठाया जाए।
4. संग्राही लघु शीर्ष 800 के परिचालन को निरुत्साहित किया जाना चाहिए।
5. 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक की परिसंपत्तियों और देयताओं को दोनों संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाए।

अध्याय-V

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

अध्याय-V

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

यह अध्याय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा करता है, जैसा कि उनके लेखाओं से प्रकट हुआ है। पीएसयू में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जीओजेएण्डके) की स्वामित्व वाली कंपनियाँ, संसद और सरकार द्वारा अधिनियमित संविधियों के तहत स्थापित सांविधिक निगम और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ (जीसीओसी) शामिल हैं। वर्ष 2020-21 (या विगत वर्षों के जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा इन पीएसयू के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने के पश्चात जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव पर भी इस अध्याय में चर्चा की गयी है।

5.1 सरकारी कंपनी की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें केन्द्र सरकार, या किसी भी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से राज्य सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त शेयर पूँजी का 51 प्रतिशत से कम नहीं हो, और इसमें एक कंपनी सम्मिलित होती है जो सरकारी कंपनी की अनुषंगी है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार, या किसी भी राज्य या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा या आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित किसी भी अन्य कंपनी[1] को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143 (7) के प्रावधानों के तहत सीएजी द्वारा सरकारी कंपनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा संचालित की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएजी सनदी लेखाकारों को कंपनियों हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और जिस तरीके से लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है, उन पर निदेशन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को अनुपूरक

[1] कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनियों (कठिनाईयों का अपसारण) के सातवें आदेश, 2014 राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर 2014

लेखापरीक्षा संचालित करने का अधिकार है। संविधियों द्वारा शासित सांविधिक निगमों को उनके लेखे सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित कराया जाना आवश्यक है।

5.3 जेएण्डके के जीएसडीपी में पीएसयू और उनका अंशदान

पीएसयू की स्थापना लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुये वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों के संचालन हेतु की जाती है और यह जेएण्डके की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 31 मार्च 2021 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में 42 पीएसयू थे। इनमें 39 सरकारी कंपनियाँ (छह[2] निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित), दो सांविधिक निगम और एक सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनी[3] शामिल हैं। इन पीएसयू के नाम ***परिशिष्ट 5.1*** में दिये गये हैं।

एक पीएसयू (जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड) स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है। पूँजी (जीओजेएण्डके: ₹56.59 करोड़ और अन्य: ₹0.98 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण ₹0.83 करोड़ (जीओजेएण्डके: ₹0.83 करोड़ और अन्य: शून्य) के प्रति ₹57.57 करोड़ के निवेश वाले छह निष्क्रिय पीएसयू (चार परिसमापनाधीन सहित) हैं। यह एक विवेचनात्मक क्षेत्र है क्योंकि निष्क्रिय पीएसयू में निवेश जेएण्डके की आर्थिक वृद्धि में अंशदान नहीं करता है। इसलिए सरकार इन निष्क्रिय पीएसयू को शीघ्र बंद करने पर विचार कर सकती है।

जेएण्डके के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) हेतु पीएसयू के कुल कारोबार का अनुपात जेएण्डके की अर्थव्यवस्था में उनकी गतिविधियों के अंशदान को इंगित करता है। पीएसयू के कुल कारोबार का विवरण ***परिशिष्ट 5.2*** में दिया गया है।

तालिका 5.1 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि हेतु पीएसयू के कुल कारोबार और जेएण्डके के जीएसडीपी का विवरण उपलब्ध कराती है।

---

2 (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और (3) जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) (4) जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड और (5) जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र और (6) जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड।

3 चिनाब घाटी विद्युत परियोजना (प्राइवेट) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल), जेकेपीडीसी का एक संयुक्त उद्यम, राष्ट्रीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत निगम (एनएचपीसी) और विद्युत व्यापार निगम (पीटीसी) जिसमें जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया है।

तालिका 5.1: जेएण्डके के जीएसडीपी की तुलना में पीएसयू के कुल कारोबार का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार कुल कारोबार	9,784.90	11,298.17	10,590.68
जेएण्डके का जीएसडीपी	1,54,441.00	1,69,181.79	1,76,282.00
जेएण्डके के जीएसडीपी के लिए कुल कारोबार का प्रतिशत	6.34	6.68	6.01

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वर्तमान मूल्यों और साल दर साल की तुलना हेतु पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं पर जीओजेएण्डके के वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार जीएसडीपी आँकड़ों पर आधारित संकलन)

जीएसडीपी में पीएसयू का अंशदान वर्ष 2018-19 में 6.34 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 में 6.01 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2020-21 में पीएसयू के कुल कारोबार में प्रमुख अंशदानकर्त्ता जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (₹8,111.09 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड (₹1,037.85 करोड़) और जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड (₹438.50 करोड़) थे।

5.4 पीएसयू में निवेश और बजटीय सहायता

5.4.1 इक्विटी धारिता एवं दिये गये ऋण

31 मार्च 2021 तक, 42 पीएसयू में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों के रूप में किये गये निवेश का विवरण ***परिशिष्ट 5.3*** में दिया गया है। इस निवेश का क्षेत्र-वार सारांश **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2: जेएण्डके सरकार का पीएसयू में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	पीएसयू की संख्या	निवेश				कुल निवेश	जीओजेण्डके का कुल निवेश
		इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण			
		कुल	जीओजेण्डके	कुल	जीओजेण्डके		
विद्युत क्षेत्र के पीएसयू	6	5,073.32	2,593.54	7,269.04	0.00	12,342.36	2,593.54
गैर-विद्युत क्षेत्र के पीएसयू	36	969.10	847.80	5,021.44	1,437.72	5,990.54	2,285.52
कुल	**42**	**6,042.42**	**3,441.34**	**12,290.48**	**1,437.72**	**18,332.90**	**4,879.06**

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

निवेश का जोर मुख्यत: विद्युत क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र ने ₹18,332.90 करोड़ के कुल निवेश का 67.32 प्रतिशत (₹12,342.36 करोड़) आकृष्ट किया था। जीओजेएण्डके ने इसके ₹4,879.06 करोड़ के कुल निवेश का 53.16 प्रतिशत (₹2,593.54 करोड़) विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में निवेश किया था।

5.4.2 पीएसयू को सहायिकी और अनुदान

जीओजेएण्डके वार्षिक बजट के माध्यम से, इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सहायिकी, बट्टे खाते डाले गये ऋण और इक्विटी में प्रत्यावर्तित ऋण के रूप में पीएसयू को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

मार्च 2021 को समाप्त पिछले तीन वर्षों हेतु पीएसयू के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सहायिकी, बट्टे खाते में डाले गये ऋण और इक्विटी में प्रत्यावर्तित ऋणों के प्रति बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण **तालिका 5.3** में दिया गया हैः

तालिका 5.3: वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान पीएसयू हेतु जीओजेएण्डके द्वारा बजटीय सहायता से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19		2019-20		2020-21	
		पीएसयू* की संख्या	राशि	पीएसयू* की संख्या	राशि	पीएसयू* की संख्या	राशि
1.	इक्विटी पूँजीगत व्यय	9	120.74	3	2,616.82	7	83.47
2.	दिये गये ऋण	9	56.18	8	48.07	7	51.85
3.	उपलब्ध कराये गये अनुदान/ सहायिकी	8	48.91	12	100.50	11	3,016.38
	कुल व्यय		**225.83**		**2,765.39**		**3,151.70**
4.	बट्टे खाते डाले गये ऋण का पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
5.	इक्विटी में प्रत्यावर्तित ऋण	-	-	-	-	2	152.42
6.	जारी की गई प्रत्याभूतियाँ	1	20.00	-	-	-	-
7.	बकाया प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	3	1,822.09	3	1,580.90	5	7,698.97

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

** पीएसयू की संख्या उन पीएसयू का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने एक या एक से अधिक शीर्षों अर्थात् इक्विटी, ऋण और अनुदान/ सहायिकी के अंतर्गत बजट से व्यय प्राप्त किया है।*

वर्ष 2002-21 के दौरान सहायता में वृद्धि मुख्य रूप से चार विद्युत क्षेत्र के पीएसयू, अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड, जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड, जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, को दिये गये अनुदान/ सहायिकी के कारण हुयी थी। वर्ष 2020-21 में प्रत्याभूति प्रतिबद्धताओं में वृद्धि जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड (₹1,539.71 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड (₹6,012.24 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड (₹64.05 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड (₹73.87 करोड़) और जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड (₹9.10 करोड़) के संबंध में थी।

5.4.3 जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, बकाया ऋणों और प्रत्याभूतियों के संबंध में आँकड़े जीओजेएण्डके के वित्त लेखाओं में प्रदर्शित आँकड़ों से सुमेलित होने चाहिए। आँकड़े सुमेलित नहीं होने की स्थिति में, संबंधित पीएसयू और वित्त विभाग को अंतरों का मिलान संचालित करना चाहिए। 31 मार्च 2021 तक पीएसयू द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों का वित्त लेखे में दर्शाये गये आँकड़ो के मध्य असंतुलन नीचे **तालिका 5.4** में दिया गया है।

तालिका 5.4: मार्च 2021 तक पीएसयू के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी और बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया ऋण	वित्त लेखे के अनुसार राशि	पीएसयू के अभिलेखों[4] के अनुसार राशि	अंतर
शेयर पूँजी	2,969.92	2,970.80	0.88
बकाया ऋण	538.81	907.80	368.79
प्रत्याभूतियाँ	27.63	7,625.82	7,598.19

(स्रोत: पीएसयू और वित्त लेखे से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

आठ पीएसयू के संबंध में अंतर घटित हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट 5.4*** में वर्णित है। आँकड़ो के मध्य अंतर विगत कई सालों से निरंतर है। अंतरों के मिलान का मामला भी समय-समय पर पीएसयू और विभागों के साथ उठाया गया था। बकाया ऋणों और इक्विटी दोनों से संबंधित जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम में शेषों में मुख्य अंतर प्रेक्षित किया गया था।

जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड से बकाया प्रत्याभूतियों की जानकारी प्रतीक्षित थी, जिन्होंने उपर्युक्त तालिका में चर्चा किये गये अंतरो में योगदान किया है।

यह अनुशंसा की जाती है कि जीओजेएण्डके और संबंधित पीएसयू को समयबद्ध तरीके से लेखाओं में अंतर का समाधान करना चाहिये।

5.4.4 पीएसयू में ऋण देयताओं को पूरा करने हेतु परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों के लिए कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने हेतु प्रयोग की जाने वाली विधियों में से एक है, कि क्या कोई कंपनी ऋण शोधन क्षम रह सकती है। ऋण शोधन क्षम मानने हेतु, किसी अधिष्ठान की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके ऋणों/ कर्जों की राशि से अधिक होना चाहिए। 18 पीएसयू, जिनके पास 30 नवम्बर

[4] मार्च 2021 तक के अलेखापरीक्षित वर्तमान आंकड़े।

2021 तक के अपने नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार बकाया ऋण थे, में कुल परिसंपत्तियों मूल्य द्वारा दीर्घकालिक ऋणों की कवरेज नीचे **तालिका 5.5** में दी गयी है।

तालिका 5.5: कुल परिसंपत्ति के साथ दीर्घकालिक ऋणों की कवरेज

पीएसयू की प्रकृति	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	पीएसयू की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	परिसंपत्तियाँ	ऋणों के प्रति परिसंपत्तियों का प्रतिशत	पीएसयू की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	परिसंपत्ति याँ	ऋणों के प्रति परिसंपत्तियों का प्रतिशत
	(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)			
सांविधिक निगम	2	715.45	1,651.77	230.87	0	0	0	0
सरकारी कंपनी	11	4,573.18	1,34,325.47	2,937.47	5	1,279.20	347.83	27.19
कुल	**13**	**5,288.63**	**1,35,977.24**	**3,168.12**	**5**	**1,279.20**	**347.83**	**27.19**

(स्रोतः पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार)

5.4.5 सरकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूँजीकरण

बाजार पूँजीकरण कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जोकि सूचीबद्ध हैं। 31 मार्च 2021 तक, स्टॉक एक्सचेन्ज पर सूचीबद्ध ₹71.36 करोड़ की कुल प्रदत्त इक्विटी वाला केवल एक पीएसयू, अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड था। बैंक की ₹71.36 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी का अधिकांश भाग (68.18 प्रतिशत) जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा और शेष (31.82 प्रतिशत)[5] विदेशी संस्थागत निवेशकों, निवासी व्यक्तिगत एवं अन्य द्वारा प्रतिधारित है। जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड के शेयरों का बाजार मूल्य 31 मार्च 2020 तक ₹881.83 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 तक ₹1,901.35 करोड़ था।

5.4.6 विनिवेश, पुनर्संरचना और निजीकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान, पीएसयू के विनिवेश, पुनर्संरचना और निजीकरण का कोई मामला नहीं था।

5.5 पीएसयू से प्रतिफल

वर्ष 2020-21 के दैरान 12 पीएसयू थे, जिन्होंने अपने अंतिम रूप दिये गये वित्तीय विवरणों में लाभ सूचित किया, जैसा की ***परिशिष्ट 5.5*** में वर्णित है। सूचित किया गया अर्जित लाभ वर्ष 2019-20 में ₹346.36 करोड़ से बढ़ कर वर्ष 2020-21 में ₹520.12 करोड़ हो गया।

शीर्ष तीन पीएसयू का संक्षिप्त विवरण, जिन्होंने लाभ में अधिकतम योगदान किया, **तालिका 5.6** में दिया गया है।

[5] भारतीय म्यूचूअल फंड, बीमा कंपनियाँ, अप्रवासी भारतीय और कॉर्परेट निकाय।

तालिका 5.6: शीर्ष तीन पीएसयू जिन्होंने लाभ में अधिकतम योगदान किया

एसपीएसई का नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल एसपीएसई लाभ के प्रति लाभ का प्रतिशत
जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	428.45	82.37
जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	31.47	6.05
जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	20.42	3.93
कुल	**480.34**	**92.35**

(स्रोतः पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार)

यह देखा जा सकता है कि इन तीन एसपीएसई ने वर्ष 2020-21 के दौरान, 12 एसपीएसई द्वारा उपार्जित ₹520.12 करोड़ के कुल लाभ के 92.35 प्रतिशत का योगदान किया।

यह अनुशंसा की जाती है कि जीओजेएण्डके, अपने हानि वाले पीएसयू की कार्यप्रणाली की समीक्षा करे एवं उन्हें सुधारने के उपायों पर विचार करे, क्योंकि वे सार्वजनिक राजकोष पर पर्याप्त निकासन का कारण बन रहे हैं।

5.5.1 पीएसयू द्वारा लाभांश का भुगतान

30 नवम्बर 2021 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार, 12 पीएसयू ने ₹520.12 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया। किसी भी पीएसयू ने लाभांश[6] घोषित/ भुगतान नहीं किया था।

5.6 ऋण सेवा एवं विधिक अनुपालन

5.6.1 पीएसयू के दीर्घकालिक ऋण की स्थिति

वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान पीएसयू के दीर्घकालिक ऋण का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 5.7: दीर्घकालिक ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में दीर्घकालिक ऋण		
	जीओजेएण्डके	अन्य	कुल
2018-19	2,142.76	4,630.89	**6,773.65**
2019-20	1,567.01	4,358.66	**5,925.67**
2020-21	1,437.72	10,852.46	**12,290.48**

मार्च 2019 समाप्ति पर पीएसयू के दीर्घकालिक ऋण ₹6,773.65 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2021 तक ₹5,925.67 करोड़ हो गये। वे मुख्यतः जेकेपीडीसी और जम्मू

[6] केवल उन पीएसयू पर विचार किया गया था जिन्होंने वर्ष 2020-21 हेतु लेखाओं को प्रस्तुत किया था।

एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से लिये गये क्रमशः ₹1,256.80 करोड़ और ₹6,012.24 करोड़[7] के दीर्घकालिक ऋणों के कारण मार्च 2021 के अंत तक बढ़कर ₹12,290.48 करोड़ हो गये। पीएसयू के कुल दीर्घकालिक ऋण में जीओजेएण्डके का शेयर मार्च 2019 के अंत तक ₹2,142.76 करोड़ से घटकर मार्च 2021 के अंत तक ₹1,437.72 करोड़ हो गया।

5.6.2 पीएसयू में ब्याज कवरेज

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का प्रयोग कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान की क्षमता का निर्धारण करने हेतु किया जाता है और इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व (ईबीआईटी) कंपनी के उपार्जनों को उक्त अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता उतना ही कम होगी। एक से नीचे का आईसीआर इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने हेतु पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर रही थी।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार पीएसयू के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे **तालिका 5.8** में दिया गया है।

तालिका 5.8: पीएसयू का ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ईबीआईटी	सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले पीएसयू की संख्या	ब्याज कवरेज अनुपात वाले पीएसयू की संख्या	
				एक से अधिक	एक से कम
2016-17	433.61	-795.05	17	4	13
2017-18	413.61	872.62	17	6	11
2018-19	529.65	1,360.47	15	6	9
2019-20	493.47	-452.04	15	7	8
2020-21	529.36	1,031.19	14	7	7

वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार के साथ-साथ बैंको और अन्य वित्तीय संस्थानों से

[7] क्रय की गयी विद्युत के कारण अतिदेयों के निपटान हेतु जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड के पक्ष में संस्वीकृत ₹11,024.47 करोड़ (विद्युत वित्त निगम लिमिटेड: ₹8,234.47 करोड़ और आरईसी लिमिटेड से: ₹2,790 करोड़) की राशि के एक विशेष दीर्घकालिक पारगमन ऋण सहित, जिसमें से ₹6,012.24 करोड़ की राशि के ऋण का लाभ उठाया गया है।

ऋण की देयता वाले 14 पीएसयू[8] में से, सात पीएसयू का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था। जबकि, शेष सात पीएसयू का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था, जिसने इंगित किया कि ये सात पीएसयू अवधि के दौरान ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने हेतु पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर सकी थी।

5.6.3 सरकारी ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण

31 मार्च 2021 तक, जीओजेएण्डके द्वारा उपलब्ध कराये गये आठ पीएसयू के दीर्घकालिक ऋणों पर ₹2,763.97 करोड़ की राशि का ब्याज बकाया था। पीएसयू में सरकारी ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण **तालिका 5.9** में किया गया है।

तालिका 5.9: सरकारी ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	जीओजेएण्डके के ऋण पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम के लिए जीओजेएण्डके के बकाया ऋणों पर ब्याज	एक से तीन वर्षों के लिए जीओजेएण्डके के बकाया ऋणों पर ब्याज	तीन वर्षों से अधिक के लिए जीओजेएण्डके के बकाया ऋणों पर ब्याज
1.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	714.69	0	118.17	596.52
2.	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	4.57	0.13	0.26	4.18
3.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	931.67	19.27	57.73	854.67
4.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	0.20	0	0	0.20
5.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	978.78	0	184.78	794.00

[8] छह निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर: (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और (3) जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) (4) जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड और (5) जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, (6) जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड, छह कार्यशील पीएसयू (1) जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड, (2) एआईसी- जम्मू एवं कश्मीर ईडीआई फाउन्डेशन, (3) जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (4) जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, (5) श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, (6) जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिन्होंने प्रारंभ से अपने लेखे कभी प्रस्तुत नहीं किये। 12 पीएसयू, (1) जेकेबी वित्तीय सेवा लिमिटेड (2) जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड (3) जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड (4) जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड (5) जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन (6) जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्राइवेट लिमिटेड, (7) श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (8) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड, (9) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड और (10) जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, (11) कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और (12) जम्मू एवं कश्मीर आईटी अवसंरचना विकास प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने कोई ऋण नहीं लिया है, और चार पीएसयू (1) जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, (2) जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड (3) जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड और (4) जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड जिन्होंने लेखा की अपनी बहियों में ब्याज का उपलब्ध नहीं कराया है।

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	जीओजेएण्डके के ऋण पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम के लिए जीओजेएण्डके के बकाया ऋणों पर ब्याज	एक से तीन वर्षों के लिए जीओजेएण्डके के बकाया ऋणों पर ब्याज	तीन वर्षों से अधिक के लिए जीओजेएण्डके के बकाया ऋणों पर ब्याज
6.	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	44.08	0	0	44.08
7.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	1.81	0.19	1.62	0
8.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	88.17	0	0	88.17
	कुल	**2,763.97**	**19.59**	**362.56**	**2,381.82**

(स्रोतः पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

5.7 पीएसयू की परिचालन दक्षता

5.7.1 उत्पादन का मूल्य

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियाँ और नियोजित[9] पूँजी का ब्यौरा **तालिका 5.10** में दिया गया है।

तालिका 5.10: वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियाँ और नियोजित पूँजी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियाँ	नियोजित पूँजी
2018-19	9,784.90	1,13,642.20	7,653.33
2019-20	11,298.17	1,26,488.40	5,960.28
2020-21	10,590.64	1,36,643.45	5,865.24

(स्रोतः कंपनियों के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार)

उत्पादन का मूल्य और कुल परिसंपत्तियाँ वर्ष 2018-19 में क्रमशः ₹9,784.90 करोड़ और ₹1,13,642.20 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में क्रमशः ₹11,298.17 करोड़ और ₹1,26,488.40 करोड़ हो गयी। हालांकि, वर्ष 2020-21 में उत्पादन का मूल्य घटकर ₹10,590.64 करोड़ और कुल परिसंपत्तियाँ बढ़कर ₹1,36,643.45 करोड़ हो गयी। नियोजित पूँजी वर्ष 2018-19 में ₹7,653.33 करोड़ से घटकर वर्ष 2020-21 में ₹5,865.24 करोड़ रह गयी।

[9] नियोजित पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त भण्डार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - आस्थगित राजस्व व्यय।

5.7.2 सूचीबद्ध पीएसयू में निवेश पर प्रतिफल

आरओआई वैकल्पिक निवेश अवसरों या बेंचमार्क निवेश अवसर की तुलना में समय के साथ निवेश की दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु एक निष्पादन मापन है। जीओजेएण्डके का केवल एक पीएसयू, जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ आरओआई की गणना ***परिशिष्ट 5.6*** में दी गयी है। मार्च 2021 की समाप्ति पर विगत पाँच वर्षों के दौरान आरओआई का विवरण **तालिका 5.11** में दिया गया है।

तालिका 5.11: सूचीबद्ध पीएसयू में निवेश पर प्रतिफल

(प्रतिशत में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आरओआई[10]	532.82	409.61	361.60	182.79	243.81

वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक आरओआई ने घटते हुयी प्रवृत्ति को दर्शाया, हालांकि, यह वर्ष 2020-21 के दौरान बढ़ गया। वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर भी 3.59 प्रतिशत से घटकर (-) 2.05 प्रतिशत रह गयी और वर्ष 2020-21 के दौरान इसमें (-) 0.67 प्रतिशत तक सुधार हुआ।

5.7.3 सूचीबद्ध पीएसयू में नियोजित पूँजी और इक्विटी पर प्रतिफल

एक कंपनी की लाभप्रदता का मूल्यांकन पारंपरिक रूप से इक्विटी पर प्रतिफल और नियोजित पूँजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई)[11] एक वित्तीय अनुपात है, जो कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना नियोजित पूँजी द्वारा ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)[12] शेयरधारकों की निधि द्वारा दिये गये कर के पश्चात् निवल लाभ को विभाजित करके की गई गणना द्वारा निष्पादन का परिमाण है।

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड एकमात्र सूचीबद्ध कंपनी की आरओसीई और आरओई

---

[10] आरओआई = (वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को कंपनी के बाजार पूँजीकरण में सरकार की हिस्सेदारी + वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को सरकार की लाभांश प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य + वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को सरकार की विनिवेश प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य) - (प्रारंभ में सरकार की प्रदत्त इक्विटी + प्रारंभ में सरकार द्वारा निवेश की गयी इक्विटी की छूट मूल्य + प्रारंभ में बैठक परिचालन और प्रशासनिक व्यय हेतु निवेशित सहायिकी/ अनुदान का रियायती मूल्य)/ (प्रारंभ में सरकार की प्रदत्त इक्विटी + प्रारंभ में सरकार द्वारा निवेश की गयी इक्विटी का छूट मूल्य + प्रारंभ में बैठक परिचालन और प्रशासनिक व्यय हेतु निवेशित सहायिकी/ अनुदान का छूट मूल्य)/ वार्षिक अवधियों में हस्तक्षेप की संख्या।

[11] आरओसीई = ब्याज और कर से पहले का उपार्जन/ नियोजित पूँजी। आँकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं, जिसके लिये पीएसयू के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

[12] आरओई = कर के पश्चात् लाभ/ शेयरधारक निधि, शेयरधारक निधि = प्रदत्त पूँजी + मुक्त भण्डार और अधिशेष - आस्थगित राजस्व व्यय - संचित हानियाँ।

का विवरण **तालिका 5.12** में दिया गया है।

तालिका 5.12: सूचीबद्ध पीएसयू की आरओसीई एवं आरओई

(प्रतिशत में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आरओसीई	-36.75	11.55	17.93	-23.18	15.50
आरओई	-65.00	7.56	15.46	-61.63	21.00

आरओसीई और आरओई विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2016-17 और वर्ष 2019-20 को छोड़कर) के दौरान उच्च स्तर पर थे जो मुख्यत: जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा अर्जित कर के उपरांत उच्च लाभ के कारण था। वर्ष 2016-17 और 2019-20 के दौरान आरओसीई और आरओई बैंक द्वारा उठाये गये नुकसान के कारण नकारात्मक थे।

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड के संबंध में निवेश के वसूलीकृत मूल्य[13] पर आरओसीई की गणना की गयी जो निम्नानुसार है:

तालिका 5.13: शेयर प्रीमियम पर विचार करते हुये सूचीबद्ध पीएसयू हेतु आरओसीई

(प्रतिशत में)

2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
-33.78	10.12	16.17	-18.06	12.20

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड के शेयर प्रीमियम लेखा पर विचार करने के पश्चात् वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान आरओसीई (-) 33.78 प्रतिशत से 16.17 प्रतिशत के बीच रही।

5.7.4 गैर-सूचीबद्ध पीएसयू की नियोजित पूँजी पर प्रतिफल और इक्विटी

वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान गैर-सूचीबद्ध पीएसयू[14] की आरओसीई और आरओई का विवरण **तालिका 5.14** में दिया गया है।

तालिका 5.14: नियोजित पूँजी और इक्विटी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीबीआईटी	पीएटी	नियोजित पूँजी	शेयरधारकों की निधि	आरओसीई	आरओई
2016-17	609.46	226.74	6,586.07	3,273.31	9.25	6.93
2017-18	391.70	-8.52	7,826.10	3,999.47	5.01	-0.21
2018-19	350.81	-29.92	7,779.10	3,811.35	4.51	-0.79
2019-20	480.33	117.26	7,878.91	3,433.16	6.10	3.42
2020-21	437.75	-119.66	7,593.02	3,040.39	5.77	-3.94

[13] शेयर प्रीमियम सहित निवेश।

[14] सीवीपीपीपीएल को छोड़कर क्योंकि इसकी सभी परियोजनायें निर्माणाधीन हैं।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान आरओसीई की सीमा 4.51 प्रतिशत और 9.25 प्रतिशत के बीच रही एवं आरओई की सीमा (-) 3.94 प्रतिशत और 6.93 प्रतिशत के बीच रही।

5.7.5 सरकारी निवेश पीएसयू पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

31 मार्च 2021 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत को वर्तमान मूल्य पर लाने हेतु, निवेश की गयी धनराशि के वर्तमान मूल्य की गणना की गयी थी, जहाँ जीओजेएण्डके द्वारा इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण, इक्विटी में प्रत्यावर्तित ऋण के रूप में निवेश किया गया था। परिचालनात्मक और प्रबंधन खर्चों हेतु सरकार द्वारा दिये गये अनुदान/ सहायिकी पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इन कंपनियों की स्थापना से 31 मार्च 2021 तक परिचालनात्मक और प्रबंध खर्चों और अन्य उद्देश्य हेतु द्विभाजन उपलब्ध नहीं था।

इन उपक्रमों में पीवी की गणना निम्नलिखित धारणाओं पर की गयी थी:

- ब्याज मुक्त ऋणों को निधि निवेशन माना जाता है। हालांकि, पीएसयू द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, पीवी की गणना अवधि के दौरान ब्याज मुक्त ऋणों के घटाये गये शेषों पर की गयी थी।
- संबंधित वित्तीय वर्ष हेतु, सरकार की उधारियों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुँचने हेतु छूट दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा व्यय की गयी लागत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- जीओजेएण्डके ने जेकेपीडीसी में इक्विटी के रूप में ₹5.00 करोड़ का निवेश किया। इसके अतिरिक्त, जीओजेएण्डके ने भी पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कंपनी (1994-95) के आरंभ से योजना निधियाँ उपलब्ध करायी, जिन्हें द्विभाजित नहीं किया जा सका, उन पर विचार नहीं किया गया है। जेकेपीडीडी को दी गयी योजना निधि और जीओजेएण्डके द्वारा जेकेपीडीसी को हस्तातंरित परिसंपत्तियों को, जिन्हें बाद में इक्विटी में प्रत्यावर्तित किया गया, वर्ष 2019-20 में इक्विटी अंशदान में जोड़ दिया गया है।
- जेपीडीसीएल, केपीडीसीएल, जेकेपीटीसीएल, और जेकेपीसीएल ने अपना परिचालन 1 अप्रैल 2020 से शुरू किया था, इसलिए, जीओजेएण्डके निवेश की पीवी गणना के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में इक्विटी के अंशदान पर विचार किया गया था।

- जीओजेएण्डके निवेश की पीवी गणना के उद्देश्य से, वर्ष 2000-01 से 2020-21 तक की अवधि को पीएसयू में जीओजेएण्डके के निवेश पर विचार करने हेतु लिया गया है।

पीएसयू में जीओजेएण्डके द्वारा किये गये निवेश की वर्ष-वार स्थिति और उन पीएसयू से संबंधित निवेश के निवल वर्तमान मूल्य की गणना, जहाँ जीओजेएण्डके ने निवेश किया था, ***परिशिष्ट 5.7*** में इंगित की गयी है।

वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर इन पीएसयू मे जीओजेएण्डके द्वारा निवेश की ऐतिहासिक लागत वर्ष 1999-2000 की शुरूआत में ₹352.29 करोड़ से बढ़कर ₹3,565.74 करोड़[15] हो गयी। वर्ष 1999-2000 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान जीओजेएण्डके ने इक्विटी (₹3,107.79 करोड़) और ब्याज मुक्त ऋण (₹123.16 करोड़) के रूप में निवेश किया। इसके अलावा, जीओजेएण्डके ने जेकेपीडीसी में इस अवधि के दौरान योजना निधि में ₹520.12[16] करोड़ का निवेश किया।

31 मार्च 2021 तक जीओजेएण्डके द्वारा किये गये निवेश के पीवी की राशि ₹6,329.96 करोड़ थी। पीएसयू का निवल उपार्जन उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार ₹314.11 करोड़ था।

40[17] पीएसयू, जहाँ जीओजेएण्डके द्वारा निधियों का निवेश किया गया था, के संबंध में इन पीएसयू की लाभप्रदता का आंकलन करने कि लिए निवेशों की तुलना में आय का विश्लेषण किया गया था, जो **तालिका 5.15** में दी गयी है।

तालिका 5.15: प्रतिफल की वास्तविक दर

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष की शुरूआत में कुल निवेश का पीवी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	ब्याज की औसत दर	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	कुल आय[18]	आरओ-आरआर
2016-17	2,013.32	9.56	2,022.881	7.83	2,181.27	-1,406.44	-69.53
2017-18	2,181.27	101.63	2,282.903	7.23	2,447.96	192.85	8.45
2018-19	2,447.96	143.92	2,591.876	7.20	2,778.49	434.33	16.76
2019-20	2,778.49	2632.7	5,411.19	7.2	5,800.80	-1,022.15	-18.89
2020-21	5,800.80	130.57	5,931.37	6.72	6,329.96	306.12	5.16

वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान, इन 40 पीएसयू का निवेश (वर्ष 2016-17 और वर्ष 2019-20 के अलावा) पर सकारात्मक प्रतिफल था। वर्ष

15 अथ शेष: (₹352.29 करोड़) + इक्विटी: (₹3,107.79 crore) + ब्याज मुक्त ऋण: (₹123.16 करोड़)- इक्विटी में प्रत्यावर्तित ब्याज मुक्त ऋण :(₹169.92 करोड़)।

16 यह निवेश वर्ष 2018-19 से 2020-21 से किया गया था और इस अवधि से पहले के निवेश को जीओजेएण्डके की इक्विटी में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

17 जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड और सीवीपीपीपीएल को छोड़कर, जहाँ जीओजेएण्डके ने कोई निवेश नहीं किया था।

18 नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार।

2020-21 के दौरान, ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर जीओजेएण्डके निवेश पर प्रतिफल 8.81 प्रतिशत था। हालांकि, निवेश के वर्तमान मूल्य पर विचार करने पर प्रतिफल की वास्तविक दर केवल 5.16 प्रतिशत थी।

5.8 हानि वाले पीएसयू

वर्ष 2020-21 के दौरान, उनके नवीवतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार, 16 हानि वाले पीएसयू थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.8*** में वर्णित है। इन पीएसयू द्वारा हुआ हानियाँ वर्ष 2018-19 में ₹216.93 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹1,354.96 करोड़ हो गयी और उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार वर्ष 2020-21 में घटकर ₹214.51 करोड़ हो गयी, जैसा कि निम्नलिखित **तालिका 5.16** में दिया गया है।

तालिका 5.16: वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान हानि वाले पीएसयू का सारांश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि वाले पीएसयू की संख्या	वर्ष हेतु निवल हानि	संचित लाभ/ हानि	निवल मूल्य[19]
क. सांविधिक निगम				
2018-19	2	133.55	(-)1,324.27	(-)959.83
2019-20	2	132.98	(-)1,563.95	(-)1,309.35
2020-21	1	117.62	(-)1,634.94	(-)1,426.98
ख. सरकारी कंपनियाँ				
2018-19	8	83.38	(-)1,039.83	(-)956.10
2019-20	11	1,221.98	357.72	527.18
2020-21	14	93.71	(-)1,780.54	(-)1,643.83
ग. सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी				
2018-19	0	-	-	-
2019-20	0	-	-	-
2020-21	1	3.18	49.34	2,773.00
कुल पीएसयू				
2018-19	10	216.93	(-)2,364.10	(-)1,915.93
2019-20	13	1,354.96	(-)1,206.23	(-)782.17
2020-21	16	214.51	(-)3,366.14	(-)297.81

(स्रोतः 30 सितंबर 2019, 31 दिसंबर 2020 और 30 नवंबर 30 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार)

वर्ष 2020-21 में 16 पीएसयू द्वारा किये गये कुल ₹214.51 करोड़ की हानि में से, ₹203.64 करोड़ की हानि हेतु सात पीएसयू को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो

[19] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूँजी और मुक्त भण्डार और अधिशेष कम संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय का कुल योग। मुक्त भण्डार का अर्थ है लाभ से सृजित सभी आरक्षित और शेयर प्रीमियम लेखा, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से निर्मित आरक्षित एवं ह्रास प्रावधान का प्रतिलेखन शामिल नहीं है।

तालिका 5.17 में सूचीबद्ध है, जिन्होंने उपलब्ध करायी गयी उनकी नवीनतम सूचना के अनुसार ₹ पाँच करोड़ की हानि हुयी थी। वर्ष 2019-21 हेतु अधिकांश हानि जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा सूचित ₹1,139.41 करोड़ की हानि के कारण है। बैंक ने वर्ष 2020-21 में ₹428.45 करोड़ के अपने परिचालनों में लाभ को सूचित किया।

तालिका 5.17: ₹ पाँच करोड़ से ज्यादा हानियाँ उठाने वाले पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	निवल हानि (₹ करोड़ में)
1.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	117.62
2.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	36.39
3.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	20.54
4.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	8.60
5.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	8.38
6.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम	6.14
7.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	5.97

(स्रोतः 30 नवम्बर 2021 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखे)

5.8.1 पीएसयू में पूँजी का अपक्षरण

31 मार्च 2021 तक, ₹3,655.92 करोड़ की संचित हानि वाले 18 पीएसयू ***(परिशिष्ट 5.9)*** थे। इन 18 पीएसयू में से, 15 पीएसयू ने ₹211.34 करोड़ की राशि की हानि उठायी और तीन पीएसयू ने हानि नहीं उठायी थी, भले ही उन्हें ₹247.44 करोड़ की संचित हानि हुयी थी। 18 पीसयू में से, 11 पीएसयू का निवल मूल्य संचित हानि से अपक्षरित हो गया था और उनका निवल मूल्य नकारात्मक था। इन 11 पीएसयू का निवल मूल्य 31 मार्च 2021 को ₹458.04 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति (-) ₹3,148.02 करोड़ था। इन 11 पीएसयू में से, जिनकी पूँजी का अपक्षरण हुआ था, वर्ष 2020-21 के दौरान दो पीएसयू ने ₹34.64 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

5.9 सीएजी की पर्यवेक्षण भूमिका

5.9.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के तहत भारत के नियंत्रक एवं

महालेखापरीक्षक राज्य सरकार कंपनी और राज्य सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी[20] के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करता है। सीएजी को अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने और सांविधिक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर पूरक या टिप्पणी जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों को आवश्यक है कि उनके लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाये और एक प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया जाये।

5.10 सीएजी द्वारा पीएसयू के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) उपबंधित करती है कि एक राज्य सरकार की कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिनों की अवधि के अंदर सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाना है।

5.11 पीएसयू द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.11.1 समय पर प्रस्तुति की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन महीने के अंदर तैयार किया जाना है और इस तरह की तैयारी के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और सीएजी द्वारा की गयी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी या पूरक दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाए। सांविधिक निगमों में विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग एक जैसे प्रावधान विद्यमान हैं। यह क्रियाविधि राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेशित सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण का उपबंध करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक पंचांग वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करना अपेक्षित है। यह भी उल्लेख है कि एक एजीएम की तारीख और अगली की तारीख के मध्य 15 महीनों से अधिक समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129

---

[20] कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें राज्य सरकार, या किसी भी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से राज्य सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त शेयर पूँजी का 51 प्रतिशत से कम नहीं हो, और इसमें एक कंपनी शामिल है, जो सरकारी कंपनी की अनुषंगी है। केन्द्र सरकार, या किसी भी राज्य या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा या आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित किसी भी अन्य कंपनी को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया है।

यह उपबंधित करती है कि वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उनके विचारार्थ उक्त एजीएम में रखा जाना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन हेतु उत्तरदायी कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दण्ड का भी प्रावधान करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न पीएसयू के वार्षिक लेखे 31 दिसम्बर 2020 तक लंबित थे, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ में वर्णित है।

5.11.2 सरकारी कंपनियों द्वारा लेखाओं की तैयारी में सामयिकता

31 मार्च 2021 तक, सीएजी की लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 40 कंपनियाँ थी। इनमें से, वर्ष 2020-21 हेतु 35 सरकारी कंपनियों के लेखे देय[21] थे। हालांकि, केवल तीन सरकारी कंपनियों ने 30 नवंबर 2021 तक या उससे पहले सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किये थे।

37 सरकारी कंपनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। इनके लेखाओं की प्रस्तुति में बकायों का विवरण नीचे **तालिका 5.18** में दिया गया है:

तालिका 5.18: लेखाओं की प्रस्तुति में बकायों का विवरण

विवरण			कुल
31.03.2021 तक सीएजी के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कंपनियों की कुल संख्या			40
कम: नयी कंपनियाँ जिनके लेखे वर्ष 2020-21 हेतु बकाया नहीं थे			0
कम: परिसमापनाधीन/ निष्क्रिय[22] कंपनियाँ			6
कंपनियों की संख्या जिनसे 2020-21 हेतु लेखे देय थे			34
30 नवम्बर 2021 तक सीएजी लेखापरीक्षा हेतु लेखाओं को प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या			3
बकायों में लेखाओं वाली कंपनियों की संख्या			31
बकायों का अलग-अलग विवरण	(i)	निष्क्रिय	0
	(ii)	प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये	6
	(iii)	अन्य	25
'अन्य' श्रेणी के प्रति बकायों का अवधि-वार विश्लेषण	एक वर्ष तक (2020-21)		5
	दो वर्ष तक (2019-20 और 2020-21)		14
	तीन वर्ष और अधिक		17

बकाया लेखाओं की अवधि के दौरान इन पीएसयू में जीओजेएण्डके निवेश की स्थिति के साथ इन कंपनियों का विवरण ***परिशिष्ट 5.10*** में इंगित किया गया है।

[21] लेखाओं को प्रस्तुत करने हेतु देय तिथि 30 नवम्बर 2021 तक तय की गयी थी।

[22] जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड, तवी स्कूटर्स लिमिटेड, हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (परिसमापनाधीन); जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (निष्क्रिय)।

5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में सामयिकता

31 मार्च 2021 तक, सीएजी की लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दो सांविधिक निगम थे। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित की जाती है। दो सांविधिक निगमों में से, सीएण्डएजी जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा संचालित की जाती है और अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएण्डएजी द्वारा संचालित की जाती है।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम और जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम के लेखे 30 नवंबर 2021 तक प्रतीक्षित थे।

इन निगमों के विवरण के साथ-साथ बकाया लेखाओं की अवधि के दौरान इन निगमों में जीओजेएण्डके के निवेश की स्थिति ***परिशिष्ट 5.10*** में इंगित की गयी है।

5.12 सीएजी का पर्यवेक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निहित प्रारूप में और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में, लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से वित्तीय विवरणों को तैयार करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों को अपने लेखाओं को सीएजी के परामर्श से बनाये गये नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अनुसार तैयार करना आवश्यक है।

5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालित करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार अपने प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन का अनुवीक्षण करके पर्यवेक्षण की भूमिका निभाता है और इस समग्र उद्देश्य के साथ निरीक्षण करता है कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें समनुदेशित किये गये कार्यों का उचित और प्रभावी ढंग से निर्वहन करेंगें। निम्नलिखित शक्ति का प्रयोग करके इस कार्य का निर्वहन किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना और

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर पूरक या टिप्पणी करना।

5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु मुख्य उत्तरदायित्व एक अधिष्ठान के प्रबंधन का है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर एक मत अभिव्यक्त करने हेतु उत्तरदायी हैं, जोकि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की मानक लेखापरीक्षा रीतियों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा और सीएजी द्वारा दिये गये निर्देश पर आधारित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की समीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करके की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, तो उन्हें वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है।

5.13 सीएजी की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा वर्ष 2020-21 (या पूर्ववर्ती वर्षों के जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) हेतु संचालित पीएसयू के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की स्थिति पर अगले पैराग्राफ में चर्चा की गयी है।

5.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

वर्ष 2020-21 हेतु वित्तीय विवरण 30 नवम्बर 2021 तक दो[23] सरकारी कंपनियों और एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी[24] से प्राप्त हुये थे। इनमें से दो[25] सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गयी थी।

पिछले वर्षों के 32 लेखे भी एक जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक की अवधि के दौरान प्राप्त हुये थे, जिनमें से छह लेखाओं हेतु गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किये गये थे और पाँच लेखाओं के संबंध में टिप्पणियाँ जारी की गयी थी तथा 21 लेखे 30

[23] जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड और जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड।

[24] चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड।

[25] वर्ष 2020-21 हेतु जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड को गैर-समीक्षा प्रमाण-पत्र दिया गया था।

नवंबर 2021 तक लंबित थे। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों से संबंधित 10 पीएसयू के 42 लेखे, जो 1 जनवरी 2021 से पहले प्राप्त हुये थे, उनकी भी वर्तमान वर्ष के दौरान समीक्षा की गयी थी। 42 वित्तीय विवरणों में से, आठ पीएसयू के 32 लेखाओं हेतु टिप्पणियाँ जारी की गयी थी और दो पीएसयू को उनके लेखाओं के 10 वर्षों के लिए प्रबंधन पत्र जारी किये गये थे।

5.14 अनुशंसाएं

1. सरकार वित्तीय विवरणों को शीघ्र अंतिम रूप देने को सुनिश्चित करने के लिए उन पीएसयू पर दबाव डाल सकती है जिनके लेखे बकाया हैं क्योंकि उन्हें अंतिम रूप देने के अभाव में, ऐसे पीएसयू में सरकारी निवेश विधायी पर्यवेक्षण से बाहर रहते हैं; और
2. संघ शासित क्षेत्र सरकार को निष्क्रिय पीएसयू के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया के आरंभ से संबंधित शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है क्योंकि वे न तो अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही उन प्रयोजनों को पूरा कर रहे हैं जिनके लिये उन्हें स्थापित किया गया था।

(प्रमोद कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर

श्रीनगर/ जम्मू
दिनांक: 08 मई 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 18 मई 2022

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ पैराग्राफः 1.5)

संघ शासित क्षेत्र सरकार वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े[1]

(₹ करोड़ में)

भाग-क प्राप्तियाँ		
राजकोषीय औसत	**(31.10.2019 से 31.03.2020)**	**2020-21**
1. राजस्व प्राप्तियाँ (क) + (ख)	**22,557.34**	**52,495.48**
(क) कर राजस्व	**4,056.49**	**8,876.99**
(i) संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के करों से राजस्व	4,056.49	8,876.99
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	2,115.75	4,839.35
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	782.43	1,495.61
राज्य उत्पाद शुल्क	587.67	1,347.42
वाहनों पर कर	246.08	488.38
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	117.54	325.54
भू-राजस्व	48.32	60.57
अन्य कर	158.70	320.12
(ii) संघीय करों एवं शुल्कों में संघ शासित क्षेत्र की हिस्सेदारी	0.00	0.00
(ख) गैर-कर राजस्व	**18,500.85**	**43,618.49**
(i) संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के गैर- कर राजस्व	2,062.77	4,076.38
विद्युत विभाग से प्राप्तियाँ	1,196.66	2,349.74
(ii) केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	16,438.08	39,542.11
राज्य के स्वयं के राजस्व (क) (i) + (ख) (i)	6,119.26	12,953.37
केन्द्र से राजस्व हस्तांतरण (क) (ii) + (ख) (ii)	16,438.08	39,542.11
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ)	2.34	1.93
3. सकल लोक ऋण प्राप्तियाँ (अर्थोपाय अग्रिमों की प्राप्तियों सहित)	16,647.37	42,732.93
4. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (1+2+3)	**39,207.05**	**95,230.34**
5. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	0.00	25.00
6. सकल लोक लेखा प्राप्तियाँ (विभागीय नकद तिजोरी और नकद शेष में निवेश सहित प्राप्तियाँ)	11,364.19	24,833.82
सकल प्राप्तियाँ (4+5+6)	**50,571.24**	**120,089.16**
लोक लेखा प्राप्तियाँ (**निवल**) विभागीय नकद तिजोरी और नकद शेष में निवेश सहित प्राप्तियाँ	**3,604.34**	**1,464.16**

[1] ₹ एक करोड़ का अंतर, जहाँ कहीं भी है, पूर्णांकित करने के कारण है।

भाग-ख संवितरण		
राजकोषीय औसत	**31.10.2019 से 31.03.2020**	**2020-21**
1. राजस्व व्यय (क) + (ख)=(i) + (ii) + (iii)	**22,719.43**	**52,633.75**
(क) सीएसएस/ सीए	637.96	1,740.45
(ख) प्रसामान्य/ सामान्य/ राज्य निधि व्यय	22,081.47	50,893.30
(i) सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	9,383.75	25,521.16
(ii) समाज सेवाएं	8,614.74	19,471.70
(iii) आर्थिक सेवाएं	4,720.94	7,640.89
2. पूँजीगत व्यय (क) + (ख)=(i) + (ii) + (iii)	**5,422.20**	**10,470.38**
(ए) सीएसएस/ सीए	1,861.63	4,294.25
(ख) सामान्य	3,560.57	6,176.13
(i) सामान्य सेवाएं	733.57	776.24
(ii) समाज सेवाएं	1,492.93	2,492.57
(iii) आर्थिक सेवाएं	3,195.70	7,201.57
3. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**38.14**	**61.64**
4. कुल (1+2+3)	**28,179.77**	**63,165.77**
5. सकल लोक ऋण का पुनर्भुगतान (अर्थोपाय अग्रिमों के पुनर्भुगतान सहित) जिसका	13,149.34	33,563.32
आंतरिक ऋण (ओवरड्राफ्ट और अर्थोपाय अग्रिमों को छोडकर)	985.31	4,134.06
अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल संव्यवहार	-295.18	-1,784.54
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	58.91	118.34
6. आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन	**0.00**	**25.00**
7. समेकित निधि में से सकल संवितरण (4+5+6)	**41,329.11**	**96,754.09**
8. आकस्मिकता निधि संवितरण	**0.00**	**0.00**
9. निवल लोक लेखा संवितरण	**7,759.85**	**23,369.66**
10. सकल संवितरण (7+8+9)	**49,088.96**	**1,20,123.75**
11. नकद शेष में वृद्धि	**1,482.28**	**-34.59**
12 कुल योग	**50,571.24**	**1,20,089.16**

भाग- ग घाटे		
1. राजस्व अधिशेष (+)/ राजस्व घाटा (-) (राजस्व प्राप्तियाँ - राजस्व व्यय)	**-162.09**	**-138.27**
2. राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (लोक ऋण और अन्य देयताओं के उन्मोचन को छोडकर कुल व्यय - कुल गैर-ऋण प्राप्तियाँ	**5,620.09**	**10,693.36**
3. प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान)	**3,088.46**	**4,320.90**
4. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**2,531.63**	**6,372.46**
5. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	**3,998.98**	**6,531.86**
6. लिये गये अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट (दिनों में)	**132 (51 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)**	**318 (58 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)**
7. डब्ल्यूएमए/ ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	**12.87**	**40.13**
8. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**16,647.37**	**42,732.93**
9. वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी[2])	**1,70,382**	**1,76,282.00**
10. बकाया लोक ऋण[3] (वर्ष के अंत में) लोक लेखा को छोड़कर	**3,498.03**	**12,667.64**
11. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अंत में) ब्याज सहित	**1,324.54**	**1,486.07**
12. प्रत्याभूतित अधिकतम राशि (वर्ष के अंत में)	**5,204.84**	**12,564.18**
13. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**अनुपलब्ध**	**165**
14. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	**अनुपलब्ध**	**464.91**
कुल व्यय/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	अनुपलब्ध	35.83
राजस्व प्राप्तियाँ/ कुल व्यय (प्रतिशत)	80.05	83.11
राजस्व व्यय/ कुल व्यय (प्रतिशत)	80.62	83.33
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/ कुल व्यय (प्रतिशत)	35.87	34.77
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/ कुल व्यय (प्रतिशत)	28.09	23.50
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय (प्रतिशत)	19.24	16.58
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय (प्रतिशत)	16.64	15.35
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष/ राजस्व घाटा	-	-0.08
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	-	6.07
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटा	-	2.45
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)	-	-1.29
देयताएं/ जीएसडीपी[4] (प्रतिशत)	-	9.63
देयताएं/ राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	-	32.35
ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज) वर्ष के लिए कुल ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	89	89
निवेश पर प्रतिफल	शून्य	शून्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/ देयताएं	98	98

स्रोत: वित्त लेखे

[2] *जीएसडीपी के आँकड़े एमओएसपीआई वेबसाइट से लिये गये हैं।*

[3] *केन्द्र सरकार से केवल आंतरिक ऋण और ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।*

[4] *30 अक्तूबर 2019 की समाप्ति पर तत्कालीन राज्य की देयता को ध्यान में रखते हुए, जीएसडीपी में देयता 57.02 प्रतिशत होगी।*

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 1.5.1)

वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सार

(₹ करोड में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
विभिन्न मदें	**2020-21**	**2020-21**	**विभिन्न मदें**	**2020-21**	**2020-21**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
अनुभाग-क: राजस्व					
I. राजस्व प्राप्तियाँ		*52,495.48*	**I. राजस्व व्यय**		52,633.75
स्वयं के कर-राजस्व	*8,876.99*		**सामान्य सेवाएं**		***25,521.16***
			समाज सेवाएं		***19,471.70***
गैर-कर राजस्व	*4,076.38*		शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	*10,092.54*	
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	*4,427.59*	
संघीय करों में राज्य का हिस्सा	*0.00*		जलापूर्ति, स्वच्छता/ एचएण्डयूडी	*2,710.12*	
			सूचना एवं प्रसारण	*79.51*	
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण	*87.29*	
वित्त आयोग अनुदान	*0.00*		श्रम एवं श्रम कल्याण	*46.07*	
भारत सरकार से अनुदान (राज्यों को अन्य अनुदान/ हस्तांतरण)	39,542.11		समाज कल्याण और पोषण	*1,983.29*	
			अन्य	*45.29*	
			आर्थिक सेवाएं		**7,640.89**
			कृषिगत एवं संबद्ध गतिविधियाँ	*2,870.56*	
			ग्रामीण विकास	*448.06*	
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		
			सिंचाई और बाढ नियंत्रण	*611.85*	
			ऊर्जा	*2,812.84*	
			उद्योग एवं खनिज	*358.28*	
			परिवहन	*210.38*	
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	*41.94*	
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	*286.98*	
II. अनुभाग-ख में अग्रानीत राजस्व घाटा		138.27	**II. अनुभाग-ख में अग्रानीत राजस्व अधिशेष**		
कुल अनुभाग-क		**52,633.75**	**कुल अनुभाग-क**		**52,633.75**

अनुभाग-ख: पूँजीगत					
III. स्थायी अग्रिमों और नकद शेष निवेश सहित अथ नकद शेष		**1,482.28**	**III. पूँजीगत परिव्यय**		**10,470.38**
IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		**0.00**	**सामान्य सेवाएं**		**776.24**
			समाज सेवाएं		**2,492.57**
			शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	*597.74*	
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	*529.85*	
			जलापूर्ति, स्वच्छता/ एचएण्डयूडी	*848.69*	
			सूचना एवं प्रसारण	*0.44*	
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण	*31.28*	
			समाज कल्याण और पोषण	*468.50*	
			अन्य समाज सेवाएं	*16.07*	
			आर्थिक सेवाएं		**7,201.57**
			कृषिगत और संबद्ध गतिविधियाँ	*702.31*	
			ग्रामीण विकास	*2,022.86*	
			विशेष क्षेत्रों कार्यक्रम		
			सिंचाई और बाढ नियंत्रण	*147.72*	
			ऊर्जा	*589.58*	
			उद्योग और खनिज	*163.76*	
			परिवहन	*2,627.86*	
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	*24.23*	
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	*923.25*	
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ		**1.93**	**IV. ऋण एवं अग्रिम संवितरण**		**61.64**
उद्योग और खनिज	1.27		उद्योग और खनिज	*28.14*	
सरकारी सेवक	0.47		परिवहन	32.50	
अन्य	0.19		अन्य	01.00	
VI. राजस्व अधिशेष			**V. राजस्व घाटा**		**138.27**

VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		**13,422.01**	**VI. लोक ऋण का पुनर्भुगतान**		**4,252.40**
अर्थोपाय अग्रिमों के अलावा राज्य सरकार का आंतिरिक ऋण	*9,649.96*		अर्थोपाय अग्रिमों के अलावा राज्य सरकार का आंतिरिक ऋण	*4,134.06*	
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	*2,282.69*		भारत सरकार से ऋणों और अग्रिमों का पुनर्भुगतान	*118.34*	
निवल अर्थोपाय अग्रिम	*1,489.36*		निवल अर्थोपाय अग्रिम		
VIII. आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन		**25.00**	**VII. आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन**		**25.00**
IX. आकस्मिकता निधि को प्रतिपूरित राशि		**0.00**	**VIII. आकस्मिकता निधि से व्यय**		**0.00**
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		**24,833.82**	**IX. लोक लेखा संवितरण**		**23,369.66**
लघु बचतें और भविष्य निधियाँ	*5,968.29*		लघु बचतें और भविष्य निधियाँ	*4,824.12*	
आरक्षित निधियाँ	*790.67*		आरक्षित निधियाँ	*206.49*	
जमाएं और अग्रिम	*3,427.29*		जमाएं और अग्रिम	*2,845.33*	
उचंत और विविध	*12,655.15*		उचंत और विविध	*12,737.49*	
प्रेषण	*1,992.42*		प्रेषण	*2,756.23*	
			X. अंत में नकद शेष		**1,447.69**
			बैंक के पास जमाएं	*1,447.69*	
कुल अनुभाग-ख		**39,765.04**	**कुल अनुभाग-ख**		**39,765.04**

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. पूर्वगामी विवरणों में संक्षिप्त लेखाओं को वित्त लेखे में की गई टिप्पणियों और व्याख्याओं के साथ पढ़ा जाए।

2. सरकारी लेखे मुख्यत: नकद के आधार पर होने के कारण, वाणिज्यिक लेखांकन में प्रोद्भूत आधार के विपरीत सरकारी लेखाओं में घाटा नकद आधार पर स्थिति इंगित करता है। परिणामस्वरूप, स्टॉक आँकड़ों आदि पर, मूल्यह्रास या भिन्नता वाली मदें या भुगतान या प्राप्य मदें लेखाओं में नहीं दर्शायी जाती हैं।

3. उचंत और विविध शेषों में जारी चैकों परंतु भुगतान नहीं किये गये और संघ शासित क्षेत्र की ओर से किये गये भुगतान और अन्य लंबित निपटान इत्यादि को शामिल किया जाता है।

परिशिष्ट-1.2 (जारी)
31 मार्च 2021 तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 तक			31 मार्च 2021 तक	
		देयताएं		
	3,556.94	**आंतरिक ऋण**		**10,562.21**
3,415.92		ब्याज वहन करने वाले बाजार ऋण	9,435.22	
(-)26.65		एलआईसी से ऋण	(-)169.64	
167.68		अन्य संस्थानों से ऋण	1,296.63	
	(-)58.91	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**2,105.44**
0.00		1984-85 से पहले के ऋण	0.00	
0.00		गैर-नियोजित ऋण	0.00	
(-)58.47		राज्य/संघ शासित क्षेत्र की ऋण योजनाओं के लिए ऋण	(-)175.81	
(-)0.44		विधानमण्डल योजनाओं वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्र के लिए अन्य ऋण	2,281.25	
	0.00	**आकस्मिकता निधि**		**25.00**
	1,041.80	**लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि**		**2,185.97**
	186.95	**आरक्षित निधियाँ**		**771.13**
	773.57	**जमाएं**		**1,355.53**
	1,398.31	**प्रेषण शेष**		**634.50**
	203.71	**उचंत और विविध शेष**		**121.15**
	0.00	**सरकारी लेखा पर अधिशेष**		**0.00**
	7,102.37	**कुल**		**17,760.93**

31 मार्च 2020 तक			31 मार्च 2021 तक	
		परिसंपत्तियाँ		
	5,422.20	**निर्धारित परिसंपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**		**15,892.58**
81.12		कंपनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	162.39	
5,341.08		अन्य पूँजीगत परिव्यय	15,730.19	
	35.80	**ऋण एवं अग्रिम**		**95.51**
23.00		उद्योग और खनिज	40.13	
13.26		परिवहन	55.50	
		ऊर्जा		
		कृषिगत एवं संबद्ध गतिविधियाँ		
(-)0.01		अन्य विकास ऋण	0.50	
(-)0.15		सरकारी सेवकों को ऋण और विविध ऋण	(-)0.62	
	0.00	**अग्रिम**		
	0.00	**उचंत और विविध शेष**		
	0.00	**आकस्मिकता निधि से (अप्रतिपूरित)**		**0.00**
		आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)		**25.00**
	1,482.28	**नकद**		**1,447.69**
0.00		कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में नकद	0.00	
1,482.28		बैंक के पास जमाएं	1,447.69	
	162.09	प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य		**300.14**
	7,102.37	**कुल**		**17,760.93**

स्रोत: वित्त लेखे

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित 30.10.2019 की समाप्ति तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित नहीं किया गया है।

परिशिष्ट 3.1
(संदर्भ पैराग्राफ: 3.3.1)
विधि के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

क्र. सं.	अनुदान/ विनियोग	मुख्य लेखा शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	योजनाओं एवं उप शीर्षों की संख्या
1.	02	2055	3.01	3
2.	07	2202 व 4202	4.22	4
3.	08	2049, 2075, 5475, 6003 व 6004	6,401.72	13
4.	10	2014 व 2030	0.07	02
5.	12	2402 व 4402	2.38	02
6.	13	4403	0.58	02
7.	15	4235	2.74	02
8.	16	4059 व 5054	3.93	02
9.	17	2210, 2211 व 4210	5.08	03
10.	18	2235, 4225 व 4236	8.43	03
11.	19	4217	156.40	03
12.	21	2406 व 4406	120.00	10
13.	23	2215	0.03	01
14.	27	4202	0.02	01
15.	28	2501	1.00	01
16.	30	2225	4.73	01
	कुल		**6,714.34**	**53**

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.3.3)

अनावयश्क अनुपूरक अनुदान/ विनियोग के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें
I- राजस्व (दत्तमत)					
1	10-विधि विभाग	675.25	73.73	311.68	363.57
2	17-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	4,900.70	315.80	4,427.59	473.11
3	18-समाज कल्याण विभाग	2,022.69	383.90	1,665.59	357.10
4	26-मत्स्यपालन विभाग	98.93	0.87	89.86	9.07
कुल-I		**7,697.57**	**774.30**	**6,494.72**	**1,202.85**
II-पूँजीगत (दत्तमत)					
5	3-योजना विभाग	1,364.97	33.00	499.32	865.65
6	6-विद्युत विकास विभाग	3,522.90	10,110.74	589.57	2,933.33
7	14-राजस्व विभाग	12.45	76.00	3.64	8.81
8	16-लोक निर्माण विभाग	2,968.11	653.55	2,924.06	44.05
9	23-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	704.72	539.04	311.28	393.44
10	17- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग	1,267.63	187.44	529.85	737.79
11	26- मत्स्यपालन विभाग	91.99	19.12	34.70	57.29
कुल-II		**9,932.77**	**11,618.89**	**4,892.42**	**5,040.36**
कुल योग		**17,630.35**	**12,393.19**	**11,387.14**	**6,243.21**

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.4.1)

महत्त्वपूर्ण बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
1	1	**सामान्य प्रशासन विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	515.33	381.46	133.87	
		प्रभारित	24.45	19.24	5.21	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	288.12	86.63	201.49	
		कुल	**827.89**	**487.33**	**340.57**	**41%**
2	2	**गृह विभाग-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
		राजस्व				
		दत्तमत	8,104.07	6,893.28	1,210.78	
		प्रभारित				
		पूँजीगत	1,111.45	223.46	887.99	
		कुल	**9,215.52**	**7,116.75**	**2,098.77**	**23%**
3	3	**योजना विभाग-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
		राजस्व				
		दत्तमत	123.00	76.37	46.63	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,397.97	499.32	898.65	
		कुल	**1,520.97**	**575.69**	**945.28**	**62%**
4	4	**सूचना विभाग-**				
		राजस्व				
		दत्तमत	111.47	79.51	31.97	
		पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	
		दत्तमत	1.15	0.44	0.71	
		कुल	**112.63**	**79.95**	**32.68**	**29%**
5	6	**विद्युत विकास विभाग-**				
		राजस्व				
		दत्तमत	3,767.71	2,812.84	954.87	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	13633.65	589.57	13,044.07	

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
		कुल	**17,401.35**	**3,402.42**	**13,998.94**	**80%**
6	**7**	**शिक्षा विभाग-**				
		राजस्व				
		दत्तमत	11,126.20	8,425.52	2,700.67	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,030.23	186.26	843.97	
		कुल	**12,156.43**	**8,611.78**	**3,544.65**	**29%**
7	**9**	**संसदीय मामले विभाग-**				
		राजस्व				
		दत्तमत	53.34	23.59	29.75	
		प्रभारित	0.86	0.00	0.86	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	8.00	0.00	8.00	
		कुल	**62.21**	**23.59**	**38.61**	**62%**
8	**10**	**विधि विभाग-**				
		राजस्व				
		दत्तमत	748.98	311.68	437.30	
		प्रभारित	58.42	49.27	9.15	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	109.00	49.04	59.96	
		कुल	**916.40**	**409.99**	**506.41**	**55%**
9	**11**	**उद्योग एवं वाणिज्य विभाग-**				
		राजस्व				
		दत्तमत	467.64	251.33	216.32	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	494.25	183.63	310.63	
		कुल	**961.90**	**434.95**	**526.95**	**55%**
10	**12**	**कृषि विभाग-**				
		राजस्व				
		दत्तमत	1,386.36	1,078.50	307.86	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,292.10	168.51	1,123.59	
		कुल	**2,678.46**	**1,247.01**	**1,431.44**	**53%**
11	**13**	**पशु/ भेड़ पालन विभाग**				

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
		राजस्व				
		दत्तमत	728.44	506.06	222.38	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	368.97	129.02	239.95	
		कुल	**1,097.41**	**635.08**	**462.33**	**42%**
12	14	**राजस्व विभाग-**				
		राजस्व				
		दत्तमत	650.95	478.76	172.19	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	88.45	3.64	84.81	
		कुल	**739.40**	**482.40**	**257.00**	**35%**
13	15	**खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	313.74	153.91	159.83	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	412.04	106.06	305.98	
		कुल	**725.78**	**259.97**	**465.81**	**64%**
14	16	**लोक निर्माण विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	954.85	857.01	97.84	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	3,621.66	2,924.06	697.60	
		कुल	**4,576.50**	**3,781.07**	**795.44**	**17%**
15	17	**स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	5,216.51	4,427.59	788.92	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,455.07	529.85	925.22	
		कुल	**6,671.57**	**4,957.44**	**1,714.14**	**26%**
16	18	**समाज कल्याण विभाग**				
		राजस्व				

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
		दत्तमत	2,406.59	1,665.59	741.00	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	115.23	36.55	78.68	
		कुल	**2521.82**	**1,702.14**	**819.68**	**33%**
17	19	**आवास एवं शहरी विकास विभाग-**				
		राजस्व				
		दत्तमत	1,025.87	987.16	38.71	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	2,052.68	537.40	1,515.27	
		कुल	**3,078.54**	**1,524.56**	**1,553.98**	**50%**
18	20	**पर्यटन विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	247.51	122.47	125.04	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	576.62	64.51	512.11	
		कुल	**824.13**	**186.98**	**637.15**	**77%**
19	21	**वन विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	1,244.73	1,067.95	176.78	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,060.72	119.35	941.37	
		कुल	**2,305.45**	**1,187.30**	**1,118.15**	**49%**
20	22	**सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	909.53	580.93	328.60	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,559.83	131.13	1,428.70	
		कुल	**2,469.36**	**712.06**	**1,757.30**	**71%**
21	23	**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	1,856.07	1,641.54	214.53	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,243.76	311.28	932.48	
		कुल	**3,099.83**	**1,952.82**	**1,147.01**	**37%**

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
22	24	**आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	297.36	207.10	90.26	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	35.00	21.84	13.16	
		कुल	**332.36**	**228.94**	**103.42**	**31%**
23	25	**श्रम, लेखन सामग्री एवं मुद्रण विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	130.23	71.89	58.34	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	58.08	13.60	44.48	
		कुल	**188.31**	**85.49**	**102.82**	**55%**
24	26	**मत्स्यपालन विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	99.80	89.86	9.95	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	111.11	34.70	76.41	
		कुल	**210.91**	**124.56**	**86.35**	**41%**
25	27	**उच्चतर शिक्षा विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	1,440.26	1,170.81	269.45	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	1,362.01	357.33	1,004.69	
		कुल	**2,802.28**	**1,528.14**	**1,274.14**	**45%**
26	28	**ग्रामीण विकास विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	954.68	453.77	500.90	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	5,284.09	2,022.87	3,261.22	
		कुल	**6,238.76**	**2,476.64**	**3,762.12**	**60%**
27	29	**परिवहन विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	115.27	62.85	52.42	

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
		पूँजीगत				
		दत्तमत	188.00	122.37	65.63	
		कुल	**303.27**	**185.22**	**118.05**	**39%**
28	**30**	**जनजातीय मामले विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	105.42	47.77	57.64	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	162.58	25.86	136.72	
		कुल	**267.99**	**73.63**	**194.36**	**73%**
29	**31**	**संस्कृति विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	68.91	48.79	20.12	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	129.38	4.06	125.32	
		कुल	**198.29**	**52.85**	**145.44**	**73%**
30	**32**	**उद्यान कृषि विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	210.19	119.59	90.60	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	580.20	178.09	402.11	
		कुल	**790.39**	**297.68**	**492.71**	**62%**
31	**33**	**आपदा प्रबंध, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	1,052.80	784.23	268.57	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	451.57	6.25	445.32	
		कुल	**1,504.37**	**790.48**	**713.88**	**47%**
32	**34**	**युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	737.88	459.51	278.37	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	252.66	55.32	197.34	

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
		कुल	**990.54**	**514.83**	**475.71**	**48%**
33	**35**	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**				
		राजस्व				
		दत्तमत	18.24	10.48	7.76	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	148.49	23.24	125.24	
		कुल	**166.73**	**33.72**	**133.01**	**80%**
34	**36**	**सहकारी विभाग-**				
		राजस्व				
		दत्तमत	87.38	42.21	45.17	
		पूँजीगत				
		दत्तमत	15.00	8.15	6.85	
		कुल	**102.38**	**50.35**	**52.03**	**51%**
		कुल योग	**88,060.14**	**46,213.82**	**41,846.32**	

परिशिष्ट 3.4
(संदर्भ पैराग्राफ: 3.4.2)
प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत प्रावधान के उपयोग की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	विनियोग की राशि	व्यय	उपयोग प्रतिशतता
1	सामान्य प्रशासन विभाग	827.89	487.33	**59%**
2	गृह विभाग	9,215.52	7,116.75	**77%**
3	योजना एवं विकास विभाग	1,520.97	575.69	**38%**
4	सूचना विभाग	112.63	79.95	**71%**
6	विद्युत विकास विभाग	17,401.35	3,402.42	**20%**
7	शिक्षा विभाग	12,156.43	8,611.78	**71%**
8	वित्त विभाग	45,535.59	50,572.47	**111%**
9	संसदीय मामले विभाग	62.21	23.59	**38%**
10	विधि विभाग	916.40	409.99	**45%**
11	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	961.90	434.95	**45%**
12	कृषि विभाग	2,678.46	1,247.01	**47%**
13	पशु/ भेड़ पालन विभाग	1097.41	635.08	**58%**
14	राजस्व विभाग	739.40	482.40	**65%**
15	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	725.78	259.97	**36%**
16	लोक निर्माण विभाग	4,576.50	3,781.07	**83%**
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	6,671.57	4,957.44	**74%**
18	समाज कल्याण विभाग	2,521.82	1,702.14	**67%**
19	आवास एवं शहरी विकास विभाग	3,078.54	1,524.56	**50%**
20	पर्यटन विभाग	824.13	186.98	**23%**
21	वन विभाग	2,305.45	1,187.30	**51%**
22	सिंचाई विभाग	2,469.36	712.06	**29%**
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	3,099.83	1,952.82	**63%**
24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग	332.36	228.94	**69%**
25	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	188.31	85.49	**45%**
26	मत्स्यपालन विभाग	210.91	124.56	**59%**

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	विनियोग की राशि	व्यय	उपयोग प्रतिशतता
27	उच्चतर शिक्षा विभाग	2,802.28	1,528.14	**55%**
28	ग्रामीण विकास विभाग	6,238.76	2,476.64	**40%**
29	परिवहन विभाग	303.27	185.22	**61%**
30	जनजातीय मामले विभाग	267.99	73.63	**27%**
31	संस्कृति विभाग	198.29	52.85	**27%**
32	उद्यान कृषि विभाग	790.39	297.68	**38%**
33	आपदा प्रबंध, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विभाग	1,504.37	790.48	**53%**
34	युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	990.54	514.83	**52%**
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	166.73	33.72	**20%**
36	सहकारी विभाग	102.38	50.35	**49%**
	कुल योग	**1,33,595.72**	**96,786.29**	

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.5)

शून्य व्यय सहित अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	बजट आबंटन	व्यय	योजनाओं एवं उप शीर्षों की संख्या
1	1	2070,4075 व 5452	75.98	0	3
2	3	3454 व 5475	394.70	0	9
3	6	2801 व 4801	12,037.22	0	8
4	7	2202 व 4202	321.17	0	3
5	8	2030,2075,2049,5475 व 6003	1838.89	0	12
6	9	2011 व 7610	8.86	0	2
7	10	2014 व 2070	7.49	0	3
8	11	2851 व 4851	56.10	0	5
9	12	4401 व 4851	353.51	0	16
10	13	4403 व 4404	103.49	0	8
11	14	2030,2235,2401 व 4059	10.22	0	7
12	15	2408 व 4408	215.61	0	3
13	17	2210,4210 व 2211	104.66	0	11
14	18	2055,2070,2235,2236,4235 व 4236	157.75	0	15
15	19	4217	116.50	0	4
16	20	5452	17.26	0	2
17	21	4202,4406 व 5425	924.25	0	5
18	22	4701	60.32	0	3
19	23	4215	158.66	0	1
20	27	4202 व 2202	340.40	0	4
21	28	2515 व 4515	693.51	0	7
22	31	4202	11.31	0	2
23	32	4401	59.47	0	2
24	34	4202	56.93	0	3
25	35	5425	10.68	0	1
कुल			**18,134.91**	**0**	**139**

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.5.1)

नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	आधिक्य
I- राजस्व दत्तमत				
1	16- लोक निर्माण विभाग	357.98	382.20	24.22
कुल I- (राजस्व दत्तमत)		**357.98**	**382.20**	**24.22**
II- पूँजीगत दत्तमत				
2	27- उच्चतर शिक्षा विभाग	107.70	137.36	29.66
कुल II- (पूँजीगत दत्तमत)		**107.70**	**137.36**	**29.66**
III- पूँजीगत प्रभारित				
3	08-वित्त विभाग	10,053.23	13,149.34	3,096.11
कुल III- (पूँजीगत प्रभारित)		**10,053.23**	**13,149.34**	**3,096.11**
IV- राजस्व प्रभारित				
4	08-वित्त विभाग	1,806.01	2,531.63	725.62
कुल IV- (राजस्व प्रभारित)		**1806.01**	**2531.63**	**725.62**
कुल (I+II+III+IV)		**12,324.92**	**16,200.53**	**3,875.61**

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.5.1)

नियमितीकरण की आवश्यकता वाले वर्ष 1980-81 से 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019) तक के लिए आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोग की संख्या	अनुदान/ विनियोग की संख्या	आधिक्य	नियमितीकरण की स्थिति
1980-81	16	1,5,6,7,8,9,12,13,14,16,18,19,20,21,22, 23	227.90	नियमित नहीं
1981-82	13	1,3,5,6,8,13,14,16,18,19, 20,21,23	41.99	
1982-83	10	6,8,9,12,14,18,19,21,22,23	119.74	
1983-84	12	1,5,6,7,8,14,18,19,20,21, 22,23	176.75	
1984-85	10	1,6,8,10,14,16,18,19,21,23	65.42	
1985-86	10	1,4,6,10,17,18,19,22,23,26	19.64	
1986-87	15	1,2,4,6,7,8,10,13,18,19,20,22,23,25,26	104.22	
1987-88	17	1,2,3,5,6,8,10,12,13,18,19,21,22,23,24, 26,27	177.32	
1988-89	14	1,2,8,9,10,12,13,15,17,18, 22,23,26,27	438.42	
1989-90	09	1,7,8,11,12,20,21,23,24	205.23	
1990-91	11	1,2,5,8,12,17,19,21,23,25,26	427.72	
1991-92	13	1,2,5,7,8,11,12,14,21,22, 23,26,27	1,152.23	
1992-93	14	1,4,5,8,10,11,12,14,16,20, 21,23,24,26	1,029.71	
1993-94	17	2,3,5,8,10,12,13,14,17,18, 20,21,22,23,24,26,27	1,730.03	
1994-95	14	5,6,8,9,10,12,13,14,20,21, 23,24,26,27	2,057.49	
1995-96	19	2,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,2 3,24,25,26,27	2,936.89	
1996-97	18	2,4,5,6,8,10,11,12,13,14,16,18,20,21,2 3,24,26,27	3,482.20	
1997-98	16	1,2,4,6,8,9,12,13,16,18,21,22,23,24,26, 27	4,189.21	
1998-99	06	4,5,6,8,23,27	4,185.25	
1999-2000	12	2,3,6,8,9,12,17,18,20,23,24,26	5,851.08	
2000-01	11	1,6,8,9,12,16,18,23,25, 26, 27	6,310.25	नियमित नहीं

वर्ष	अनुदानों/ विनियोग की संख्या	अनुदान/ विनियोग की संख्या	आधिक्य	नियमितीकरण की स्थिति
2001-02	15	3,5,6,8,11,17,18,20,21,23,25,26,27,28, 29	6,393.41	
2002-03	15	3,5,6,7,8,12,14,16,17,18,21,23,25,26,2 8	505.61	
2003-04	18	3,5,7,8,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23, 24,25,26,28	9,770.53	
2004-05	15	3,6,8,9,12,14,15,16,18,20,25,26,27,28, 29	2,108.42	
2005-06	16	3,5,8, 10,12,15, 16,17,18, 20,21,23,25, 26,27,28	12,954.06	
2006-07	14	8,12,14,15,16,17,18,20,21,23,25,26,27, 28	2,150.03	
2007-08	14	6,8,11,12,14,15,16,20,24,25,26,27,28,2 9	2,277.91	
2008-09	15	5,6,8,11,12,15,16,19,20,22,23,24,25,26 ,27	3,277.38	
2009-10	14	1,6,8,11,15,16,18,20,23,24,25,26,27,29	4,062.58	
2010-11	14	5,6,8,9,16,18,19,22,23,25,26,27,28,29	6,130.76	
2011-12	14	1,6,8,11,12,15,16,18,19,20,23,25,26,27	5,638.79	
2012-13	12	1,5,8,11,13,16,18,20,23,25,26,27	4,741.57	
2013-14	13	4,6,7,8,14,15,16,18,20,23,24,25,28	4,469.79	
2014-15	12	2,6,7,8,11,16,18,19,21,23,24,25	1,099.28	
2015-16	11	4,6,7,8,15,16,17,18,23,26,28	4,258.62	
2016-17	12	3,4,5,8,11,15,16,19,23,26,28,29	2,896.86	
2017-18	08	3,5,8,16,23,24,28,29	6,397.06	
2018-19	07	3,5,8,15,16,17,30	4,631.53	
2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019	16	5,7,8,9,12,15,17,18,19,21,24,26,29,32, 33,34	5,311.53	
		कुल	**1,24,004.41**	

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.9.1)

बजटीय प्रावधान के प्रति शून्य व्यय (अनुदान संख्या 06)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय
1	2801	80	101	0099	3314	1.48	0
2	2801	80	800	0099	2111	1.48	0
3	4801	01	800	0011	3319	11,025.00	0
4	4801	05	001	0011	1400	400.00	0
5	4801	05	001	0031	1307	319.12	0
6	4801	05	001	0031	1308	280.88	0
7	4801	05	800	0011	0250	2.25	0
8	4801	05	800	0011	0478	7.00	0
					कुल	**12,037.22**	**0**

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.9.1)

बजटीय प्रावधान के प्रति कम व्यय (बचत) जो अभ्यर्पित नहीं की गयी (अनुदान संख्या 06)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय	बचतें
1	2801	01	101	0099	1306	2,542.81	1,699.93	-842.88
2	2801	05	001	0099	1307	443.12	432.07	-11.05
3	2801	05	001	0099	1308	587.02	538.20	-48.82
4	2801	05	001	0099	1309	179.71	135.62	-44.09
5	2801	80	001	0099	1686	3.60	2.41	-1.19
6	2801	80	005	0099	2170	8.48	5.52	-2.96
7	4801	01	800	0011	2021	5.00	1.50	-3.50
8	4801	01	800	0031	2021	300.00	200.00	-100.00
9	4801	05	001	0011	1307	488.88	117.60	-371.28
10	4801	05	001	0011	1308	396.01	180.13	-215.88
11	4801	05	001	0011	1309	327.45	72.08	-255.37
12	4801	05	001	0011	1310	82.06	18.26	-63.80
कुल						**5,364.14**	**3,403.33**	**-1,960.81**

परिशिष्ट 3.10
(संदर्भ पैराग्राफ: 3.9.2)
बजटीय प्रावधान के बिना किया गया व्यय (अनुदान संख्या 08)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय
1	2030	01	101	0099	1657	0	0.02
2	2030	01	101	0099	1659	0	0.02
3	2030	02	101	0099	0333	0	0.01
4	2030	02	101	0099	1658	0	1.49
5	2030	02	101	0099	1660	0	2.93
6	2030	02	101	0099	1663	0	0.07
7	2049	01	115	0099	9899	0	34.87
8	2049	01	115	0099	9901	0	5.26
9	2049	01	123	0099	0159	0	309.89
10	2049	01	200	0099	0186	0	100.57
11	2049	01	200	0099	0302	0	69.91
12	2049	01	200	0099	2121	0	98.20
13	2049	01	200	0099	2694	0	284.12
14	2049	01	200	0099	3002	0	0.09
15	2049	01	200	0099	3003	0	0.03
16	2049	01	200	0099	3005	0	1.33
17	2049	01	200	0099	3007	0	139.73
18	2049	01	305	0099	3004	0	8.95
19	2049	04	101	0099	1871	0	20.56
20	2049	04	109	0099	1920	0	40.06
21	2049	04	112	0099	1871	0	3.45
22	2049	60	701	0099	0163	0	5.11
23	2071	01	102	0099	2190	0	840.40
24	2071	01	102	0099	0000	0	69.13
25	2071	01	104	0099	2190	0	1,203.35
26	2071	01	104	-	-	0	2.44
27	2071	01	105	0099	2190	0	240.97
28	2071	01	111	0099	2190	0	10.15
29	2071	01	111	0099	-	0	0.15
30	2071	01	117	-	-	0	41.96
31	2075	-	104	0099	0975	0	0.15
32	5475	-	115	0011	1880	0	61.28
33	6003	-	101	0099	0162	0	0.22

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय
34	6003	-	103	0099	0300	0	0.35
35	6003	-	109	0099	0303	0	0.16
36	6003	-	110	0099	9901	0	5,831.70
37	6003	-	111	0099	0159	0	348.65
38	6004	02	105	0099	1920	0	89.03
39	6004	09	101	0099	0848	0	1.00
40	7999	00	201	0000	0000	0	25.00
कुल							**9,892.76**

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.9.2)

बजटीय प्रावधान के प्रति शून्य व्यय (अनुदान संख्या 08)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय
1	2030	02	102	0099	0344	12.75	0
2	2049	01	101	0099	0163	292.18	0
3	2049	01	201	0099	0184	45.58	0
4	2049	04	101	0099	0723	64.07	0
5	2049	04	104	0099	0171	310.57	0
6	2049	60	701	0099	2140	441.37	0
7	2054	-	800	0099	0418	525.00	0
8	2075	-	103	0099	0317	0.15	0
9	2235	60	102	0099	0668	4.50	0
10	5475	-	115	0011	0906	71.25	0
11	5475	-	115	0011	2354	30.00	0
12	5475	-	115	0011	8085	500.00	0
13	5475	-	115	0099	2218	10.00	0
14	6003	-	109	0099	0159	348.65	0
कुल						**2,656.07**	**0**

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.9.2)

बजटीय प्रावधान के प्रति कम व्यय (बचत) जो अभ्यर्पित नहीं की गयी (अनुदान संख्या 08)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय	बचत
1	2030	01	001	0099	0344	6.91	6.54	-0.37
2	2039	-	001	0099	0334	45.07	26.78	-18.29
3	2040	-	001	0099	0334	10.00	7.25	-2.75
4	2040	-	800	0099	1429	1.62	1.16	-0.46
5	2043	-	001	0099	0334	511.03	467.71	-43.32
6	2043	-	104	0099	0983	0.75	0.27	-0.48
7	2047	-	103	0099	0293	11.46	0.96	-10.50
8	2047	-	103	0099	2354	20.00	0.50	-19.50
9	2049	03	104	0099	2187	1,897.66	1,845.08	-52.58
10	2049	03	108	0099	0189	70.00	65.73	-4.27
11	2049	05	105	0099	0185	400.00	43.89	-356.11
12	2049	60	701	0099	1885	207.04	120.00	-87.04
13	2054	-	003	0099	0328	2.46	1.18	-1.28
14	2054	-	003	0099	0329	3.43	2.92	-0.51
15	2054	-	095	0099	0312	9.39	7.17	-2.22
16	2054	-	095	0099	0316	13.24	11.49	-1.75
17	2054	-	095	0099	0326	3.08	2.62	-0.46
18	2054	-	095	0099	2430	4.81	4.35	-0.46
19	2054	-	097	0099	0324	21.59	18.40	-3.19
20	2054	-	097	0099	0335	18.09	15.83	-2.26
21	2054	-	097	0099	2431	16.34	13.39	-2.95
22	2054	-	097	0099	2432	16.73	14.37	-2.36
23	2054	-	098	0099	0314	7.07	6.16	-0.91
24	2054	-	800	0099	0310	6.05	4.54	-1.51
25	2054	-	800	0099	0312	6.55	4.86	-1.69
26	2054	-	800	0099	1190	56.16	40.83	-15.33
27	2071	01	101	0099	2190	7,297.29	5,642.15	-1,655.14
28	2071	01	115	0099	2190	684.29	591.51	-92.78
29	2071	01	117	0031	2327	2.32	1.87	-0.45
30	2071	01	117	0099	2327	657.35	456.58	-200.77
31	2235	60	102	0099	0313	0.51	0.27	-0.24
32	2235	60	105	0099	0323	24.00	16.15	-7.85
33	2235	60	107	0099	0965	3.00	0.02	-2.98

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय	बचत
34	3475	-	115	0099	1880	2.84	1.20	-1.64
35	4059	80	800	0011	2341	34.89	6.88	-28.01
36	5475	-	115	0011	2358	100.00	37.17	-62.83
37	5475	-	800	0011	1303	450.00	185.13	-264.87
38	5475	-	800	0099	8085	1,000.00	500.00	-500.00
39	6003	-	105	0099	0186	310.57	304.85	-5.72
40	6003	-	109	0099	0302	29.00	28.37	-0.63
41	6004	02	101	0099	0848	118.34	28.31	-90.03
42	6235	02	190	0099	0668	5.00	1.00	-4.00
43	6885	01	190	0099	1211	14.90	4.00	-10.90
कुल						**14,100.83**	**10,539.44**	**-3,561.39**

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.9.2)

बजटीय प्रावधान पर आधिक्य व्यय (अनुदान संख्या 08)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय	आधिक्य
1	2049	01	101	0099	0191	3,059.58	3175.61	116.03
2	6003	-	110	0099	2420	22,211.00	23,479.22	1268.22
कुल						**25,413.57**	**26,797.82**	**1,384.25**

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 4.4)

संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभागों को केन्द्रीय योजना निधियों (संघ शासित क्षेत्र बजट से बाहर प्राप्त निधियाँ) का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (अलेखापरीक्षित आँकड़े)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जीओआई योजना का नाम	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन अधिकरण	भारत सरकार द्वारा निर्मोचन 2020-21
1	स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोगिता (एसईटीयू) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम)	विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	110.00
2	एनएफएसए के अंतर्गत एफपीएस डीलर मार्जिन तथा खाद्यान्नों की अंतर्राज्यीय गतिशीलता के लिए राज्य अभिकरणों को सहायता	उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	13,784.68
3	जैव-प्रोद्योगिकी अनुसंघान एवं विकास	राजकीय महिला महाविद्याल, एमए रोड़, श्रीनगर, एसकेआईएमएस, सौरा, श्रीनगर	68.00
4	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	विभिन्न उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	320.52
5	स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु अवसंरचना का विकास	चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर	47.99
6	नर्सिंग सेवाओं का विकास	जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न नर्सिंग विद्यालय	1,125.00
7	एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण और जूनोटिक रोगों और अन्य उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों की तैयारी और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य पहल अंतर-क्षेत्रीय समन्वय वायरल हेपेटाइटिस एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध की निगरानी	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू/ श्रीनगर	3.96
8	ई-न्यायालय चरण-II	महा पंजीयक, उच्च न्यायालय, जम्मू एवं कश्मीर	100.12
9	अनुसंधान संस्थानों आदि के माध्यम से अतिरिक्त भित्ति अनुसंधान परियोजनाएं	राजकीय आयुर्वेद अस्पताल, जम्मू	9.00

क्र. सं.	जीओआई योजना का नाम	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन अधिकरण	भारत सरकार द्वारा निर्मोचन
			2020-21
10	मानव संसाधन एवं क्षमता विकास	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू	6.54
11	कृषि जनगणना एवं सांख्यिकी पर एकीकृत योजना	कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर	313.78
12	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन	उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर	45.42
13	नवाचार प्रौद्योगिकी विकास एवं परिनियोजन	जम्मू एवं कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	198.60
14	अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास योजनाएं	जिला विकास आयुक्त, बड़गाम	103.58
15	पंचायत का प्रोत्साहन	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	60.00
16	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी)	विभिन्न जिला उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	2,250.00
17	राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण-सीआरएफ से वित्तपोषित	परिवहन आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	20.00
18	वन स्टॉप सेन्टर	उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	218.84
19	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	750.11
20	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	70,883.40
21	प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना-मेगा फूड पार्क	उद्यान कृषि विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	150.00
22	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का पीएम औपचारिकीकरण पीएम-एफएमई	उद्यान कृषि विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	668.64
23	मूल्य अनुवीक्षण संरचना	उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर	3.42
24	अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का अनुसंधान/ अध्ययन, प्रचार, अनुवीक्षण और मूल्यांकन	राजकीय डिग्री महाविद्यालय सोपोर, कश्मीर	2.50
25	अनुसंधान प्रशिक्षण एवं अध्ययन तथा अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर	104.65

क्र. सं.	जीओआई योजना का नाम	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन अधिकरण	भारत सरकार द्वारा निर्मोचन
			2020-21
26	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत तथा मानव क्षमता निर्माण	राजकीय डिग्री महाविद्यालय	13.50
27	पीडीएस के अंतर्गत देय चीनी सहायिकी	उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर	208.26
28	सांख्यिकीय सशक्तिकरण हेतु सहायता	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर	137.75
29	महिला हेल्प लाइन	उपायुक्त, जम्मू	60.07
	सकल योग		**91,768.33**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भारत सरकार द्वारा जारी ₹27,61,19.19 लाख की कुल राशि में से ₹9,17,68.33 लाख की राशि संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों और ₹18,43,50.86 लाख विभिन्न स्वायत्त निकायों/ सरकार के अन्य संस्थाओं (केन्द्रीय अभिकरणों के ₹59,18.14 लाख सहित) को हस्तांतरित की गई। कृपया लेखाओं पर टिप्पणियाँ के खण्ड-I के पैरा 3 (xi) का भी संदर्भ लें।

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 4.13)

31 मार्च 2021 तक लेखाओं के बकायों की स्थिति

क्र. सं.	कंपनी का नाम	31.03.2021 तक अंतिम लेखापरीक्षित
1.	जेएण्डके राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2014-15
2.	जेएण्डके राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14
3.	जेएण्डके लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2012-13
4.	जेएण्डके खनिज लिमिटेड	2002-03
5.	जेएण्डके सीमेन्ट लिमिटेड	2011-12
6.	जेएण्डके हस्तशिल्प (एसएण्डई) निगम लिमिटेड	2014-15
7.	जेएण्डके हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2013-14
8.	जेएण्डके उद्योग लिमिटेड	2013-14
9.	जेएण्डके कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014-15
10.	जेएण्डके एचपीएमसी लिमिटेड	2010-11
11.	जेएण्डके केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11
12.	जेएण्डके पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15
13.	जेएण्डके एससी/ एसटी/ ओबीसी विकास निगम लिमिटेड	2010-11
14.	जेएण्डके परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	2013-14
15.	जेएण्डके पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2010-11
16.	जेएण्डके विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	2010-11
17.	जेएण्डके चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	उपलब्ध नहीं[1]
18.	जेएण्डके बैंक लिमिटेड	2019-20
19.	जेएण्डके बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	2019-20
20.	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना (प्रा.) लिमिटेड	2019-20
21.	जेएण्डके महिला विकास निगम लिमिटेड	2018-19
22.	जेएण्डके व्यापार प्रोत्साहन संगठन	2019-20
23	जेएण्डके विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2018-19
24	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19
25	जेएण्डके अवसंरचना विकास वित्तीय निगम लिमिटेड	2018-19
क्र. सं.	**निगम का नाम**	**तक अंतिम लेखापरीक्षित**
1.	जेएण्डके राज्य सड़क परिवहन निगम	2013-14
2.	जेएण्डके राज्य वन निगम[2]	-
3.	जेएण्डके राज्य वित्तीय निगम	2018-19

[1] *कंपनी को मार्च 2014 में निगमित किया गया था और इस कार्यालय को उसने कभी भी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।*

[2] *निगम की लेखापरीक्षा वर्ष 1996-97 से इस कार्यालय को सौंपी गई थी। हालांकि, निगम ने कभी भी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।*

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.3)

31 मार्च 2021 तक सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में पीएसयू का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	अभ्युक्तियाँ
क	**विद्युत क्षेत्र**	
I	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**	
1.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	-
2.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	-
3.	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	कंपनी ने आरंभ से अपने लेखे अभी तक प्रस्तुत नहीं किये हैं।
4.	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-
5.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	-
II	**सरकार नियंत्रित कार्यशील अन्य कंपनी**	
6.	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड	-
ख	**सामाजिक क्षेत्र**	
I	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**	
7.	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	-
8.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	-
9.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	-
10.	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	-
11.	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	-
12.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	-
13.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	-
14.	जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	-
15.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	-
16.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-
17.	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	-
18.	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	-

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	अभ्युक्तियाँ
19.	जम्मू एवं कश्मीर आई. टी. अवसंरचना विकास प्राइवेट लिमिटेड	-
20.	जम्मू एवं कश्मीर वन विभाग निगम लिमिटेड	कंपनी को जम्मू एवं कश्मीर राज्य वन निगम अधिनियम, 1978 के निरसन के उपरांत दिसंबर 2020 में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित किया गया था।
21.	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	कंपनी ने आरंभ से अपने लेखे अभी तक प्रस्तुत नहीं किये हैं।
22.	एआईसी- जम्मू एवं कश्मीर इडीआई फाउन्डेशन	कंपनी ने आरंभ से अपने लेखे अभी तक प्रस्तुत नहीं किये हैं।
II	**निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ**	
23.	जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्संरचना लिमिटेड	सरकार ने 2019 के आदेश संख्या एफडी 453 दिनांक 24 अक्टूबर 2019 द्वारा कंपनी के स्वैच्छिक समापन को संस्वीकृति प्रदान कर दी है।
24.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी)	कंपनी परिसमापनाधीन है
ग	**प्रतिस्पर्धात्मक पर्यावरण क्षेत्र**	
I	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**	
25.	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	-
26.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	-
27.	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड	-
28.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	-
29.	जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	-
30.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	-
II	**कार्यशील सांविधिक निगम**	
31.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	-
32.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	-
III	**निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ**	
33.	तवी स्कूटर्स लिमिटेड	कंपनी परिसमापनाधीन है
34.	हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	कंपनी परिसमापनाधीन है
घ	अन्य	
I	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**	
35.	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	-

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	अभ्युक्तियाँ
36.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	-
37.	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-
38.	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कंपनी ने आरंभ से अपने लेखे अभी तक प्रस्तुत नहीं किये हैं।
39.	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी ने इसकी व्यावसायिक गतिविधि अभी तक आरंभ नहीं की है।
40.	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी ने इसकी व्यावसायिक गतिविधि अभी तक आरंभ नहीं की है।
II	**अक्रियाशील सरकारी कंपनियाँ**	
41.	जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड	कंपनी ने इसकी व्यावसायिक गतिविधि अभी तक आरंभ नहीं की है।
42.	जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र निगम लिमिटेड	कंपनी ने इसकी व्यावसायिक गतिविधि अभी तक आरंभ नहीं की है।

परिशिष्ट 5.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.3)

30 नवंबर 2021 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार पीएसयू के कुल कारोबार का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	कुल कारोबार
क	**विद्युत क्षेत्र**			
I	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**			
1.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2020-21	1,037.85
2.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	2016-17	2020-22	0
3.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	0
4.	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	-	-
5.	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	0
II	**सरकार नियंत्रित कार्यशील अन्य कंपनी**			
6.	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड	2002-21	2021-22	0
ख	**सामाजिक क्षेत्र**			
I	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**			
7.	जेएण्डके कृषि कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2020-21	36.41
8.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2010-11	2020-21	5.35
9.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	0.88
10.	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	7.56
11.	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2021-22	438.50
12.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2019-20	19.16
13.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	2013-14	2019-20	4.97
14.	जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	2010-11	2013-14	0.00
15.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	11.12
16.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	38.37

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	कुल कारोबार
17.	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	2019-20	2020-21	0
18.	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	2018-19	2019-20	0
19.	जम्मू एवं कश्मीर आई. टी. अवसंरचना विकास प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	2020-21	0
20.	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	148.71
21.	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	-	-	-
22.	एआईसी- जम्मू एवं कश्मीर ईडीआई फाउन्डेशन	-	-	-
II	**निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ**			
23.	जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्संरचना लिमिटेड	-	-	-
24.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी)	1991-92	1999-2000	-
ग	**प्रतिस्पर्धात्मक पर्यावरण क्षेत्र**			
I	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**			
25.	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	2011-12	2019-20	120.50
26.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	2010-11	2020-21	14.30
27.	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड	2013-14	2021-22	37.20
28.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	2020-21	2021-22	8,111.09
29.	जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	2020-21	2021-22	9.37
30.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	45.90
II	**कार्यशील सांविधिक निगम**			
31.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	2018-19	2019-20	6.03
32.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2018-19	2020-21	79.71
III	**निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ**			
33.	तवी स्कूटर्स लिमिटेड	1989-90	1991-92	-
34.	हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	1999-2000	2000-01	-
घ	**अन्य**			

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	कुल कारोबार
I	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**			
35.	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	409.06
36.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15	2021-22	8.64
37.	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2021-22	0
38.	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	-	-
39.	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-
40.	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-
II	**निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ**			
41.	जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड	-	-	-
42.	जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र निगम लिमिटेड	-	-	-
	कुल			**10,590.68**

स्रोतः पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखे

परिशिष्ट 5.3

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.4.1)

31 मार्च 2021 तक पीएसयू से संबंधित इक्विटी तथा बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2020-21 के अंत तक इक्विटी				वर्ष 2020-21 के अंत तक दीर्घकालिक ऋण			
				जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)
क.	विद्युत क्षेत्र										
I.	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
1.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	विद्युत विकास विभाग (पीडीडी)	फरवरी-1995	2,593.34	0	0	2,593.34	0	0	1,256.80	1,256.80
2.	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	पीडीडी	जून-2013	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
3.	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	पीडीडी	जन-2013	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
4.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	पीडीडी	मार्च-2013	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
5.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	पीडीडी	मार्च-2013	0.05	0	0	0.05	0	0	6,012.24	6,012.24
II.	सरकार नियंत्रित कार्यशील अन्य कंपनी										
6.	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना (प्रा.) लिमिटेड	पीडीडी	जून-2011	0.00	0	2479.78	2479.78	0	0	0	0
	कुल क			**2,593.54**	**0.00**	**2,479.78**	**5,073.32**	**0.00**	**0.00**	**7,269.04**	**7,269.04**
ख.	सामाजिक क्षेत्र										
I.	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
7.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	कृषि उत्पादन	30 जनवरी 1970	2.60	0.94	0	3.54	71.68	0	0	71.68
8.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद, विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	कृषि उत्पादन	10 अप्रैल 1978	6.80	3.20	0	10.00	10.25	0	0	10.25
9.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	1 अप्रैल 1986	20.77	28.05	0	48.82	0	0	64.05	64.05
10.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	10 मई 1996	10.00	0	0	10.00	0	0	77.11	77.11
11.	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	28 नवंबर 1975	89.91	0	0	89.91	0	0	0	0

क्र. सं.	पीएसयू का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2020-21 के अंत तक इक्विटी				वर्ष 2020-21 के अंत तक दीर्घकालिक ऋण			
				जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)
12.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	17 मार्च 1969	17.64	0	0	17.64	8.05	0	0	8.05
13.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	4 अक्टूबर 1960	16.27	0	0	16.27	264.99	0	0	264.99
14.	जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	वित्त	10 अक्टूबर 2010	4.06	0	0	4.06	0	0	0	0
15.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	6 जनवरी 1970	7.08	0.89	0	7.97	60.97	0	0	60.97
16.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	29 जून 1981	3.49	1.5	0	4.99	67.96	0	0	67.96
17.	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	उद्योग एवं वाणिज्य	30 मई 2018	2.55	0	2.68	5.23	0	0	0	0
18.	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	वित्त	25 सितंबर 2018	0.5	0	0	0.5	0	0	1,347.37	1347.37
19.	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	31 मार्च 2014	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
20.	एआईसी- जम्मू एवं कश्मीर ईडीआई फाउंडेशन	उद्योग एवं वाणिज्य	7 सितंबर 2018	0.05	0	0	0.05	एनए	एनए	एनए	एनए
21.	जम्मू एवं कश्मीर आई. टी. अवसंरचना विकास प्रा. लिमिटेड	आई टी और संचार	7 मार्च 2019	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0
22.	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	वन	01-जुलाई-1979	9.03	0	0	9.03	18.00		0	18.00
	कुल I ख			**182.27**	**35.58**	**2.68**	**219.53**	**501.90**	**0**	**1,488.53**	**1,990.43**
	II. अक्रियाशील कंपनी										
23.	जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्संरचना लिमिटेड	वित्त	28-Apr-17	1.02	0	0.98	2	0	0	0	0
24.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी)	उद्योग एवं वाणिज्य	29-Nov-91	0.4	0	0	0.4	एनए	एनए	एनए	एनए
	कुल II ख			**1.42**	**0**	**0.98**	**2.40**	0	0	0	0
	कुल ख (I+II)			**183.69**	**33.58**	**4.66**	**221.93**	**501.90**	**0**	**1488.53**	**1990.43**

क्र. सं.	पीएसयू का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2020-21 के अंत तक इक्विटी				वर्ष 2020-21 के अंत तक दीर्घकालिक ऋण			
				जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)
ग.	**प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र**										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
25.	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	24 दिसंबर 1974	49.86	0	0	49.86	16.34	0	31.09	47.73
26.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	5 फरवरी 1960	8.00	0	0	8.00	169.78	0	0	169.78
27.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य केबल कार निगम लिमिटेड	पर्यटन	28 नवंबर 1988	23.57	0	0	23.57	0	0	0	0
28.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	वित्त	10 अक्टूबर 1938	48.64	0	22.72	71.36	0	0	2,015.20	2,015.20
29.	जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	वित्त	27 अगस्त 2009	0	0	20.00	20.00	0	0	7.70	7.70
30.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	वित्त	2 दिसंबर 1959	172.35	0	0.54	172.89	0	0	40.9	40.9
31.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1 सितंबर 1976	286.79	15.01	24.79	326.59	740.61	0	0	740.61
32.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	13 फरवरी 1970	15.96	0	0	15.96	8.26	0	0	8.26
	कुल I ग			**605.17**	**15.01**	**68.05**	**688.23**	**934.99**	**0**	**2,094.89**	**3,030.18**
	II. निष्क्रिय कंपनियाँ										
33.	तवी स्कूटर्स लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	15 दिसंबर 1976	0.80	0	0	0.80	0.83	0	0	0.83
34.	हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	24 जनवरी 1978	1.37	0	0	1.37	0	0	0	0
	कुल II ग			**2.17**	**0**	**0**	**2.17**	**0.83**	**0**	**0**	**0.83**
	कुल ग (I+II)			**607.34**	**15.01**	**68.05**	**690.40**	**935.82**	**0**	**2094.89**	**3031.01**
घ.	**अन्य**										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
35.	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	लोक निर्माण	22 मई 1965	1.53	0	0	1.53	0	0	0	0
36.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	26 दिसंबर 1997	2.00	0	0	2.00	0	0	0	0
37.	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	8 सितंबर 2017	0.10	0	0	0.10	0	0	0	0
38.	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	8 सितंबर 2017	0.10	0	0	0.10	0	0	0	0
39.	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्रा. लिमिटेड	शहरी विकास	12 मार्च 2019	0.02	0	0	0.02	0	0	0	0

क्र. सं.	पीएसयू का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2020-21 के अंत तक इक्विटी				वर्ष 2020-21 के अंत तक दीर्घकालिक ऋण			
				जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई		जीओजेएण्डके	जीओआई
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)	4	5 (क)	5 (ख)
40.	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्रा. लिमिटेड	शहरी विकास	13 मार्च 2019	0.02	0	0	0.02	0	0	0	0
	कुल। I घ			**3.77**	**0**	**0**	**3.77**	**0.00**	**0**	**0**	**0**
	II. निष्क्रिय कंपनियाँ										
41.	जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड	लोक निर्माण	31 मार्च 2014	5.00	0	0	5.00	एन	एन	एन	एन
42.	जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	1 फरवरी 2014	48.00	0	0	48.00	एन	एन	एन	एन
	कुल II घ			53.00	0	0	53.00	एन	एन	एन	एन
	कुल घ (I+II)			**56.77**	**0**	**0**	**56.77**	**0.00**	**0**	**0**	**0**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)			**3,441.34**	**48.59**	**2,551.49**	**6,042.42**	**1,437.72**	**0**	**10,852.46**	**12,290.48**

स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

परिशिष्ट 5.4

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.4.3)

मार्च 2021 तक पीएसयू के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखे के अनुसार इक्विटी और बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			वित्त लेखा के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध प्रत्याभूति
1	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2,593.34	0	1,539.71	2,593.34	85.05	प्रतीक्षित	0	-85.05	1,539.71*
2	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	0.05	0	6,012.24	0.05	0	प्रतीक्षित	0	0	6,012.24*
3	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद, विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	6.80	10.25	0	6.80	12.67	0	0	-2.42	0
4	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	10.00	0	73.87	10.00	0	27.63	0	0	46.24
5	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	49.86	14.70	0	15.00	0	0	34.86	14.70	0
6	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	8.00	169.78	0	8.00	1.86	0	0	167.92	0
7	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम	15.96	8.26	0	5.00	0	0	10.96	8.26	0
8	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहननिगम	286.79	704.61	0	331.73	439.23	0	-44.94	265.38	0
	कुल	**2,970.80**	**907.60**	**7,625.82**	**2,969.92**	**538.81**	**27.63**	**0.88**	**368.79**	**7,598.19**

(स्रोत: पीएसयू एवं वित्त लेखे से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

**भिन्नताएं वित्त लेखें में प्रतीक्षित सूचना के कारण हैं।*

परिशिष्ट 5.5

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.5)

30 नवंबर 2021 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम और क्षेत्र का प्रकार	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज तथा कर के बाद निवल लाभ
1.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2010-11	2020-21	31.47
2.	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	0.67
3.	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2021-22	1.57
4.	जम्मू एवं कश्मीर आई. टी. अवसंरचना विकास प्रा. लिमिटेड	2019-20	2020-21	0.06
5.	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	2011-12	2019-20	6.30
6.	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड	2013-14	2021-22	9.94
7.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	2020-21	2021-22	428.45
8.	जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	2020-21	2021-22	2.67
9.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	2018-19	2019-20	3.18
10.	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	3.16
11.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15	2021-22	12.23
12.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2020-21	20.42
	कुल			**520.12**

(स्रोत: पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के आधार पर संकलित)

परिशिष्ट 5.6

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.7.2)

निवेश पर प्रतिफल- जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (सूचीबद्ध पीएसयू)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी	जोड़ी गयी इक्विटी	अनुदान/ सहायिकी	लाभांश प्राप्तियाँ	विनिवेश प्राप्तियाँ	वर्षों की संख्या	ब्याज की दर (आर)	1+आर	जोड़ी गयी इक्विटी का आरंभ मूल्य	अनुदान/ सहायिकी का आरंभ मूल्य	विनिवेश प्राप्तियों का पीवी	लाभांश प्राप्तियों का पीवी	निवेश का मूल्य	शेयरों की संख्या	प्रति शेयर बाजार मूल्य	शेयर का बाजार मूल्य (□)	निवेश का वर्तमान मूल्य	आरओआई	सीएजीआर
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन	ओ	पी	क्यू	आर	एस	यू
								(1+एच)	सी/ (जी-1) का मूल्य वर्ष के आरंभ से आई का उत्पाद	डी/ (जी-1) का मूल्य वर्ष के आरंभ से आई का उत्पाद	एफ* अंतिम वर्ष हेतु वर्ष से आई का उत्पाद	ई* अंतिम वर्ष हेतु वर्ष से आई का उत्पाद	बी+Σजे+Σके			ओ*पी	क्यू+Σएल+Σएम	(आर-एन)/एन/जी	(वर्तमान वर्ष का आरओआई/ 1999-2000 का आरओआई)^1/(जी-1)-1)*100
1998-99	4847.78	0	0	773.26	0	1	0.1088	1.11	0.00	0	0.00	4,967.65	4,847.78	4,84,77,802	28.00	13,573.78	18,541.43	282.47	
1999-2000	4847.78	0	0	902.13	0	2	0.1196	1.12	0.00	0	0.00	5,226.90	4,847.78	4,84,77,802	36.15	17,524.73	27,719.28	235.90	-16.49
2000-01	4847.78	0	0	1,031.01	0	3	0.0923	1.09	0.00	0	0.00	5,335.48	4,847.78	4,84,77,802	37.30	18,082.22	33,612.25	197.78	-16.32
2001-02	4847.78	0	0	12,88.76	0	4	0.1120	1.11	0.00	0	0.00	6,105.78	4,847.78	4,84,77,802	73.35	35,558.47	57,194.28	269.95	-1.50
2002-03	4847.78	0	0	15,46.52	0	5	0.1054	1.11	0.00	0	0.00	6,588.98	4,847.78	4,84,77,802	113.85	55,191.98	83,416.77	324.14	3.50
2003-04	4847.78	0	0	25,77.53	0	6	0.1095	1.11	0.00	0	0.00	9,934.53	4,847.78	4,84,77,802	493.15	23,90,68.28	2,77,227.60	936.44	27.09
2004-05	4847.78	0	0	20,62.02	0	7	0.0897	1.09	0.00	0	0.00	7,163.25	4,847.78	4,84,77,802	363.05	1,75,998.66	2,21,321.23	637.92	14.54
2005-06	4847.78	0	0	20,62.02	0	8	0.0815	1.08	0.00	0	0.00	6,573.60	4,847.78	4,84,77,802	450.80	2,18,537.93	2,70,434.09	684.81	13.49
2006-07	4847.78	0	0	29,64.16	0	9	0.1166	1.12	0.00	0	0.00	8,737.44	4,847.78	4,84,77,802	643.15	3,11,784.98	3,72,418.59	842.47	14.64
2007-08	4847.78	0	0	39,95.17	0	10	0.1407	1.14	0.00	0	0.00	10,546.80	4,847.78	4,84,77,802	678.55	3,28,946.13	4,00,126.52	815.38	12.50
2008-09	4847.78	0	0	42,56.02	0	11	0.0794	1.08	0.00	0	0.00	9,849.58	4,847.78	4,84,77,802	314.80	1,52,608.12	2,33,638.10	429.04	4.27
2009-10	4847.78	0	0	56,70.56	0	12	0.0945	1.09	0.00	0	0.00	12,157.87	4,847.78	4,84,77,802	681.70	3,30,473.18	4,23,661.03	719.94	8.88
2010-11	4847.78	0	0	67,01.57	0	13	0.0903	1.09	0.00	0	0.00	13,127.82	4,847.78	4,84,77,802	874.00	4,23,695.99	5,30,011.67	833.31	9.43
2011-12	4847.78	0	0	86,34.71	0	14	0.0828	1.08	0.00	0	0.00	15,513.79	4,847.78	4,84,77,802	919.00	4,45,511.00	5,67,340.47	828.79	8.63
2012-13	4847.78	0	0	1,28,87.63	0	15	0.0819	1.08	0.00	0	0.00	21,384.30	4,847.78	4,84,77,802	1191.00	5,77,370.62	7,20,584.39	984.28	9.33
2013-14	4847.78	0	0	1,28,87.63	0	16	0.0714	1.07	0.00	0	0.00	19,765.50	4,847.78	4,84,77,802	1538.00	7,45,588.59	9,08,567.86	1,165.12	9.91
2014-15	4847.78	0	0	5412.81	0	17	0.0768	1.08	0.00	0	0.00	7,748.28	4,847.78	48,47,78,020	95.05	4,60,781.51	6,31,509.06	760.40	6.38
2015-16	4847.78	0	0	4,510.67	0	18	0.0725	1.07	0.00	0	0.00	5,996.38	4,847.78	48,47,78,020	60.50	2,93,290.70	4,70,014.64	533.08	3.81
2016-17	4847.78	3655.51	0	0	0	19	0.0783	1.08	705.30	0	0.00	0.00	5,553.08	52,13,33,071	75.00	3,90,999.80	5,67,723.74	532.82	3.59
2017-18	4847.78	3525.00	0	0	0	20	0.0723	1.07	630.73	0	0.00	0.00	6,183.81	55,68,58,392	60.35	3,36,064.04	5,12,787.97	409.61	1.98
2018-19	4847.78	0	0	0	0	21	0.0720	1.07	0.00	0	0.00	0.00	6,183.81	55,68,58,392	53.70	2,99,032.96	4,75,756.89	361.60	1.24
2019-20	4847.78	1566.00	0	0	0	22	0.0720	1.07	243.76	0	0.00	0.00	6,427.57	71,34,50,938	12.36	88,182.54	2,64,906.47	182.79	-2.05
2020-21	4847.78	0	0	0	0	23	0.0672	1.07	0.00	0	0.00	0.00	6,427.57	71,34,50,938	26.65	1,90,134.67	3,66,858.61	243.81	-0.67

परिशिष्ट 5.7

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.7.5)

वर्ष 1999-2000 से 2020-21 के लिए गैर-सूचीबद्ध पीएसयू में सरकार द्वारा वर्ष-वार निवेश तथा सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये निवल ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान इक्विटी में प्रत्यावर्तित ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	ब्याज की औसत दर	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य
ए	बी	सी	डी	ई	एफ=सी+डी-ई	जी=बी+एफ	एच	आई=जी*(1+एच/100)
1999-2000 तक	352.29	7.14	0	0	7.14	359.43	11.96	402.42
2000-01	402.42	4.56	0	0	4.56	406.98	9.23	444.54
2001-02	444.54	1.82	0	0	1.82	446.36	11.2	496.35
2002-03	496.35	13.29	0	0	13.29	509.64	10.54	563.36
2003-04	563.36	2.80	0	0	2.8	566.16	10.95	628.16
2004-05	628.16	4.03	0	0	4.03	632.19	8.97	688.89
2005-06	688.89	7.55	0	0	7.55	696.44	8.15	753.20
2006-07	753.20	2.50	0	0	2.5	755.70	11.66	843.82
2007-08	843.82	1.20	11.55	0	12.75	856.57	14.07	977.09
2008-09	977.09	7.63	0	0	7.63	984.72	7.94	1,062.90
2009-10	1,062.90	17.09	0	0	17.09	1,079.99	9.45	1,182.05
2010-11	1,182.05	11.06	0	0	11.06	1,193.11	9.03	1,300.85
2011-12	1,300.85	6.09	0	0	6.09	1,306.94	8.28	1,415.16
2012-13	1,415.16	7.00	0	0	7	1,422.16	8.19	1,538.63
2013-14	1,538.63	78.08	0	0	78.08	1,616.71	7.14	1,732.14
2014-15	1,732.14	1.21	3.62	0	4.83	1,736.97	7.68	1,870.37
2015-16	1,870.37	6.85	0	0	6.85	1,877.22	7.25	2,013.32
2016-17	2,013.32	9.56	0	0	9.56	2,022.88	7.83	2,181.27
2017-18	2,181.27	97.30	21.83	17.5	101.63	2,282.90	7.23	2,447.96
2018-19	2,447.96	120.74	23.18	0	143.92	2,591.88	7.20	2,778.49
2019-20	2,778.49	2,616.82	15.88	0	2632.7	5,411.19	7.20	5,800.80
2020-21	5,800.80	83.47	47.1	0	130.57	5,931.37	6.72	6,329.96
कुल		**3,107.79**	**123.16**	**17.5**	**3,213.45**			

(स्रोतः मार्च 2021 तक संबंधित पीएसयू द्वारा प्रस्तुत नवीनतम सूचना के आधार पर संकलित)

परिशिष्ट 5.8

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.8)

30 नवंबर 2021 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार हानियों वाले पीएसयू का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ (+)/ हानि (+)	प्रदत्त पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	मुक्त भण्डार	संचित लाभ/ हानि	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य
I	**सरकारी कंपनियाँ**									
1.	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2020-21	-2.20	3.54	25.06	0.00	-49.20	-20.60	-45.66
2.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	-5.97	46.92	78.46	0.00	-43.18	82.20	3.74
3.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2019-20	-20.54	17.65	24.36	0.00	-146.99	-104.98	-129.34
4.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	2013-14	2019-20	-36.39	16.27	686.13	0.00	-753.25	-50.85	-736.98
5.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री एवं निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-8.60	8.52	154.66	0.00	-170.06	-6.88	-161.54
6.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-1.28	4.99	150.73	0.00	-140.20	15.52	-135.21
7.	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	2019-20	2020-21	-0.16	5.23	0	0	-0.03	5.20	5.20
8.	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	2018-19	2019-20	-0.06	0.50	0	0	-0.06	0.44	0.44
9.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास लिमिटेड	2019-20	2021-22	-6.14	15.96	4.26	0.00	-3.35	16.87	12.61
10.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	2010-11	2020-21	-8.38	8.00	263.83	0.16	-225.01	46.82	-217.01
11.	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	-3.99	9.03	18.05	0.00	-249.13	-222.05	-240.10

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ (+)/ हानि (+)	प्रदत्त पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	मुक्त भण्डार	संचित लाभ/ हानि	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य
12.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-0.0035	0.05	0	0	-0.03	0.02	0.02
13.	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-0.0035	0	0	0	-0.03	-0.03	-0.03
14.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	2016-17	2021-22	-0.0059	0.05	0	0	-0.02	0.03	0.03
	कुल			**-93.71**	**136.66**	**1,405.54**	**0.16**	**-1,780.54**	**-238.29**	**-1,643.83**
II	**सांविधिक निगम**									
15.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2018-19	2020-21	**-117.62**	**207.96**	**676.02**	**0**	**-1,634.94**	**-750.96**	**-1,426.98**
III	**सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी**									
16.	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	2021-22	**-3.18**	**2,723.66**	**0.00**	**0.00**	**49.34**	**2,773.00**	**2,773.00**
	कुल योग			**-214.51**	**3,068.28**	**2081.56**	**0.16**	**-3,366.14**	**1,783.75**	**-297.81**

परिशिष्ट 5.9

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.8.1)

30 नवंबर 2021 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार संचित हानियों वाले पीएसयू का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ (+)/ हानि (+)	प्रदत्त पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	मुक्त भण्डार	मुक्त आरक्षित तथा संचित लाभ/ हानि	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य
सरकारी कंपनियाँ										
1.	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2020-21	-2.2	3.54	25.06	0	-49.2	-20.6	-45.66
2.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2010-11	2020-21	31.46	9.2	23.85	0	-71.28	-38.23	-62.08
3.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	-5.97	46.92	78.46	0	-43.18	82.20	3.74
4.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2019-20	-20.54	17.65	24.36	0	-146.99	-104.98	-129.34
5.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	2013-14	2019-20	-36.39	16.27	686.13	0	-753.46	-51.06	-737.19
6.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री एवं निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-8.6	8.52	154.66	0	-170.06	-6.88	-161.54
7.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-1.28	4.99	150.73	0	-132.99	22.73	-128
8.	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	2019-20	2020-21	-0.16	5.23	0	0	-0.03	5.2	5.2

क्र. सं.	क्षेत्र प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ (+)/ हानि (+)	प्रदत्त पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	मुक्त भण्डार	मुक्त आरक्षित तथा संचित लाभ/ हानि	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य
9.	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	2018-19	2019-20	-0.06	0.5	0	0	-0.06	0.44	0.44
10.	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	-3.99	9.03	18.05	0	-249.13	-222.05	-240.1
11.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	2010-11	2020-21	-8.38	8	263.83	0.16	-225.01	46.82	-217.01
12.	जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	2020-21	2021-22	2.67	20	0	0	-3.19	16.81	16.81
13.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	-6.14	15.96	4.26	0	-3.35	16.87	12.61
14.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	2018-19	2019-20	3.18	172.89	39.43	0	-172.97	39.35	-0.08
15.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-0.0035	0.05	0	0	-0.03	0.02	0.02
16.	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-0.0035	0	0	0	-0.03	-0.03	-0.03
17.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	2016-17	2021-22	-0.0059	0.05	0	0	-0.02	0.03	0.03
	कुल			**-56.41**	**338.75**	**1468.82**	**0.16**	**-2,020.98**	**-213.36**	**-1,682.18**
सांविधिक निगम										
18.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2018-19	2020-21	-117.62	207.96	676.02	0	-1,634.94	-750.96	-1,426.98
	कुल योग			**-174.027**	**546.71**	**2,144.84**	**0.16**	**-3,655.92**	**-964.32**	**-3,109.16**

परिशिष्ट 5.10

(संदर्भ पैराग्राफ: 5.11.2)

कार्यशील पीएसयू, जिनके लेखे 30 नवंबर 2021 तक बकायों में है, में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	अंतिम रूप देने के लिए लंबित लेखाओं की अवधि	जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया निवेश जिसके लिए लेखे बकायों में हैं				
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	सहायिकी	कुल
क	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ								
1	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014-15	3.54	6	0	0.54	0	0.00	0.54
2	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद, विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2010-11	9.20	10	0.80	24.00	4.75	0.00	29.55
3	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17	3.12	4	0	0	0	0.00	0.00
4	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	17.64	7	0	0.00	237.28	0	237.28
5	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	1.97	2	0	0.00	0	0.00	0.00
6	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15	2.00	6	0	0.00	0	0.00	0.00
7	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	4.99	2	0	4.60	11.80	0.00	16.40
8	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	2018-19	8.52	2	0	7.50	10.21	0.00	17.71
9	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	2013-14	16.27	7	0	23.62	62.30	0.00	85.92
10	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	2010-11	8.00	10	0	12.69	39.34	0.00	52.03
11	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	15.96	1	0	0.00	8.67	0.00	8.67

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	अंतिम रूप देने के लिए लंबित लेखाओं की अवधि	*जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया निवेश जिसके लिए लेखे बकायों में हैं*				
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	सहायिकी	कुल
12	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2017-18	46.92	3	1.65	14.23	6.35	0.20	22.43
13	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	2019-20	10.00	1	0	3.00	0	0.00	3.00
14	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	2011-12	45.77	9	0	0.25	2.63	0.00	2.88
15	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड	2013-14	23.57	6	0	0.00	26.19	0.00	26.19
16	जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	2010-11	2.56	10	0	0.00	0	0.00	0.00
17	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	2018-19	0.50	2	0	0.00	121.26	0.00	121.26
18	जम्मू एवं कश्मीर आई. टी. अवसंरचना विकास प्रा. लिमिटेड	2019-20	0.50	1	0	0.00	50.00	0.00	50.00
19	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	2019-20	5.23	1	0	0.00	0	0.00	0.00
20	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2014-15	5.00	6	0	0.00	143.07	0.00	143.07
21	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2018-19	0.05	2	0.05	0.00	253.09	0.00	253.14
22	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	0	2	0	0.00	113.38	450.00	1,097.79
23	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	9.03	1	0	0.00	0	0.00	0.00
24	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	0.10	2	0	0.00	20.20	0.00	20.20
25	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	2016-17	0.05	4	0.05	0.00	4,154.11	0.00	4,154.11
26	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	*	*	7	0	0.00	0	0.00	0.00

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	अंतिम रूप देने के लिए लंबित लेखाओं की अवधि	*जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया निवेश जिसके लिए लेखे बकायों में हैं*				
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	सहायिकी	कुल
27	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	*	*	4	0.10	0.00	0	0.00	0.00
28	एआईसी- जम्मू एवं कश्मीर इडीआई फाउन्डेशन+	*	*	3	0	0.00	0	0.00	0.00
29	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	*	*	2	0	0.00	0	0.00	0.00
30	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	*	*	2	0	0.00	0	0.00	0.00
31	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	*	*	8	0.05	0.00	637.49	4,050.00	4,687.54
	कुल क			**133**	**2.70**	**90.43**	**6,437.90**	**4,500.20**	**11,031.27**
ख	**कार्यशील सांविधिक निगम**								
32	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2018-19	207.96	2	93.84	65.50	0	0.00	159.34
33	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	2018-19	172.89	2	0	0.00	0	0.00	0.00
	कुल ख		**380.85**	**4**	**93.84**	**65.50**	**0**	**0.00**	**159.34**
	कुल (क+ख)			**137**	**96.54**	**155.93**	**6,437.90**	**4,500.20**	**11,190.61**

(स्रोत: प्रदत्त पूँजी के लिए कंपनियों के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखे तथा उस अवधि, जिसके लिए लेखए बकायों में हैं, के दौरान जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा किये गये निवेश हेतु कंपनियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

** इन कंपनियों ने आरंभ से अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।*

+ कंपनी ने 2020-21 के लिए सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

परिशिष्ट-6

बजट से संबंधित महत्त्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

1. ***वर्ष के 'लेखा' या 'वास्तविक' आँकड़े*** - का अर्थ 01 अप्रैल से आरंभ तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों की राशियाँ हैं, जिसे अंतिम रूप से लेखांकन प्राधिकार पुस्तिकाओं (सीएण्डएजी द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के अनुसार) में दर्ज की गई थी। अनंतिम लेखे अलेखापरीक्षित लेखा के संदर्भ में है।

2. ***'योजना, प्रस्ताव या कार्य का 'प्रशासनिक अनुमोदन'*** - व्यय करने के उद्देश्य हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी औपचारिक सहमति है। बजट में निधियों के प्रावधान के साथ लिया गया, यह उस विशेष वर्ष के दौरान कार्य के लिए वित्तीय संस्वीकृति के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जाता है।

3. ***'वार्षिक वित्तीय विवरण'*** - बजट के रूप में भी संदर्भित अर्थात् संसद/ राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र/ राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण।

4. ***'विनियोग'*** - का अर्थ है विनियोग की भिन्न-भिन्न प्राथमिक इकाई अथवा उसके भाग के अंतर्गत व्यय के लिए संसद/ राज्य विधानमण्डल द्वारा अधिकृत राशि एक संवितरण अधिकारी के निपटान पर रखी गयी है।

5. ***'प्रभारित व्यय'*** - का तात्पर्य ऐसा व्यय जो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत विधानमण्डल के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना है।

6. ***'भारत राज्य की समेकित निधि'*** - संघ/ राज्य सरकार के सभी राजस्व, इसके द्वारा सृजित ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त समस्त धनराशि भारत/ राज्य की समेकित निधि का निर्माण करती है। इस निधि में से कोई भी धनराशि विधि के अनुसार तथा संविधान में प्रावधान किए उद्देश्यों और तरीकों के अतिरिक्त विनियोजित नहीं की जा सकती है।

7. ***'आकस्मिकता निधि'*** - अग्रदाय प्रकृति की है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य कार्यपालिका/ सरकार को वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए संसद/ राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अग्रिम प्रदान करना है। आकस्मिकता निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति संसद/ राज्य विधानमण्डल द्वारा अनुपूरक मांगों के माध्यम से इसे अनुमोदित करने के उपरांत की जाती है।

8. ***'नियंत्रण अधिकारी (बजट)'*** - का आशय एक ऐसे अधिकारी से है जिसे विभाग द्वारा व्यय और/ अथवा राजस्व संग्रहण को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व दी गई है। इस पद में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल है।

9. ***'आहरण एवं संवितरण अधिकारी' (डीडीओ)*** - का तात्पर्य राज्य सरकार की ओर से बिलों का आहरण करने एवं भुगतान करने के लिए कार्यालय प्रमुख और राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी से भी है। इस पद में विभागाध्यक्ष भी शामिल होगा जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।

10. ***'आधिक्य अनुदान'*** - आधिक्य अनुदान का अर्थ है मूल/ अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत प्रावधान से ऊपर और उससे अधिक व्यय की राशि, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के अंतर्गत संसद/ राज्य विधानमण्डल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमित किये जाने की आवश्यकता होती है।

11. ***'नई सेवा'*** - जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ए)/205(1)(ए) में दर्शाया गया है, नई सेवा का अर्थ है एक नये नीतिगत निर्णय से उत्पन्न होने वाला व्यय, जिसे पूर्व में संसद/ राज्य विधानमण्डल के संज्ञान में नहीं लाया गया था, जिसमें एक नई गतिविधि या निवेश का एक नया रूप शामिल है।

12. ***'सेवा का नया साधन'*** - का अर्थ है विद्यमान गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाला अपेक्षाकृत बृहत् व्यय।

13. ***'लोक लेखा'*** - का तात्पर्य संविधान की धारा 115 (2) में संदर्भित लोक लेखा से है। प्राप्तियाँ एवं संवितरण जैसे जमाएं, आरक्षित निधियाँ, प्रेषण, इत्यादि जो समेकित निधि का भाग नहीं है, को लोक लेखा में शामिल किया जाता है। लोक लेखा से संवितरण संसद/ राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं है, क्योंकि वे भारत/ राज्य की समेकित निधि से जारी किये गये धन नहीं हैं।

14. ***'पुनर्विनियोग'*** - का अर्थ है एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विनियोग की एक इकाई से उसी अनुदान या प्रभारित विनियोग के भीतर दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचतों का हस्तांतरण।

15. ***'परिशोधित प्राक्कलन'*** - एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों अथवा व्यय का एक प्राक्कलन है, जो उस वर्ष के दौरान पहले से दर्ज संव्यवहारों के संदर्भ में एवं पहले से जारी आदेशों के आलोक में शेष वर्ष के लिए प्रत्याशा के संदर्भ में तैयार किया गया है।

16. 'अनुदान के लिए अनुपूरक मांग' - का अर्थ है विधायिका के समक्ष रखी गई अनुपूरक मांगों का विवरण, जिसमें उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से अधिक या ऊपर किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में आवश्यक अगले व्यय की अनुमानित राशि दर्शायी गयी हो। अनुपूरक की मांग टोकन, तकनीकी या वास्तविक/ नकद हो सकती है।

(क) **नकद अनुपूरक -** मूल बजट प्रावधानों से अधिक और ऊपर है एवं इसके परिणामस्वरूप मांग/ अनुदान के लिए आबंटन में वृद्धि होती है। इसे अंतिम उपाय के रूप में और सम्यक् तत्परता के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में, इस पद्धति का अनुकरण राज्य द्वारा किया जाता है।

(ख) प्रत्येक मांग में चार अनुभाग होते हैं, जैसे, राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूँजीगत दत्तमत एवं पूँजीगत प्रभारित। **तकनीकी अनुपूरक**, राज्य विधानमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत, किसी एक अनुभाग की बचतों को किसी अन्य अनुभाग के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।

(ग) **टोकन अनुपूरक -** अनुदान के एक ही अनुभाग के भीतर बचतों का उपयोग करने की अनुमति देता है।

17. 'मुख्य शीर्ष' - का अर्थ राज्य के प्राप्तियों एवं संवितरणों को अभिलेखबद्ध और वर्गीकृत करने हेतु लेखा के मुख्य शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के अंतर्गत आने वाला, समान्यतः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि जैसे सरकार के एक 'कार्य' से मेल खाता है।

18. 'उप-मुख्य शीर्ष' - का अर्थ एक मुख्य शीर्ष और उसके अंतर्गत लघु शीर्षों के मध्य शुरू किये गये एक मध्यवर्ती लेखा शीर्ष से है, जब लघु शीर्ष असंख्य हो तथा ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के अंतर्गत आसानी से एक साथ समूहीकृत किये जा सकें।

19. 'लघु शीर्ष' - का तात्पर्य मुख्य शीर्ष अथवा उप मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक शीर्ष से है। एक मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष, मुख्य शीर्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किये गये "कार्यक्रम" की पहचान करता है।

20. 'उप-शीर्ष' - का अर्थ है लघु शीर्ष के बाद अगले अधीनस्थ लेखा की इकाई जो सामान्यतः उस लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अंतर्गत योजना या संगठन को दर्शाती है।

21. 'मुख्य निर्माण कार्य' - का अर्थ एक मूल निर्माण कार्य से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक है।

22. ***'लघु निर्माण कार्य'*** - का अर्थ एक मूल निर्माण कार्य से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक नहीं है।

23. ***'आशोधित अनुदान या विनियोग'*** - का अर्थ है विनियोग के किसी उप-शीर्ष को आबंटित राशि से है क्योंकि यह पुनर्विनियोग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान की स्वीकृति के बाद है।

24. ***'अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन'*** - का अर्थ एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग अधिनियम में शामिल प्रावधान से है, जो उस वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में पूर्व में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए है।

25. ***'नये व्यय की अनुसूची'*** - का अर्थ आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित नये व्यय की मदों का विवरण है।

26. ***'टोकन मांग'*** - का अर्थ विधानसभा में नाममात्र या टोकन/ सांकेतिक राशि के लिए की गई मांग से है, उदाहरण के लिए, जब नयी सेवा पर होने वाले समस्त व्यय को संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा करना प्रस्तावित होता है।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agjk.nic.in